राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र, का 54वां दिवस [संख्या 21

सोमवार

दिनांक 11 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, आबकारी, समाज-कल्याण, अकाल सहायता, सिचाई, वित्त, वन, राज० नहर, खाद्य व पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण कानून

527. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण (सीलिंग) कब लागू किया गया ?

(2) इस कानून के अन्तर्गत सरकार ने नियम कब बना दिये ? और वे लागू कब कर दिये गये ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस कानून को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस एक्ट के बनने के बाद कितनी भूमि किस किस इलाके में कानून के खिलाफ स्थानान्तरित कर दी गई है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और उसमें यह बतलाया जावे कि किस किस जिले में कितनी भूमि कानून की अवहेलना करते हुये स्थानान्तर कर दी गई है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान में पाली जिले की कांग्रेस कमेटी ने इस बाबत सत्याग्रह करने का बीड़ा उठाया कि यदि राज्य सरकार 26 जनवरी के पहले पहले इस कानून को अमली रूप देना प्रारंभ नहीं करती है तो सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हो जावेगा ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) राजस्थान टेनेन्सी : अधिकतम क्षेत्र निर्धारण : अधिनियम दिनांक 15-12-63 को प्रभाव में आया तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारण अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि रखने तथा तत्पश्चात् अन्य भूमि अवाप्त करने सम्बन्धी प्रावधान दिनांक 1-4-66 से लागू किये गये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) इस कानून के अन्तर्गत सरकार ने नियम दिनांक 26-11-63 को बनाये तथा उन्हें 15-12-66 से लागू किया गया ।

(3) जी नहीं ।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(5) ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ।

श्री मूल चन्द डागा : क्या राज्य सरकार सीलिंग के बाबत कोई अमेंडमेंट कर रही है एक्ट में ?

श्री गंगा राम चौधरी : कुछ मुद्दे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । उसमें निर्णय लेने के पश्चात् विशेषत: मुद्दे ट्रान्सफर के हैं, उनमें निर्णय लेने के बाद अन्तिम आदेश जारी किये जायेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : कब तक निर्णय लेने की आशा है ? यह अधिनियम 63 में बनाया गया था तब से लेकर आज तक सीलिंग के बारे में राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है । आपने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया 'जी नहीं', तो प्रश्न यह है कि सीलिंग एक्ट के अनुसार जो कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 63 में एक्ट बन गया, सम्बन्धित रूल्स बन गये तब से लेकर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गंगा राम चौधरी : 63 के बाद नियमों के खिलाफ किसी व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका की थी और इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के स्टे आर्डर हो गये थे इसलिए समय पर लागू नहीं किये जा सके ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट में जो याचिका हुई है वह जनरल न होकर व्यक्तिगत केसेज में हुई है। इसलिये यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्री गंगा राम चौधरी : यह सही है कि व्यक्तिगत केसेज में हुई है, लेकिन इनमें कई तरह की याचिकायें पेश हुई हैं । उनका प्रभाव पड़ सकता है और मामलों पर भी ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि याचिका 66 में खारिज हो गई थी और आपने यह कानून 1-4-66 को लागू किया है उसके बाद भूमि का कोई एक्वीजीशन नहीं हुआ ?

श्री गंगा राम चौधरी : ये 1-4-66 से लागू किये गये थे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर । श्री शंकर लाल ।

श्री शंकर लाल : 1-4-66 के बाद जमीन का सीलिंग नहीं किया गया, क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : 1-4-66 को लागू किया गया । इसके पश्चात् ट्रान्सफर के ऐसे मामले इन्वाल्व्ड थे जिनके बारे में राज्य सरकार को विचार करना आवश्यक था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है की इस तारीख के बाद भी इल्लीगल ट्रांसफर किये गये हैं और अब इन इल्लीगल ट्रांसफर्स को सरकार रेगुलेराइज करने जा रही है ?

Page No. 3

श्री गंगा राम चौधरी : इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : जब ये नियम 1–4–66 को लागू कर दिये गये थे। 15 मई को मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में यह नियम उस नोटिफिकेशन से समझा जाय या 15 मई से ?

श्री गंगाराम चौधरी : नोटिफिकेशन से इसको प्रभावित किया गया था।

श्री शंकर लाल : 1-4-66 से लागू करने का तात्पर्य यह है कि मुख्य मंत्री जी ने 15 मई को घोषणा की तो 1-4-66 उसके अनुसार जो कार्यवाही नहीं की गई वह अब की जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह बतायेंगे कि सरकार के पास आज तक कुल कितने इल्लीगल ट्रान्सफर हुये हैं, कुल कितनी जमीन इल्लीगल सरकार के पास है ?

श्री गंगा राम चौधरी : उसके आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। अभी इसकी सूचना नहीं है।

श्री जुझार सिंह : क्या यह सही है कि इन्टरप्रिटेशन में टर्म्स आफ स्टेन्डर्ड है उससे क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आफ लॉ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : सरकार इस सम्बन्ध में, जो कोई इल्लीगल ट्रान्सफर हुये हैं, कोई कदम उठा रही है, उन ट्रान्सफर्स को रोकने के लिये ?

श्री गंगाराम चौधरी : रजिस्ट्रेशन नियमों में जैसा प्रावधान होगा, वैसा किया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये क्या कार्यवाही करेंगे जो सम्बन्धित मंत्री हैं उन्होंने ही जमीन खरीदी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकर लाल।

डोडा पोस्त की होलसेल की दुकान।

528 **श्री शंकरलाल (जैतारण) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में डोडा पोस्त की होलसेल दुकान जो सोजत सिटी के नाम से मार्च, 1967 में नीलाम की गई थी उसको सोजत सिटी से हटाकर मारवाड़ जंक्शन स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से और किन नियमों के तहत तथा कब और क्यों किया गया ?

(2) क्या इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरा दास माथुर) : (1) 1967–68 के लिये दुकान सोजत सिटी के बजाय मारवाड़ जंक्शन के नाम से ही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नीलाम की गई थी।

श्री शंकर लाल : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : (आबकारी मंत्री जी की ओर मुखापेक्ष) सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : सन् 1967-68 के लिये दुकान सोजत सिटी के बजाय मारवाड़ जंक्शन के नाम से ही जिला अधिकारी द्वारा नीलाम की गई थी। इस प्रकार के स्थान परिवर्तन के लिये जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी आयुक्त से जो आदेश लेने चाहिये थे, नहीं लिये गये थे। सम्बन्धित आबकारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के कारण वे इस समय निलम्बित है। उक्त अनियमितता के लिये भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी नहीं।

श्री शंकर लाल : क्या यह दुकान वापस सोजत सिटी के नाम से कर दी जायगी जो मारवाड़ जंक्शन को स्थानान्तर की गई है?

श्री मथुरा दास माथुर : 31 तारीख तक तो मारवाड़ जंक्शन के नाम से और आगे 31 तारीख बाद पर विचार करेंगे।

श्री शंकर लाल : यह मारवाड़ जंक्शन के नाम की गलती की गई है, सोजत सिटी के नाम से होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : आबकारी अधिकारी को आबकारी आयुक्त से आज्ञा लेनी चाहिये थी, वह नहीं ली। इसलिये अनियमितता हुई है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

देसूरी के तहसीलदार की मृत्यु के पश्चात् उसकी पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

529. **श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देसूरी के तहसीलदार (जिला पाली) श्री सुखराज मेहता का देहावसान ता० 26 दिसम्बर, 1963 ई० को हुआ था परन्तु उनकी पारिवारिक पेन्शन का भुगतान अभी तक भी उनकी विधवा पत्नी श्रीमती चांदकुंवरी को नहीं किया गया है?

(2) उपयुक्त पेन्शन हेतु जिलाधीश पाली और रजिस्ट्रार बोर्ड आफ रेवेन्यू अजमेर को कब कब और कुल कितने कितने आवेदन पत्र श्रीमती चांदकुंवरी (विधवा श्री सुखराज मेहता) से प्राप्त हुये? उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही कब कब की गई?

(3) क्या इस सम्बन्ध में जन अभियोग निवारण विभाग को भी कोई आवेदन मिला था? यदि हां, तो इस विभाग से इस जन अभियोग का क्या निवारण किया गया?

(4) क्या यह सही है कि सुखराज मेहता (तहसीलदार देसूरी) का सेवा अभिलेख (सर्विस रेकार्ड) ही गायब है? यदि हां, तो इसके लिये क्या स्व० श्री मेहता की विधवा पत्नी उत्तरदायी है? यदि स्व० श्री मेहता की विधवा पत्नी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है तो उन्हे यह पेन्शन अभी तक क्यों नहीं दी गई?

(5) सेवा अभिलेख गायब होने के लिये क्या कोई दोषी नहीं है? यदि है, तो कौन दोषी है और इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(6) कब तक यह पेन्शन दे दी जायगी।

Page No. 5

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णतया सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

मान्यता प्राप्त स्वंय सेवी संस्थाये

530 **श्री गंगासहाय (कठुमर सु०):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में कार्य करने वाली कितनी मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाये इस समय कार्य कर रही हैं ?

(2) इनको गत पांच सालों में कितनी कितनी सहायता (अनुदान) दी गई है ? जिले वार बतलाने की कृपा करें।

उप मंत्री गृह (श्री खेत सिंह) : (1) राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में कार्य करने वाली 13 मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाये इस समय कार्य कर रही हैं।

(2) इनको गत पांच सालों में जितनी जितनी सहायता (अनुदान) स्वीकृत हुआ है उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 531

श्री दौलतराम सारण।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 532

श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 533

श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 534

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

फेमिन कोड।

534. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रायः अकाल का प्रकोप होता रहता है ?

(2) फेमिन कोड किस साल का बना हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि फेमिन कोड पुराने जमाने का होने के कारण आज के समय में पूर्ण रूपेण उपयुक्त साबित नहीं हो रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी कारण फेमिन कोड को रिवाइज करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी ?

(5) उस कमेटी ने खास खास क्या सिफारिशें की ? और किस साल में की ?

(6) उन सिफारिशों पर अमल किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

सिफारिशों के बाद कितनी बार अकाल पड़े ?

(7) उक्त कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ?

उप मंत्री-राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, अभाव स्थिति का प्रकोप प्राय: राज्य के किसी किसी भाग में होता ही रहता है।

(2) फेमिन कोड सन् 1962 का बना हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, अकाल संहिता को आज की प्रशासकीय व्यवस्था को देखते हुए सभी प्रकार की आकस्मिक विपत्तियों से उत्पन्न अभाव स्थिति में सहायता व्यवस्था के लिये और अधिक व्यापक बनाने के लिये उक्त कमेटी बनाई गई थी।

(5) उक्त समिति ने कई प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए अपना प्रतिवेदन दिनांक 26-9-66 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया।

(6) उक्त प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है। अत: अभी पुराने कोड के अनुसार कार्य हो रहा है। सिफारिश के बाद 1966-67 व 1967-68 के वर्ष अकाल के हुए हैं।

(7) प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। अत: अभी सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस प्रतिवेदन में खास खास क्या सिफारिशें की गईं ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह डिटेल्स का प्रश्न है, यह अभी तक ड्राफ्ट फेमिन कोड है जो मंत्रि मंडल के विचाराधीन है।

श्री रोशन लाल : इस पर कब तक विचार पूरा हो जायगा ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मंत्रि मंडल सचिवालय ही बता सकता है :

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह फेमिन कोड जो आपने 62 का बताया वह तो अमेन्डेड है वैसे मूल ब्रिटिश शासन काल का है ?

श्री परसराम मदेरणा : ब्रिटिश राज्य का अलग था। कांग्रेस राज्य के वक्त का है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो हमारे यहां फेमिन कोड चला आ रहा है उसमें स्त्रियों और पुरुषों को जो रोजाना मजदूरी दी जाती है भिन्न भिन्न है। जबकि भारत भी इन्टरनेशनल कानून के मुताबिक जिसका सदस्य है उसके मुताबिक क्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम मजदूरी दी जा सकती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : औरतें कम काम करती है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका संबंध इस प्रश्न से नहीं। आपने जो सूचना मांगी वह दे दी गई। कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिये – इस सम्बन्ध में सदन में कई दफा चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पी०डब्ल्यू०डी० और इरिगेशन विभाग में पुरुषों और स्त्रियों को बराबर वेजेज मिलती हैं फिर फेमिन कोड में कम क्यों दिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह विचाराधीन है। वैसे औरतें गेंची, फावड़े चला नहीं सकतीं क्योंकि उनका शरीर कोमल है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: फेमिन के कामों में ही कम जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरे विभागों में बराबर दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह औरतों के समानाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर! माननीय सदस्या।

पेन्शनर राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा तथा पढ़ाई आदि की सहूलियतें

535. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि पेन्शनर राज्य कर्मचारियों को मेडिकल फेसिलिटी व उनके बच्चों की पढ़ाई में राज्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सहूलियतों से वंचित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों को दी जाने वाली वाजिब सहूलियतें चालू करने का विचार रखेगी ?

(3) राज्य कर्मचारियों को तनख्वाह के अलावा किस प्रकार की और सहूलियतें सरकार द्वारा दी जाती रही हैं और इनमें से पेन्शन के बाद कितनी कितनी रकम कम कर दी जाती है ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री विश्वंभरनाथ जोशी) : पेन्शनरों को राज्य कर्मचारियों के समान सुविधायें कभी भी नहीं दी गई थी अतः उन्हें उनसे वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य कर्मचारियों को वेतन के अलावा मिलने वाली सुविधायें निम्नलिखित हैं। सेवा निवृत होने के पश्चात कुछ अंश तक मंहगाई भत्ते के अलावा और कोई सुविधा नहीं मिलती।

1. मंहगाई भत्ता

2. स्वयं एवं परिवार की मुफ्त चिकित्सा।

3. 400 रुपये से कम वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को

(I) शहरी भत्ता (केवल जयपुर में)

(II) बच्चों को मुफ्त शिक्षा।

4. किराये के मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, माउन्ट आबू स्थानों पर)

5. सवारी क्रय एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम।

श्री जुझारसिंह : पेन्शनर्स को मेडिकल फेसिलिटीज क्यों नहीं देते जब कि वृद्धावस्था में मेडिकल फेसिलिटीज का मिलना बहुत आवश्यक है ? क्या आप मेडिकल फेसिलिटीज इनको देने का विचार रखते हैं ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : पेन्शनर्स को मेडिकल फेसिलिटीज अभी नहीं देते और आयन्दा भी देने का विचार नहीं रखते। असलियत में सेवा से मुक्त हो जाने के बाद सामान्य नागरिक की श्रेणी में आ जाता है इसलिये स्पेशल कन्सेशन की आवश्यकता नहीं है। पेन्शन जीवन निर्वाह के लिये जरूर मिलती है। पिछले वर्षों में महंगाई अधिक होने से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था।

श्री अध्यक्ष : आप मेडिकल तक ही रखिये।

श्री जुझारसिंह : रिटायरमेन्ट के बाद फेसिलिटीज नहीं दें और सर्विस में हों तो दें। उसके बाद जब ज्यादा आवश्यकता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री विश्वंभर नाथ जोशी : यह संभव नहीं है और न किसी भी राज्य में दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

कोटा में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को सरकारी बंगले।

536. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे कितने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को सरकारी बंगले निवास के लिये मिले हुए हैं ? कृपया उनके नाम व मासिक किराया बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त इन्जीनियर्स में से कई ने निजी मकान कोटा में बनवा लिये हैं व उनमें किरायेदार रहते है ? अगर हां, तो उनके नाम बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि किसी इटली में शिक्षण पर गये असिस्टेन्ट इन्जीनियर का परिवार सरकारी बंगले में रह रहा है ? अगर हां, तो किसका, कब से, किस किराये पर व क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम प्रसाद लड्ढा) (1) नहर वृत्त कोटा में चार अधिशासी अभियन्ताओं को सरकारी बंगले निवास के लिये मिले हुए हैं, उनके नाम व मासिक किराया निम्न प्रकार है:—

श्री सौभागसिंह कालरा	67 रु. मासिक	
श्री रावत सिंह	64	,,
श्री सोमराज वंशी	64	,,
श्री त्रिलोकीनाथ	70	,,

(2) जी हां। ये अधिशासी अभियन्ता श्री सौभाग सिंह कालरा तथा श्री रावत सिंह हैं।

(3) जी हां। श्री के. एल. नियाति सहायक अभियन्ता दिनांक 20-1-68 से इटली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्यालय मुख्य अभियन्ता राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध परियोजना कोटा से कार्य मुक्त हुए हैं तथा उनसे बंगले का किराया नियमानुसार लिया जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसके खंड में कितने नाम बताये ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : चार नाम बताये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: जिन व्यक्तियों ने अपना घरू मकान बना लिया, घरू मकान के अन्दर तो किरायेदार रखे और सरकार से कन्शेसनल रेट पर लें- यह कहां तक उचित है ?

श्री राम प्रसाद लढ्ढा : वास्तव में यह बात ठीक नहीं इसी वजह से नोटिस दिया गया कि सरकारी मकान को खाली करें।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित सिंह।

वन विभाग की काबिल काश्त भूमि

537. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन विभाग के अन्तर्गत जो सैकड़ों बीघा काबिल काश्त जमीन है, क्या सरकार उसको खेती के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई सक्रिय कदम उठा रही है ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस प्रकार की जमीन को जंगलात से रेवेन्यू में लेने के लिये काफी समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबद्ध कानूनों में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ताकि इस प्रकार की जमीन काश्तकारों के लिए जल्द उपलब्ध हो सके ?

उप मंत्री, वन (श्रीखेतसिंह): (1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नीति निर्देश निर्धारित किये हुए हैं।

(2) जी हां, किन्तु इसके लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : यह नीति कब निर्धारित हुई थी ?

श्री खेतसिंह: राज्य सरकार के आदेशानुसार एस०एफ० 7 (317) ख 21-11-60।

श्री रोशन लाल : यह निति निर्धारित होने के बाद कलेक्टर और उप सचिव द्वारा दो आदेश और निकले हैं ?

श्री खेतसिंह : आपको यह मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर दूसरे प्रान्तों के मुकाबले बहुत कम जंगल है। कुल एरिया का 331 प्रतिशत जंगल होना चाहिये जब कि 11 प्रतिशत है और जिसमें महज चार प्रतिशत ही अच्छा जंगल है। इसलिए राज्य सरकार ने सोचा कि अब ज्यादा जमीन नहीं देनी चाहिये नहीं तो और स्थिति बिगड़ जायगी।

श्री रोशनलाल : सन् 60 में यह नीति बनी थी कि वन विभाग से जमीन निकाली जा सकती है। आज यह नीति इसलिये बनाई गई कि फोरेस्ट कम होने के कारण जमीन नहीं निकाली जा सकती ?

श्री खेतसिंह : मुख्य बात यह है कि जैसा कि आपको भी मालूम होगा 50 से लेकर 66 तक 96,831 एकड़ जमीन जंगलों से निकाल कर काश्त के लिए दी गई है।

श्री रोशनलाल : यह कौन कौन से जिलों से निकाली है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार चम्बल कमाण्डेड ऐरिया और इसी तरह से दूसरी जगह के अफोरेस्टेशन में लेने का विचार करती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ।

व्यास परियोजना

538. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के पानी के समुचित उपयोग हेतु व्यास परियोजना पर कुल कितने खर्च का अनुमान है और इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है ?

(2) इस योजना पर अब तक कुल कितना खर्चा हो चुका है और उसमें राजस्थान का अंशदान कितना है ?

(3) इस परियोजना से राजस्थान की कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और वह कब तक हो सकेगी ?

(4) इस परियोजना के सम्बन्ध में तीनों राज्यों के बीच खर्चे पानी का उपयोग विस्थापितों के पुनर्वास आदि के सम्बन्ध में क्या कोई इकरार हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) व्यास परियोजना की कुल अनुमानित लागत नवीनतम तखमीनों के अनुसार 221.56 करोड़ रुपये हैं। मगर डिवेल्यूएशन और डूब में आई भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण लागत बढ़ने की संभावना है। 221.56 करोड़ में राजस्थान का हिस्सा लगभग 97.85 करोड़ रुपया व्यास कन्ट्रोल बोर्ड के तदर्थ फैसले के अनुसार है।

(2) इस योजना पर 1966-67 तक लगभग 71.36 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। इसमें से राजस्थान का अंशदान लगभग 33.06 करोड़ रुपया है।

(3) इस योजना के पूरा होने पर राजस्थान नहर क्षेत्र के 28.75 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। तखमीने के अनुसार उपरोक्त सिंचाई की पूरी उपलब्धि 1977-78 तक होने की संभावना है। परन्तु यदि रुपये की कमी के कारण निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ तो सिंचाई उपलब्ध होने में भी विलम्ब हो सकता है।

(4) खर्चे के सम्बन्ध में व्यास कन्ट्रोल बोर्ड का तदर्थ फैसला (Adhoc decision) खोसला कमेटी की सिफारिश से सम्बन्धित उद्धरण तथा पानी के उपयोग के सम्बन्ध में 1955 की इन्टर स्टेट एग्रीमेंट की प्रतियां परिशिष्ट क, ख, व ग पर संलग्न हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में मामला अभी विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह इरीगेशन बेनिफिट जो है उसके सम्बन्ध में 55 में एग्रीमेंट हुआ उसके पश्चात् अब तक अन्तिम निर्णय लेने में और सभी सरकारों के बीच में व्यास योजना के सम्बन्ध में इकरार लिखित में हुआ है क्या ? कोई एग्रीमेंट हुआ स्टेटों के बीच में ?

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : 55 में इन्टर स्टेट डिसीजन हुआ वह कान्फ्रेन्स में हुआ था जिससे उस समय की पार्टीसिपेटिंग पार्टीज सहमत थीं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : संबन्धित स्टेटों और भारत सरकार के बीच में लिखित

में होकर जिसको कन्ट्राक्ट कह सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि भविष्य में आपस में राज्यों के सम्बन्ध ठीक रहें और राजस्थान को उसके कारण लाभ मिले, हानि न हो–इस दृष्टि से एग्रीमेंट होना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे शेयरिंग ऑफ कास्ट का जैसा खोसला कमेटी की रिकमण्डेशन के मुताबिक जो शेयरिंग ऑफ बेनिफिट का मामला 55 के एग्रीमेंट के मुताबिक हो रहा है इसकी रोशनी में उसके फाइनल होने पर एग्रीमेंट होगा। उस समय एग्रीमेंट इन सारी चीजों का हो सकेगा।

श्रीसतीश चन्द्र अग्रवाल : इस योजना से राजस्थान को सबसे पहले कब लाभ मिलना शुरू होगा सिंचाई और बिजली दोनों दृष्टि से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान को लाभ मिलना शुरू हो गया है, चाहे वह थोड़ी मात्रा में हो। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि मंगला डैम के बन जाने से कुछ पानी की उपलब्धि भारत को हो रही है और इसमें से वह पानी राजस्थान को भी उसके हिस्से के मुताबिक मिलने लग गया है। मिसाल के तौर पर इस साल भी करीब 200 क्यूसेक पानी जो तारीख निश्चित है उन पर मिला है।

जहां तक बिजली का सवाल है यूनिट नम्बर दो के बनने पर ही मिल सकता है या यूनिट नम्बर ? के बनने पर। उनके बनने की तरक्की के बारे में धनाभाव से समय समय पर उनकी जो निश्चित तारीखें थी वे आगे बढती रही हैं इसलिये अभी तक मैं तहकीक तौर पर सदन में यह कहने की पोजीशन में नही हूं कि अमुक साल इसकी बिजली मिल ही जावेगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न और है यह यूनिट नम्बर एक का क्या यह सही है कि इसमें पंजाब का शेयर है वह 85 परसेन्ट है और राजस्थान का 15 परसेन्ट ही है ? तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिस परियोजना में लगभग 221 करोड़ में से 97 करोड़ के लगभग यानि आधे के लगभग हमारा भाग है उसमें हमें इसी रेशो से मिलन चाहिए ? 85 परसेन्ट और 15 परसेन्ट का क्या इस दृष्टि से कोई आधार है ? क्या इसे आप उचित समझते हैं ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इसका आधार है और उसके बाद में वर्क आउट किया हुआ है और वर्क आउट करके शेयरिंग आफ कास्ट में 20 परसेन्ट पावर में खोसला कमेटी ने रिकमण्ड किया है और इसके अन्दर यह बताया है कि जो आगे पैराग्राफ है उसमें जो प्रपोर्शन था उसमें उपलब्ध पावर के अन्दर 15 परसेन्ट शेयर कायम किया था उस पर खोसला कमेटी ने कहा कि पावर इससे ज्यादा मिलेगा। इसलिये 20 परसेन्ट यूनिट नम्बर एक से मिलेगा और यूनिट नम्बर दो में 60 और 40 का रेशो है। कास्ट इसमें करीब 53 परसेन्ट ही आनी चाहिये थी पर खोसला कमेटी ने जिस वक्त राय दी थी कि 6/7 परसेन्ट ज्यादा इसलिये आया था कि बान्ध और

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

सारा काम काज दूसरी स्टेट के अन्दर हो रहा है और वहां पर काफी परेशानी होगी और लोगों को अदल बदल भी करना पड़ेगा इसलिये यह शेयर 53 परसेन्ट के बजाय 60 रक्खा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह चालीस और 60 तो दो नम्बर यूनिट की बात है मैं यूनिट नम्बर एक की बता रहा हूं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : बीस और 80 है इसकी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यूनिट नम्बर एक में 1:4 का रेशो है कास्ट के बारे में इस हिसाब से 20 और अस्सी पर पावर का डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये पर वह 15 और 85 है। वह 20 और 80 क्यों नहीं है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अभी तक हमें एडहाक बेसिस पर 15 दे रहे है, पर खोसला कमेटी ने 20 की सिफारिश की है। इसके मुताबिक जो पार्टीसिपेटिंग स्टेटों के बीच में एग्रीमेन्ट हो जावेगा जो कि चल रहा है। आगे मीटिंग में भी डिसकस हो रहा है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं यही तो कहना चाहता हूं कि खोसला कमेटी ने जो सिफारिश की थी 20 परसेन्ट और 80 परसेन्ट की तो वह क्यों नहीं मिलती, 15 ही क्यों मिल रही है ? इसका मतलब यह है कि खोसला कमेटी की रिकमण्डेशन पंजाब सरकार मान नहीं रही है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : पावर जो अपने को मिलेगा वह 15 परसेन्ट नहीं मिलेगा 15 परसेन्ट से ज्यादा मिलेगा और बीस परसेन्ट के आस पास मिलेगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : वह मिलने का सवाल नहीं है। आपके उत्तर में आपने साफ लिखा है 15 परसेन्ट के लिये। फिर बीस कहां से मिलेगा ? यह सीरियस क्वेश्चन है। 221 करोड़ की योजना, जिसमें 97 करोड यूनिट नम्बर 1 में हमने कास्ट का शेयरिंग किया। पर पावर का शेयर 15 और 85 ही हुआ। खोसला कमेटी की रिकमण्डेशन पंजाब सरकार मान क्यों नहीं रही है ? नहीं मान रही है तो राजस्थान सरकार सेन्टर का दबाव उस पर क्यों नहीं डलवा रही है ? क्या राजस्थान सरकार ने उदयपुर में व्यास परियोजना मण्डल की बैठक में इस प्रश्न को उठाया था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इसको उस समय उठाने की आवश्यकता नहीं थी। यह तो एडहॉक शेयरिंग आफ कास्ट ऑफ बैनिफिट का मामला है। यह प्रश्न उसके सामने विचाराधीन है। डिस्कस किया गया था लेकिन पंजाब वालों की तरफ से सारे फिगर और स्टेटिस्टिक्स वर्क आउट उस समय किये हुए नहीं थे इसलिये कोई स्थायी फैसला नहीं किया जा सका। अगली कमेटी में इस पर विचार किया जावेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को यह शंका हो सकती है कि बीस परसेन्ट कास्ट आवेगी तब पावर का शेयर 15 परसेन्ट है तो यह प्रपोर्शनेट क्यों नहीं है। यह शंका होना स्वाभाविक है। अभी 15 परसेन्ट एडहॉक बेसिस पर दे रहे हैं। खोसला कमेटी की राय बीस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

परसेन्ट की है। उसके बाद उसकी बात जब मानेंगे और दोनों पार्टीज मान लेंगी उसके बाद उसके आधार पर एडजस्टमेन्ट होगा तो हमारा पावर जो मिलने वाला है वह भी 15 परसेन्ट से अधिक बढ़ जावेगा।

श्री अध्यक्ष : 539। श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

ग्राम विरपुर के शक्कर के व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें

539. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा के गांव विरपुरा के शक्कर के व्यापारी द्वारा शक्कर की बोरियों में ऐसा पदार्थ मिलाने की शिकायत की गई थी जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक था ?

(2) क्या यह सही है कि यह शिकायत स्थानीय पंचायत द्वारा खाद्य निरीक्षक, उदयपुर को की गई थी ?

(3) उक्त व्यापारी कौन है और उसने कितनी बोरियों में हानिकारक पदार्थ मिलाया था ?

(4) उक्त व्यापारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री राम देव सिंह) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरपुरा। 3 बोरी शक्कर में।

(4) मिलावट का मामला होने के कारण जिलाधीश उदयपुर ने यह मामला आगामी कार्यवाही हेतु सहायक संचालक स्वास्थ्य विभाग को भेजा है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : यह कब कौनसी तारीख को भेजा ?

श्री रामदेव सिंह : 10 अक्टूबर, 67 को।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम देव सिंह : रिपोर्ट आ गई है। एक दो दिन में कार्यवाही हो जावेगी।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : यह मेरे क्षेत्र का मामला है, इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस केस को दबाया जा रहा है।

श्री राम देव सिंह : आज कल में होने वाली है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : क्या इस कार्यवाही में दिलचस्पी लेकर ऐसे करने वाले व्यापारी को सजा दिलाई जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो चालान करा सकते हैं, सजा नहीं दे सकते।

जंगलात विभाग के कर्मचारियों की मांगें

541. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष जंगलात विभाग के कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को कोई उनकी मांगों को लेकर

(श्री दिग्विजय सिंह)

नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो कब और मांगें क्या थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या फोरेस्ट गार्ड्स को उनकी मांगों के अनुसार सब फेसिलिटीज दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार ने उन मांगों में से कितनी मांगे स्वीकृत की ?

(4) क्या यह सत्य है कि अभी तक इन मांगों को लेकर राज्य सरकार व फोरेस्ट कर्मचारी संघ में बातचीत चल रही है ?

उप मंत्री, वन (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां जुलाई 66 में। मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। मांगे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) तीन मांगे स्वीकार कर ली गई। मांग संख्या 1, 14, 15।

(4) वाद विवाद तो नहीं बल्कि वार्तालाप जरूर चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह: 3 मागें स्वीकृत की गयी हैं वह कौन कौनसी हैं ?

श्री खेतसिंह: पहली मांग यह है कि फोरेस्टर को रेवेन्यू के पटवारी के बराबर ग्रेड दिया जाय जो दे दिया गया है। दूसरी मांग थी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होने चाहिए सेन्ट परसेन्ट। पहले फारेस्टर के अन्दर 50 परसेन्ट तो नये अपाइन्टमेन्ट्स होते थे और 50 परसेन्ट डिपार्टमेन्टल प्रमोशन्स होते थे अब फारेस्ट गार्ड्स से जितने प्रमोशन्स होंगे वह सेन्ट परसेन्ट विभागीय ही होंगे और तीसरी मांग यह थी कि हमारे चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट्स लोकल आदमी होने चाहिए। यह भी मन्जूर हो गयी है और अब राजस्थान के ही होंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: तो क्या यह मान कर चलें कि भविष्य के अन्दर चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट्स की नियुक्ति राजस्थान के व्यक्तियों की ही होगी ?

श्री अध्यक्ष: हाइपोथेटिकल।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मांग थी........

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि राजस्थान का होगा बस मानकर चलिये।

श्री दिग्विजय सिंह: फिर बाहर से आ जायेगा तो वही बात हो जायेगी।

श्री खेतसिंह: अब तो इन्डियन फारेस्ट्स सर्विस बन गयी है इसलिए आप चाहते हैं बिलकुल ही पार पड़ जाये-ऐसा मैं नहीं कह सकता। आशा है कि वह राजस्थान के ही हों।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवणलाल। प्रश्न संख्या 540।

पंचायत समिति महुवा की ऑडिट रिपोर्ट

540. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति महुवा का सन् 1965 का ऑडिट हो चुका है ?

Page No. 15

(श्री श्रवणलाल)

(2) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में किसी गबन का उल्लेख है ? यदि हां, तो गबन कितने का है ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य-मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां।

(2) जी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल: क्या यह सही है कि आपने उस आडिट रिपोर्ट को अपने विभाग के द्वारा जो एक्शन उन्होंने लिया है उसकी जानकारी कराई है?

श्री हीरालाल देवपुरा: रेकार्ड पर जो आक्षेप किये गये हैं उनके जवाब की तैयारी करवाई जा रही है और संबंधित अधिकारी को लिखा गया है।

श्री श्रवणलाल: क्या यह सही है कि जिस प्रकार से जो स्टेशनरी की पर-चेजेज की गई थी उसके अन्दर जो मित्र मंडल प्रेस भरतपुर का क्वेटेशन 19, 13 और 9 रुपये का था उसको मान्यता नहीं देकर और उसी फर्म का रजिस्टर छपा हुआ होने के कारण दूसरी फर्म के नाम से 25 और 4 रुपये की कीमत में लिया गया ?

श्री हीरालाल: प्रश्न में पूछा गया था कि क्या गबन किया गया है ? मैंने कहा 'जी नहीं'। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में यही पूछा था कि क्या इसके अन्दर कोई गबन हुआ है तो यह ऑडिट रिपोर्ट बहुत लम्बी चौड़ी है और कई जगह पर से मैं यह साबित कर सकता हूं कि इसी रिपोर्ट के अनुसार इसमें कई तरह के गबन हैं। जैसा मैंने बताया कि मित्र मण्डल प्रेस भरतपुर का 19,13 और 9 रुपये के क्वेटेशन थे। उसी प्रेस में छपी हुई है और उसी का क्वेटेशन है और दूसरे मेसर्स के नाम से यह रजिस्टर खरीदे गये। अध्यक्ष महोदय, इस रजिस्टर की कीमत 40 रुपये है, इसकी कीमत 50 रुपये है। यह 72 पेज का है। जो पास-बुक खरीदी गयी है यह 4 रुपये की है जब की उसी प्रेस का इसमें यह हवाला दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पढ़ कर सुनाऊंगा जिस प्रकार से आपने शब्दों को लिखा है ... .

श्री अध्यक्ष: यह आडिट रिपोर्ट का अंश है।

श्री श्रवणलाल: जी हां।

श्री अध्यक्ष: उसमें जितनी इर्रेगुलेरिटीज बताई गई हैं उसके लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महो-दय, उसके लिए जवाब मांगा है।

श्री भैरोंसिंह : 1965-66 की ऑडिट रिपोर्ट आपको कब मिल गयी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह 1965-66 की है और अगस्त 66 में इसका आडिट हुआ था और नवम्बर 66 में मिली थी।

Page No. 16

श्री भैरोंसिंह : नवम्बर 66 से लेकर अभी तक केवल आपने उनसे एक्सप्लेनशन ही मांगा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट्स के आक्षेपों का उत्तर पंचायत समिति द्वारा दिया जाता है और उन अनियमितताओं के लिए विभाग द्वारा अलग से जवाब के लिए लिखा जाता है और इस रिपोर्ट्स में कई गबन हैं जैसा माननीय सदस्य कहते हैं और कोई स्पेसिफिक बतायेंगे तो जरूर जांच कर ली जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी बातें नहीं हैं जिनकी तुरन्त जांच करवाये जाने की आवश्यकता हो ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, ग्राडिट रिपोर्ट में प्रश्न गबन के बारे में पूछा गया था और ग्राडिट रिपोर्ट आपके पास है और मेरे पास भी है । माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं साबित कर दूंगा लेकिन ग्राडिट रिपोर्ट में यह कहां लिखा है कि गबन किया गया है और जब गबन ही नहीं किया गया है तो स्पेसिफिक प्रश्न गबन के बारे में था । अब ऑडिट रिपोर्ट में जितने ग्राबजेक्शन्स होते हैं उसके लिए वहां के अधिकारी को लिखा जाता है कि वह क्या कहते हैं। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि बहुत बड़ी इर्रेगुलेरिटी है तो उनका जवाब आने के बाद यह मालूम हो जायेगा कि इर्रेगुलेरिटी है । अगर इर्रेगुलेरिटी है तो जरूर एक्शन लिया जायेगा आप पहले ग्राडिट रिपोर्ट में बता दें कि गबन हुआ है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि गबन नहीं हुआ है, घोटाले हुए हैं ।

श्री अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यही मामला है तो मैं चुप रह सकता हूं । इसमें अनेकों मामले हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसका संक्षेप में हल निकाल देता हूं । माननीय सदस्य जिनको गबन समझते हैं...

श्री भैरोंसिंह : इसमें टेम्प्रेरी मिस्एप्रोप्रियेशन लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जितने मामले आपको शंकास्पद लगते हैं उनके लिए आप उनको कह दें और वह उसमें इन्क्वायरी करा लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन यह है कि 66 में जब ग्राडिट रिपोर्ट मिल गई और माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की अनियमितताओं का उल्लेख बताया है उस तरह की अनियमिततायें थीं तो सरकार ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया और अब यह क्यों कहा जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन मांगा है और उसके बाद में कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष : आपने (श्री हीरालाल देवपुरा) इसकी इन्क्वायरी के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा है पंचायत समिति से ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : कितना अर्सा हो गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : डेट तो नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना बता दें कि क्या वह एक्सप्लेनेशन पंचायत एक्ट

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

के अन्तर्गत इन्क्वायरी के लिए लिखा है उसके अंतर्गत मांगा है या एडमिनिस्ट्रेटिवली मांगा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट के तहत में तो पंच और सरपंच और प्रधान वगैरह का मांगा जाता है। यह तो विकास अधिकारी के खिलाफ मामला है इसलिए इसमें पंचायत एक्ट के अन्तर्गत इन्क्वायरी का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जितने आपके आरोप हैं जो आडिट रिपोर्ट से आप को मिलते हों वह सब आरोप माननीय मंत्री महोदय को दे दें ताकि उसमें कोई जांच नहीं हुई है तो एडीशनल जांच करने का आदेश दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो इन्होंने तथ्य रखे हैं इसके विषय में हाउस यह जानकारी चाहता है कि गवर्नमेंट के पास इतने समय तक यह क्यों रहा जो भी मैथड इन्क्वायरी का प्रासीजर होता उसके अनुसार गवर्नमेंन्ट मूव करती। इससे तो ऐसा लगता है कि आडिट रिपोर्ट में उल्लेख आ जाये सरकार को चिंता नहीं, गड़बड़ घोटाले होते रहें सरकार को चिन्ता नहीं। प्रोटेक्शन देकर क्यों चल रही है सरकार ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फिर कानून में लिख दें कि जिस पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेसी होगा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शीशराम।

राजस्थान नहर लिफ्ट योजना

542. श्री शीशराम (सादुलपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर लिफ्ट योजना का तखमीना तैयार किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूनकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों के काफी गांवों के किसानों को इस योजना की क्रियान्विति से अकाल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा तथा इस इलाके की पेय जल समस्या का स्थाई हल भी हो सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर के कुओं के पानी का स्तर प्रतिवर्ष अधिक पानी की खपत से नीचे गिरता जा रहा है तथा एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कि शहर को अपनी आवश्यकता के लिए पानी मिलना बन्द हो सकता है ? यदि हां, तो उपरोक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु एवं शहर के आस पास बाग-बगीचे लगाने एवं उद्योग धन्धों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब ?

मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) लूनकरणसर, बीकानेर आदि के क्षेत्रों की लिफ्ट सिंचाई योजना पर तखमीना तैयार किया गया था लेकिन नवीनतम निर्णय के अनुसार लिफ्ट इर्रीगेशन की एक संशोधित योजना तैयार की गई है और उसका विस्तृत तखमीना तैयार किया जा रहा है।

Page No. 18

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(2) जी हां, अनेक गांव जो योजना के कमान्ड में आयेंगे उनमें सिचाई व पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल हो सकेगा।

(3) जी हां, समस्या के समाधान हेतु तथा लूनकरणसर से बीकानेर तक पीने, औद्योगिक तथा बाग बगीचों के लिए 100 क्यूसेक्स की क्षमता की चेनल के निर्माण करने की योजना भी है। उपर्युक्त धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त योजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री केदारनाथ : क्या प्लानिंग कमीशन ने इसकी टेक्निकल एप्रूवल दे दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी तो डिटेल्ड सर्वे किया जा रहा है। तखमीने बनाये जा रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : तखमीना बनाने में कितना अर्सा लग जायेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ज्यादा समय नहीं लगेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : तो भी कितना समय लगेगा ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री शीशराम : इस योजना के लिए कितनी राशि दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस योजना में 6 करोड़ 70 लाख रुपये लगेंगे।

चूरू में स्वर्णकार को स्थायी तौर पर दी गई भूमि

543. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू में सीताराम वल्द मिरजामल, जाति स्वर्णकार को कार्यालय तहसीलदार चूरू द्वारा 15-9-65 को आदेश नं० 1671 का हुक्म पत्र संख्या एफ. 6 (104) राज/ख/63 दिनांक 18 जनवरी 1965 राजस्व (ख) विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा 20 बीघा जमीन स्थायी तौर से दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि अब उस जमीन को ठीक कर देने के बाद उक्त आदेश को रद्द करने का कोई हुक्म दिया गया है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसीलदार चूरू द्वारा श्री सीताराम वल्द मिरजामल को चूरू में भूमि अलॉट की गई थी। राज्य सरकार का पत्र संख्या एफ. 6 (104) राज/ख/63 दिनांक 18-1-65 के एक परिपत्र है और राज्य सरकार को 20 बीघा भूमि अलॉट करने का कोई आदेश नहीं दिया।

(2) इस प्रकार की कोई सूचना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है कि प्रार्थी ने भूमि को ठीक किया है। यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र की 2 मील की परिधि में थी जिसे अलॉट करने की तहसीलदार को अधिकार नहीं। जिलाधीश की सिफारिश के अनुसार राज्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

सरकार द्वारा इस अलाटमेंट को रद्द करने के आदेश दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी करना चाहती हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : 544. आगे ले लिया मैंने, माननीय सदस्या।

भारत पाक संघर्ष के दौरान मृत, अपाहिज, अपंग एवं जीवकोपार्जन के लिये अयोग्य कर्मचारियों की पेन्शन

544 श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ० 1 (12) एफ० डी० (ई० आर०) 64 दिनांक 29 अप्रेल 1967 के अनुसार भारत पाक संघर्ष में मृत, अपाहिज अपंग एवं जीविकोपार्जन के अयोग्य किन किन कर्मचारियों को पेन्शन में कितनी कितनी वृद्धि की गई है और किस किस की नहीं और क्यों ?

(ख) इस आदेश से 5 अगस्त 1965 के पश्चात् के कर्मचारियों के अतिरिक्त इसके पूर्व सीमा सुरक्षा के कारण मृत, अपाहिज एवं इस ही प्रकार की स्थिति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी गई ?

(ग) राज्य में डाकुओं एवं अन्य समाज विरोधी तत्वों के मुकाबले में मारे जाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यह बतायें कि दोनों प्रकार के नियमों में क्या अन्तर है ?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : (क) महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ० 1(12) एफ.डी. (ई.आर.) 64 दिनांक 29-4-67 के अन्तर्गत अभी तक किसी भी सिविल कर्मचारी को बढ़ी हुई पेन्शन स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) यह आदेश भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रसारित किये गये हैं। 5 अगस्त 1965 के पूर्व सीमा सुरक्षा के कारण मृत, अपाहिज एवं इस ही प्रकार की स्थिति प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई आदेश प्रसारित नहीं किये हैं। अतः राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की इसी नीति का अनुसरण किया है।

(ग) वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. 1 (74) एफ.डी. (ई.आर.)65 दिनांक 31-12-65 के जारी किये गये आदेशों की प्रति संलग्न है। इन आदेशों के अन्तर्गत मृतक कर्मचारी के परिवार को निम्न परिलाभ दिये जाते हैं :

(1) मृतक के बच्चों को राजकीय स्कूलों-कालेजों में अल्प वेतनभोगी कर्मचारी के बच्चों को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा की सुविधा।

(2) मृतक के दाह संस्कार पर किये गये व्यय का 100 रुपये तक पुनर्भरण।

(3) मृतक कर्मचारी के अन्तिम इमाल्युमेंट्स के बराबर फेमिली पेन्शन, जो उस

Page No. 20

(श्री विशम्भर नाथ जोशी)

समय तक मिलती है जब तक कि यदि राज्य कर्मचारी जीवित होता तो सेवा निर्वतन की आयु पर पहुंचता। तत्पश्चात् मृतक कर्मचारी की वेतन श्रृंखला की उच्चतम सीमा की आधी राशि के बराबर फेमिली पेन्शन।

(4) आठ महीनों के इमाल्यूमेंट्स के बराबर ग्रेचुइटी।

तारीख 29-4-67 के आदेशों के अनुसार मृतक के वेतन का 2/3 की दर से पारिवारिक पेन्शन 7 वर्ष तक के लिये तथा तत्पश्चात् साधारण नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली पेन्शन की राशि से डेढ़ गुना पेन्शन जो अधिक से अधिक मृतक के अंतिम वेतन से 2/3 तक सीमित है-दी जाती है। (सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा राज्य-सरकार से पेन्शन में वृद्धि करने की सिफारिश की है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : कौनसी रिपोर्ट ? सुन नहीं पाया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि महालेखाकार ने ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ए. जी., ए. जी.।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को यह सिफारिश की है कि पेन्शन में वृद्धि की जाये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : नहीं की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह जो आपने फौजी आदमियों के लिये रिपोर्ट पुलिस के आदमियों के लिये····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई मेगाफोन लगा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहे।

क्या राज्य सरकार ने इस बात की तुलनात्मक जानकारी की है कि राजस्थान के पुलिस कर्मचारी जो डाकुओं और समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला करते हुए मारे जाते हैं उनको राज्य सरकार से जो परिलाभ मिलता है उनकी तुलना फौज के मुकाबले में कितनी कम है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं 1965 में राज्य सरकार द्वारा, वे ज्यादा जो लिबरल हैं और पुलिस कर्मचारियों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने यह कहा कि इस आदेश से 1965 के पश्चात् जो इस प्रकार से अपाहिज हुए हैं उन लोगों को ही सहूलियत देने की व्यवस्था की है। तो 1962 में जब चीन और भारत के बीच झगड़ा चला था, तो क्या उस समय जो पाकिस्तान और चीन से किये गये युद्ध में जो हमारे आदमी मारे गये, उनको इस व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ऐसा है कि यह जो भी आदेश जारी किया गया है, वह····

कई माननीय सदस्य : वह क्या होता है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने पूछा है 5 अगस्त 1965 से पहले वालों के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से जो आदेश आये हैं वे 5 अगस्त के पश्चात् के लोगों पर लागू होते हैं और इस प्रकार राज्य सरकार ने भी उस तारीख के बाद वाले लोगों के लिये किया है और पहले के केसेज को कोई बेनेफिट नहीं मिल सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या राज्य सरकार ने कभी भारत सरकार से इस बारे में पूछा भी है कि 1965 के पश्चात मरने वालों को जो सहूलियत दी जा रही है वह 1962 में मरने वालों को क्यों नहीं दी जावे !

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : 1965 से ·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्हें जबाब देने दीजिये, ट्रेनिंग कैसे होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : 1962 में जो चीन और पाकिस्तान से संघर्ष में मारे गये थे या अपाहिज हो गये थे उन लोगों के लिए भी विचार करके वैसा ही करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राम किशन

श्री राम किशन : यह आश्वासन देने का अधिकार नये भरती किए हुए मन्त्रियों को नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ? बड़ी जिम्मेदारी का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या प्रोबेशनर्स द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हम विश्वास न करें ? वे क्या मान्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : वे भी मान्य होते हैं।

श्री राम किशन।

भरतपुर में चने के आयत के लिए परमिट

545. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में बाहर से यानि राजस्थान के अन्य जिलों से चने के आयात के लिए कुल कितने परमिट किस किस व्यापारी को जुलाई 1967 से दिसम्बर 1967 तक दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने और उसमें व्यापारियों के पूर्ण पत्ते भी अंकित करने की कृपा करें।

(2) आयात किये हुए चने को किस प्रकार जनता में बंटवाने की व्यवस्था की गई और कितने का वितरण हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि परमिट से आयातित चना काफी तादाद में उत्तर प्रदेश को चोरी से निकाला गया है ?

(4) क्या इसके निमित्त कोई आरोप पत्र सरकार के पास जनता से पहुंचे हैं ? अगर हां, तो क्या उनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ ? अगर जांच नहीं कराई, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) शहरी क्षेत्रों में वितरण राशन कार्डों के द्वारा कराया गया व ग्रामीण क्षेत्रों

Page No. 22

(श्री रामदेव सिंह)

में 20 किलो तक रिटेलर स्वयं ही व 20 किलो से ऊपर सरपंच, तहसीलदार या अन्य अधिकारी की तस्दीक पर वितरित किया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, जांच करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री रामकिशन : आपने जो (3) और (4) का जवाब दिया है इसमें मोदी लाल जैन एन्ड कम्पनी, भरतपुर और मोदी लाल जैन एन्ड कम्पनी, बयाना, इनको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट सब कमेटी जो भरतपुर में 1967 में बैठी थी उन्होंने फैसला किया कि चने को आयात करने के आदेश दिये जायें। इस प्रकार के आर्डर्स वहां के कलेक्टर को दिये गये। जब बाद में कलेक्टर ने देखा कि चना ज्यादा आ गया है तो उन्होंने 16 अक्टूबर को आदेश निकाला कि मैंने परमिट तो इश्यू कर दिया है लेकिन फिर भी चना आयात नहीं करने दिया जाये। इसके बाद जब ये लोग 7 नवम्बर को चना वहां ले आये तो कलेक्टर ने सीज कर लिया और मुकदमा बना लिया।

श्री रामकिशन : उन्होंने जब दिसम्बर तक चना आयात करने की इजाजत दे रखी थी तो फिर परमिट को रद्द क्यों किया ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसके डिटेल्स तो नहीं मालूम।

श्री रामकिशन : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वह चना यू. पी. जा रहा था और कलेक्टर ने जब.....

श्री परसराम मदेरणा : यू. पी. जाने का प्रश्न नहीं है, वह भरतपुर में आया था। फूड-ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर की धारा 12 के मुताबिक चना वह ही ला सकता था जिसको कलेक्टर ने परमिट दी हो। कलेक्टर ने 16 अक्टूबर को मनाकर दिया कि कोई भी चना आयात करने नहीं दिया जायगा। यह चना 7 नवम्बर को भरतपुर में आया था, तब कलेक्टर ने सीज कर लिया कि जब मना कर दी थी तो आप कैसे ले आये, तो यह आफेंस बनता है।

श्री रामकिशन : यही तो जानकारी चाहिये। यह आम तौर से शिकायत है कि धौलपुर के जो व्यापारी थे वे आगरा और यू. पी. चना भेज रहे थे। तो यह आप कैसे कहते हैं कि चना नहीं गया ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई।

श्री रामकिशन : वहां की फूड कमेटी का रिजोल्युशन......

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला जब कलेक्टर के ध्यान में आया तो कलेक्टर ने उस पर ऐक्शन ले लिया। मोदी लाल बाहर से कोई स्मगलिंग करके चना ला रहे थे या ले जा रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रामकिशन : इसके अलावा गंगापुर के व्यापारियों को कुछ को गिरफ्तार किया गया था वह किस अपराध में किया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपने प्रश्न में उनके बारे में नहीं पूछा है। जो आपने पूछा या उसका बता दिया। गंगानगर के किन व्यापारियों को और कहां पर अरेस्ट किया गया है वह जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री रामकिशन : करोड़ों रुपयों का ब्लेक हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : जो लाइसेंसिंग आर्डर के खिलाफ कार्यवाही करते हैं? उसको वायलेट करते हैं उन पर ऐक्शन लिया जाता है। गंगानगर वाली ने वायलेट किया होगा तो उन पर एक्शन लिया गया होगा। कलेक्टर भरतपुर ने स्मगलिंग मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया। जिन्होंने लाईसेंसिंग आर्डर की खिलाफत की है उनके खिलाफ एक्शन लिया है।

श्री रामकिशन : दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट मेरे पास आई है उस में कुछ पार्टीज के नाम नहीं दिये गये है। एक ही पार्टी को क्यों कई बार परमिट दिये गये हैं? जहां खाली छोड़ दिया गया है वहां क्या है? खास तौर से डीग सब डिविजन में किसी एक ही व्यापारी को लगातार परमिट दिये गए हैं और वह उत्तर प्रदेश में निकालता रहा है, उसका नाम क्यों नहीं दिया? लिस्ट तो दे दी लेकिन मैंने पूछा था कि उनका पूरा नाम व पता दिया जाय लेकिन उसमें आपने खाली भरतपुर लिख दिया और कहां कहां उसको परमिट दिया गया है उसको सूची में क्यों नहीं लिखा?

श्री अध्यक्ष : फिल-अप कर दें खाली हो तो।

श्री रामकिशन : फिल-अप करने का प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ब्लैक का प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कैबिनेट का यह डिसीजन था कि प्राइवेट ट्रेडर्स से भरतपुर को चना भिजवा दिया जाय 5 हजार टन चना। उसके कलेक्टर ने परमिट इश्यू किये 2900 टन के और उसके बाद में परमिट इश्यू करना बन्द कर दिया, तो 2900 टन चने के जिनको परमिट इश्यू किये गये थे उन पार्टीज के नाम सूची में है और वह सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी। इस स्थिति में कोई नाम रह गया हो तो आप बता दें। मैं मालूम कर लूंगा।

श्री रामकिशन : आपने नं० 4, 26, 27, खाली छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष : इसको करेक्ट कर दें।

प्रश्न संख्या 546

श्री विट्ठल भाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नापासर में कृषि भूमि क्षेत्र की गोचर भूमि का भूमिहीनों को आवंटन

547. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नापासर, जिला बीकानेर की कृषि भूमि क्षेत्र में जो करीब 10,000 (दस हजार बीघा गोचर भूमि पड़ी है उसको पुख्ता गोचर करार दिया गया है? यदि हां, तो किस तारीख से?

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)

(2) क्या उक्त गोचर भूमि को जिसमें किसी प्रकार का घास फूस, चारा आदि नहीं उगता है, सरकार भूमिहीनों को देने की सोच रही है ? यदि हां, तो एलॉटमेंट कब तक करेंगे ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) (1) ग्राम नापासर, तहसील बीकानेर में 10,000 (दस हजार) बीघा भूमि दिनांक 17-9-64 को गोचर करार दी गई है।

(2) उक्त गोचर भूमि में ऐसी कोई भूमि नहीं है जिसमें कि घास पैदा नहीं होता है अतः आवंटन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : यह जमीन कितने बीघा बताई है, साहब ?

श्री गंगाराम चौधरी : सुनाई नहीं दिया

श्री अध्यक्ष : कितने बीघा बताई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : 10,000 बीघा भूमि है।

श्री चुन्नी लाल इंदलिया : यह भूमि कैसी रखी गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : गोचर के लिए।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, 10,000 बीघा गोचर के लिए रखी गई है तो गोचर भूमि के नाम से कितने पशुओं पर कितनी गोचर जमीन होती है और इस ग्राम पंचायत में कितने पशु हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : नारमली आधा बीघा प्रति पशु छोड़ी जाती है, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं कहते हैं कि वहां पर घास नहीं होता है तो वहां पर काश्त कैसे होगी और भी कुछ पैदा नहीं होगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : घास का सवाल नहीं है वह दूसरा सवाल है। पहले मैं यह जानकारी चाहता हूं कि एक एक पशु के पीछे कितनी जमीन गोचर की होनी चाहिए, और उस गांव में 10,000 बीघा जमीन छोड़ी गई है तो वहां पर पशु कितने हैं, और उस हिसाब से कितनी गोचर भूमि होनी चाहिए ? 10,000 बीघा जमीन कितने पशुओं के पीछे होनी चाहिए, और कितनी गोचर भूमि को आप वहां मान्यता देते है।

श्री गंगाराम चौधरी : यदि सम्बन्धित पंचायत का इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आयेगा कि वहां पर गोचर भूमि ज्यादा है और अतिरिक्त भूमि को आंवटन हेतु रिलीज कर दिया जाय तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : क्या यह सही है कि भूमिहीन काश्तकारों के तहसीलदार के पास आवेदन पत्र पड़े हुए है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। अलग से प्रश्न।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष, यह बड़ा गम्भीर मसला है और खाद्य-स्थिति को देखते हुए भूमि का आवंटन बहुत जरूरी है। वहां पर जो भूमिहीन हरिजन हैं वे उस पर काश्त करना चाहते हैं। वहां

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पर फालतू जमीन पड़ी हुई है और राज्य सरकार के पास बार-बार ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भेजे हैं कि फालतू जमीन को काश्तकारों को दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को जो भ्रान्ति है और जो तथ्य उन्होंने रखे हैं गोचर भूमि के सम्बन्ध में यदि उनके कथनानुसार तथ्य ठीक हैं तो परीक्षण कर लिया जाना चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जरूर कर लिया जायगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कब तक कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री रतनलाल !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसमें जांच की जरूरत नहीं है। गांव में कितने पशु हैं और कितनी भूमि है मंत्री महोदय अपना दिमाग लगायें तो मालूम हो जायगा।

प्रश्न संख्या 548

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

पंचायतों को दी गई भूमि

549. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों को पन्द्रह-पन्द्रह बीघा भूमि दी गई है यदि हां, तो जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी पंचायतों को भूमि दी गई है और कितनी पंचायतों को नहीं दी गई है और क्यों ?

(2) जिन पंचायतों को 15 बीघा भूमि एलॉट हो चुकी है व जिसको अब तक नहीं हुई है उनके नामों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुवालाल।

ग्राम पंचायत गाड़ोता को कूप निर्माण के लिये दी गई धनराशि

550. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गाड़ोता, पंचायत समिति दूदू को पंचायत समिति से (1) सार्वजनिक रैगरान कापड़ियावास कूप निर्माण हेतु 500) रु० (2) पंचायत भवन गाड़ोता हेतु 2000) रु० (3) सार्वजनिक कूप निर्माण नासनोती 500) रु० (4) अनुसूचित जन-जाति कूप निर्माण कापड़ियावास कलां हेतु 2000) रु० व (5) तालाब विकास गाड़ोती के 2000) रु० मिले हैं ?

(2) उक्त राशियों का भुगतान किसके नाम पर किया गया था ? क्या राशि प्राप्त

(श्री सुवालाल चौधरी)

करने वाले की रसीद है ? तथा भुगतान किस-किस तारीख को किया गया था ?

(3) क्या पंचायत द्वारा उक्त कार्यों के लिये नियमानुसार श्रमदान अथवा धन-राशि लगाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त निर्माण कार्यों पर अलग-अलग कितना पैसा खर्च किया गया है ?

(5) क्या उक्त निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और क्या कार्यों की वास्तविक जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिलाधीश के जरिये इन कार्यों की जांच कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका विवरण दिया गया है।

(3) नियमानुसार श्रमदान प्राप्त नहीं हो सका।

(4) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख है।

(5) एक कार्य लगभग पूरा हो चुका है व बाकी कार्य अधूरे हैं। एक कार्य को छोड़कर सभी कार्यों की मौके पर जांच की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण तानीवाल !

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर पूछना है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर आप जवाब दे रहे हैं या आपकी जानकारी से दे रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने प्रश्न पंचायत समिति के बारे में पूछा था तो उसके बारे में पंचायत समिति से पूछा गया है और उनका जो जवाब आया है उसके अनुसार दे रहा हूं जवाब।

श्री सुवालाल चौधरी : पंचायत समिति की ओर से मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 327 को जो 5-3-68 को था उसके जवाब में जो उत्तर दिया है और आज जो उत्तर आप दे रहे हैं उसमें रैगरों के कुए के लिए 500 रु० आपने बताये हैं कि 27-11-63 को दिये गये हैं और आज आपने बताया है कि 500) रु० 27-11-63 को और 8-1-64 को दिये गये हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के कुए के लिए 1300) रु० आपने दिखाये हैं और इसका हिसाब आपने पेश किया है 2157) रु० का प्रश्न संख्या 327 के उत्तर में यह लिखा गया है कि 1381) रु० खर्च हो गये हैं और आज आपने जो जवाब दिया है वह पूरे 2157) रुपयों का हिसाब दिया है तो इसमें पहले जो जवाब दिया है 1300) रु० का वह सही है या आज वाला सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय दोनों ही उत्तर सही हैं। आपके समझने का फर्क है। 2157 रुपये का पंचायत की ओर से हिसाब पेश किया गया है उसमें से 1381-06 रु० के काम का मूल्यांकन किया गया हैं।

श्री सुवा लाल चौधरी : अतारांकित प्रश्न संख्या 327 में जो आपका उत्तर है दूसरी पंचायत गाडोली के बारे में उसमें

(श्री सुवालाल चौधरी)

आपने 1350) रु० 31-3-66 को लिखा है और आज आपने लिखा है कि 350 रुपया इस तारीख को दिया गया है और उसके बाद 1000) रु० दूसरी तारीख को दिया गया है, तो क्या वह 1350 रु० सही है या 350 रुपया सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 1350 रुपया तो दिया गया है वह अलग अलग तारीखों में दिया गया है। 350) रु० 31-3-66 को, 500) रु० 29-5-66 को, 500) रु० 22-7-66 को दिया गया है। इस प्रकार से पूरा रुपया दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, आर्डर प्लीज।

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रैगरों के नाम पर जो 500 खर्च किये गये हैं कुए के लिए, तो वहां पर तो उस कुए के लिए रैगरों के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और कुआ भी नहीं बना है। अनुसूचित जन-जाति के लिए कुए के नाम से जो 1800 रुपया खर्च हुआ है लेकिन एक खड्डा भी वहां पर नहीं खोदा गया है। कापड़ियावास जो गांव है वह मेरा गांव है। वहां के संरपंच और प्रधान कांग्रेस समर्थित हैं इसलिए बजट मन्जूर होता है वह पैसा पंचायत समितियों और पंचायतों के पास न जाकर अपने घर के काम में आ जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या किया जाय, माननीय सदस्य, नहीं खोदा है तो क्या उपचार चाहते हैं ?

श्री जयनारायण खालोड़िया (निवाई): इसकी जांच करवाई जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुजानिया : हरिजनों के नाम पर......।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आप भी नई तरह से चलने लगे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने बताया है उसकी जांच करा ली जायगी और यदि वहां पर काम नहीं हुआ है तो दोषी को सजा दी जा सकती है।

(12 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज आर्डर। जांच का हुक्म हो गया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आॅर्डर, आॅर्डर माननीय सदस्य। यह माननीय सदस्यों की तरफ से सीरियस इश्यू समझा जा रहा है, आपने जांच करने का कहा है। इसको और ज्यादा सीरियसली ले लेंगे।

(प्रश्न संख्या 551)

श्री लक्ष्मण तानीवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

विजय सागर बांध की मोरियों से सिंचाई

552. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से सितम्बर, 1966 में विधान सभा में आश्वासन दिया गया था कि अलवर तहसील में स्थित विजयसागर बांध की मोरियां शीघ्र खोली जाने के प्रश्न का हल निकालने का प्रयत्न किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी पानी से यह बांध भरा हुआ है जिसमें लगभग 600 बीघा जमीन किसानों की गई है और बावजूद किसानों द्वारा बार बार मांग करने के अभी तक इस बांध की मोरियां नहीं खोली गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील के रिकार्ड के अनुसार बांध के पेटे में महाराजा अलवर के नाम से दर्ज केवल लगभग 10 बीघा जमीन है ? जबकि पानी लगभग 600 बीघा जमीन पर फैला हुआ है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इन मोरियों को खोलने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(5) क्या सरकार इन मोरियों को तुरन्त खोले जाने के आदेश जारी करेगी ताकि पानी का इस्तेमाल फिलहाल बेरून सिंचाई के लिए हो सके ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) विधान सभा में राज्य सरकार की ओर से यह अवश्य कहा गया था कि राज्य सरकार वस्तु स्थिति एवं कानून को मद्दे नजर रखते हुए हल निकालने का प्रयत्न करेगी।

(2) इस वर्ष यह बांध पानी से भरा है। डूब में लगभग 275 एकड़ भूमि आती है जो किसकी है इसका रिकार्ड इस विभाग में नहीं है। माननीय प्रश्नकर्ता ने इसकी मोरियों को खुलवाने के लिए कहा था पर नहीं खोली जा सकीं।

(3) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(4) इस समस्या का हल निकालने के लिए कानूनी तथा वाकयात स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है।

(5) विधि विभाग की राय प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यही उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने 15 सितम्बर, 1966 को भी दिया था कि कानूनी स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। उस समय सभी दलों के नेताओं ने आग्रह किया था कि इससे 20 हजार मन अनाज की कमी हो रही है। मंत्रीजी ने कहा था कि मैं महाराजा से बात करके हल निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज भी मंत्रीजी यही उत्तर दे रहे हैं कि कानूनी तौर से जांच करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने महाराजा अलवर से इस सम्बन्ध में बातचीत की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, विजयसागर तालाब अलवर महाराजा की व्यक्तिगत संपत्ति में है ऐसा इन्वेन्टरी में लिखा है और राजाओं की सम्पत्ति ग्रहण करने के लिए कानून भी बना था। उसके बाद कई महाराजाओं ने हाई कोर्ट में रिट पेश कर दी थी, यद्यपि मेरी जानकारी के अनुसार अलवर महाराजा उन रिट करने वालों में से नहीं है किन्तु राजस्व विभाग से

Page No. 29

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एक आदेश जारी कर दिया गया था कि जब तक इस रिट का फैसला न हो जाय तब तक सम्पत्ति पर कब्जा नहीं किया जाय। रिट पेश की गई है एक तो मेरे सामने यह रुकावट है। दूसरा यह तालाब व्यक्तिगत सम्पति होने के कारण और इन प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों से जमीन संबंधित नहीं होने के कारण सिंचाई विभाग या राजस्व विभाग कार्यवाही कर सकता है या नहीं यह अहम प्रश्न है और नहीं करने की राय आती है। माननीय सदस्य ने एस्टिमेटस कमेटी में भी यह प्रश्न उठा रखा है। जितनी जानकारी चाह रहे हैं उतनी दी जा रही है। सारे मामले को टेक अप किया हुआ है, इसलिए आपको वस्तु स्थिति से जानकारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : आपकी मेरे से बातचीत हुई उस दौरान आपने एक बार पुराने जिलेदार का नाम बताया था और कहा था कि यह जिलेदार जानते हैं उनसे बातचीत एग्जीक्युटिव इंजीनियर के जरिये करवाई थी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अब तक सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय ने जैसा आश्वासन दिया था कि महाराजा अलवर से, बातचीत करके जिस प्रकार डूंगरपुर महारावल साहब ने किया उसी तरह से करने के लिए उन्हें परसुएड करेंगे। आपने इस बारे में कुछ किया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डूंगरपुर महारावल साहब तो विरोधी दल के नेता है। उन्होंने बात मानली और समस्या हल हो गई। अलवर का यह जो तालाब है वह पैलेस की बाउन्डरी है और उन्हीं के कब्जे में हैं। बात चीत नहीं की यह बात सही हैं। कानूनी परिस्थिति हैं वह आपके सामने आती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार खुद ऐसा महसूस करती है कि बात चीत करेंगे तो महाराजा विरोध करेंगे या सरकार की तरफ से इस तरह का कदम उठाया जाय यह स्थिति नहीं है। वहां पर खाते की जमीन प्राईवेट लोगों की है जो सरकार को लगान देते हैं, उनको खातेदारी हकूक प्राप्त हैं। महाराजा साहब को अपनी जमीन में पानी रखने का अधिकार है किन्तु दूसरों की जमीन को सब मर्ज करने का अधिकार उनको नहीं है। क्या इस दृष्टि से सरकार ने विरोध किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इस संबंध में जानकारी की है। सन् 1903 में जब यह तालाब बना था उस समय खातेदारी जमीन नहीं थी। काश्तकारों को बाद में किसी जमाने में सेटलमेंट हुआ तालाब बनने के बाद उस समय उनको खातेदारी अधिकार दिये गये थे इसलिये आज की स्थिति में कुछ लोगों को खातेदारी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गांव बहड्ड तहसील निवाई में भूमि का अलाटमेन्ट

553. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांध गोपालपुरा, तहसील निवाई के गांव बहड्ड की तन में

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पेटा काश्त तालाबी सवाई चक जमीन एडवाईजरी कमेटी ने मौके पर जाकर एलॉट की थी ? यदि हां, तो कितना बीघा व किस किस को ? नाम व रकबा वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि तहसील ने जिनको भूमि अलॉट हुई थी, उनको समय पर कब्जा नहीं दिया और दूसरे लोगों को अतिक्रमण करने का मौका दिया जिससे सारी भूमि को जबरन लोगों ने काश्त कर ली जिनके पास पहले से ही काफी भूमि थी और गरीब भूमि हीन बेकार बैठे हैं ? यदि हां, तो जिन जिन ने अतिक्रमण किया है उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार नियमों के खिलाफ जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण किये हैं उनको सजा देने व उनकी फसल कुर्क करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) बांध गोपालपुरा ग्राम बहड़ू की तन का पेटा तालाब की भूमि एडवाइजरी कमेटी द्वारा ता० 2-12-67 को 148(1) 4 रकबा 111 व्यक्तियों को आवंटित किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसीलदार द्वारा ता० 2·11·67 को ही गिरदावर हल्का को भूमि नाप कर कब्जा देने की आज्ञा दी गई। गिरदावर हल्का ता० 6-12-67 को कब्जा देने गया तो भूमि पर अतिक्रमण मिला। अतिक्रमण· कारियों की सूची 2 सदन की मेज रख दी गई है।

(3) अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने प्रश्न के खन्ड (2) के उत्तर में बताया कि तहसीलदार ने गिरदावर को तारीख 2-12-67 को ही आदेश दे दिया था लेकिन वह 4 दिन बाद क्यों पहुंचा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अन्य कार्य में व्यस्त हो सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह कार्य ज्यादा जरूरी नहीं था ?

400 बीघा जमीन का अतिक्रमण कर लिया उसके देर से पहुचने के कारण ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए स्थगित प्रश्न।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अभी प्रश्न पूछ रहा हूं.......

(12.07 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्या सरकार यह महसूस करती है कि आदमियों ने तालाब के पेटे की जमीन जिस में एक एक बीघे में 20 मण गेहूं पैदा हो सकता है ऐसी जमीन का अतिक्रमण आपकी लापरवाही से कर लिया और नाजायज कब्जा कर लिया ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : नाजायज कब्जा किया है तो उसको सजा भी उसी तरह से हुई होगी, जुर्माना वगैर हुआ होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने प्रश्न के भाग (3) में लिखा है कि कार्यवाही की जायगी। क्या इसका मतलब यह है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे ख्याल से तहसीलदार ने जरूर कार्यवाही की होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न के भाग (3) में उतर दिया है कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे इसके क्या माने ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : धारा 91 में कार्यवाही की जायगी। नोटिस वगैरा दिये होंगे। अब तक उसका फैसला नहीं हुआ होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब तक आपने कोई नोटिस नहीं दिया। गेहूं काट कर घर में रखेंगे उसके बाद कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न।

श्री जयनारायण सालोदिया : जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उन लोगों के खिलाफ आज तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। वे लोग फसल को उठा कर घरों में ले जायेंगे उसके बाद क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फसल को घरों में ले जाने का सवाल नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : फसल पक गई है और वे लोग फसल उठा कर घरों में ले जायेंगे, फसल उठाकर घरों में ले जाने का प्रश्न क्यों नहीं उठता। जब आपने उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो वे लोग फसल को उठा कर घरों में ले जायेंगे, उसके बाद आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दफा 91 की कार्यवाही में फसल उठाकर ले जा नहीं सकते हैं, ले जायेंगे तो वापिस निकलवा सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : पर आज आपको कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ? आप तो उनके पेट में से भी गेहूं निकाल सकते हैं, फसल पक गई है और वे लोग उठाकर घर ले जायेंगे और गेहूं खा जायेंगे तो उनके पेट में से आप गेहूं निकाल सकते हैं पर आपको आज कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप तो ऐसे बात कर रहे है जैसे मिनिस्टर ही सब कुछ कर सकता है और करता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वे इस मामले में फौरन कार्यवाही करेंगे जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जमीन पर दूसरे लोग आयन्दा कब्जा करने की और उस पर काश्त करने की हिम्मत न कर सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके बारे में सरकार बार बार आर्डर निकालती रही है। इस पर भी माननीय सदस्य को शिकायत है तो मैं कलेक्टर कोटा से बात कर लूंगा और सारी जानकारी कर लूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कलेक्टर के यहाँ की लिस्ट है, यह जानकारी में शुमार नहीं है क्योंकि इतने आदमियों ने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

400 बीघा जमीन पर कब्जा किया है, वहां उस जमीन पर खेती की है, जिन लोगों को अलॉटमेंट किया गया, उनको कब्जा नहीं करने दिया, उनको काश्त नहीं करने दी, फिर आप क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यही कि जो कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, वह अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

स्थगित प्रश्न

(1-3-68)

पाली जिले के स्टाम्प वैन्डर्स

394 श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में जो स्टाम्प वैन्डर्स हैं, उनको स्टाम्प किन शर्तों पर बेचने दिया जाता है और उनको जयपुर, बीकानेर व उदयपुर में राज्य सरकार जिस आधार पर रख रही है, उनको भी क्यों नहीं रखा जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उदयपुर में स्टाम्प वैन्डरो को तनख्वाह दी जाती है ? यदि दी जाती है, तो कितनी और किस आधार पर ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिवीजन के स्टाम्प वैन्डरों को तनख्वाह नहीं देने से वे आजकल मंहगाई के समय में जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके साथ इस प्रकार का भिन्न व्यवहार क्यों करती है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) उपाध्यक्ष महोदय, इसका अभी उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

स्थगित प्रश्न। श्री श्रवणलाल।

स्थगित प्रश्न

(4-3-68)

हिन्डौन शहर व देहातों में दीवाली पर चीनी का वितरण

419 श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि हिन्डौन शहर व देहातों में गत दीवाली पर चीनी वितरित नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिले में करीब करीब सब जगह चीनी वितरित हुई थी ?

(3) क्या यह भी सच है कि चीनी आम जनता को न दी जा कर शहर के हलवाइयों को दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी बोरी ?

(4) क्या यह सच है कि हलवाइयों से एक बोरी चीनी के ऊपर 100) रु० एस. डी. ओ. हिन्डौन ने लिये हैं ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेव सिंह): (1) जी हां, चीनी उस समय स्टाक में नहीं होने के कारण वितरण नहीं की जा सकी।

Page No. 33

(श्री रामदेवसिंह)

(2) यह सही है कि उप खण्ड सवाई माधोपुर, गंगापुर तथा करौली में चीनी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की गई थी।

(3) हिन्डौन में हलवाई समिति हिन्डौन को 30 बोरी चीनी, मैनेजर दिगम्बर महावीर समिति को 7 बोरी चीनी, हलवाई समिति टोडा भीम को 10 बोरी चीनी, हलवाई संघ महुआ को 3 बोरी चीनी कुल 50 बोरी चीनी दी गई थी।

(4) यह सही नहीं है कि हलवाइयों से 100 रु० प्रति चीनी की बोरी पर एस. डी.ओ. हिन्डौन द्वारा लिये गये हैं। इसकी जांच अतिरिक्त जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा की गई तथा हलवाइयों के बयान लेने पर यह ज्ञात हुआ कि कोई धनराशि उनके द्वारा नहीं दी गई है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिन उप जिलों को चीनी नहीं मिली थी उनमें हिन्डौन शहर भी शामिल था ?

श्री रामदेव सिंह : जी हां।

श्री श्रवणलाल : तो इसका क्या कारण था कि और सब डिविजनों को मिल गई और हिन्डौन सब डिविजन को चीनी नहीं मिली ?

श्री रामदेवसिंह : रेल्वे द्वारा समय पर डिब्बे नहीं मिलने के कारण समय पर नहीं मिल सकी।

श्री श्रवणलाल : वह कोटा कहां चला गया ?

श्री रामदेवसिंह : बाद में तो वह कोटा वहां दिया गया।

श्री श्रवणलाल : जिला सवाई माधोपुर का कोटा आपके यहां से किस तारीख को रवाना हुआ और सवाई माधोपुर कब पहुंचा ?

श्री रामदेव सिंह : कोटा यहां से नहीं जाता है। 9.10.67 को 8 वेगन अलॉट किये गये; 12.10.67 को हिन्डौन एस. डी. ओ. को सूचना मिलने पर 14.10.67 को रुपया ड्राफ्ट से भेज दिया पर वेगन समय पर नहीं मिलने से चीनी समय पर नहीं पहुंची।

श्री श्रवण लाल : क्या यह सही है कि जो कोटा हिन्डौन सब डिवीजन के लिए दिया गया था वह हिन्डौन नहीं भेजा गया दूसरी जगह भेज दिया गया ?

श्री रामदेव सिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है। मेरे पास यह सूचना है कि समय पर वेगन नहीं मिलने के कारण चीनी का कोटा हिन्डौन में समय पर नहीं पहुंच सका।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवण लाल : क्या यह सही है जैसा कि आपने बताया है 50 बोरी जनता को न देकर दीवाली के शुभ अवसर पर जनता के बच्चे मिठाई के लिए तरस रहे थे उस समय लोगों को न देकर हलवाइयों को दी और हिन्डौन के एस. डी. ओ. ने हलवाइयों से फी बोरी 100 रु० लिया।

श्री रामदेव सिंह : शिकायत तो आई नहीं थी। समाचार पत्रों में यह निकला था, इसकी जांच कराई गई और यह बात सही नहीं निकली।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। जनता को चीनी नहीं दी जाय और 100 रु० फी बोरी हलवाइयों से लेकर हलवाइयों को 50 बोरी दी जाय, दीवाली के शुभ अवसर पर जबकि बच्चे मिठाई को तरसते हैं। एस. डी. ओ. ने 50 बोरी पर 5000 रुपया लेकर हलवाइयों को 50 बोरी दी, क्या इसकी जानकारी की है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त सरकार की यह नीति थी कि हलवाइयों को चीनी दी जायगी और नवम्बर में हलवाईयों को 110 बोरी पूरे जिले के लिए दी गई। जिस दीवाली की बात माननीय सदस्य करते हैं हिन्डौन के लिए जो कोटा मिला था उसका पैसा 14-10-67 को जमा करा दिया गया था। दो महिने का कोटा साथ दिया गया था पर वेगन्स की कमी थी इसलिए चीनी समय पर नहीं पहुंच सकी और बाद में वह चीनी वहां पहुंची है और वितरित की गई है।

जहां तक हिन्डौन का प्रश्न है दो होलसेल डीलर्स थे, शहर के लिए 167 बोरी और गांवों के लिए 140 बोरी। 140 बोरी की ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत थी, वह गांवों में दे दी गई शहर में इसलिए वितरित नहीं कर सके कि वेगन्स की कमी के कारण चीनी समय पर नहीं आई। बाद में आई और वितरित कर दी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्त

खरीफ की फसल में अभावग्रस्त ग्राम

531. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष खरीफ की फसल में राजस्थान में कुल कितने गांव अभाव ग्रस्त हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले में कुल कितने गांव अभाव ग्रस्त है ? तहसीलवार सूची दी जाय तथा इनमें से गत अकालों में कौनसे कितने गांव अकाल ग्रस्त थे ?

(3) क्या चूरू जिले में पैदावार से गिरदावरी बढा चढा कर करने से वास्तविक अभाव की स्थिति वाले गांवों को भी अभाव ग्रस्त घोषित करने से वंचित कर दिया गया है ? ऐसी शिकायतें ग्रामीणों, पंचायतों, पंचायत समितियों और व्यक्तियों से कलेक्टर एस.डी.ओ., मन्त्री या उपमन्त्री को प्राप्त हुई ?

(4) यदि हां, तो कहां कहां से व किन किन के द्वारा ? और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं ?

(5) अभावग्रस्त गांवों में रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है ? कल से रोजगार के लिए कार्य चालू कर दिये जायेंगे ?

(6) अभाव ग्रस्त गांवों में अनाज की क्या व्यवस्था की गई है ? पानी, पढने वाले छात्रों व सांड भैंसों के लिए क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष खरीफ की फसल में राजस्थान के कुल 2365 गांव अभाव ग्रस्त हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) फसल खरीफ सं० 2024 में चूरू जिले मे 89 ग्राम अभाव ग्रस्तघोषित हुए हैं।

तहसील सरदारशहर	58 गांव
तहसील डूंगरगढ	30 गांव
तहसील रतनगढ	1 गांव

इनमें से सं० 2022 व 2023 में अभावग्रस्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, कुछ ग्रामवासियों, पंचायतों पंचायत समितियों व राजनैतिक संस्थाओं द्वारा कुछ ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित कराये जाने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(4) जहां जहां से व जिनके द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई, उनकी सूची प्रस्तुत है। इन शिकायतों पर परगना अधिकारियों तथा तहसीलदारों द्वारा जांच कराई जाने पर शिकायतें सही नहीं पाई गई।

(5) सहायता कार्यक्रम बना लिया गया है, और सहायता कार्य शीघ्र शुरू किये जा रहे हैं। आवश्यक धनराशि का आंवटन कर दिया गया है।

(6) अभाव ग्रस्त ग्रामों के लिए आयातित गेहूं व माइलों की व्यवस्था कर दी गई है, और शीघ्र आवश्यकतानुसार दुकानों से वितरण कराया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है। पढने वाले बच्चों भैंसों के लिए कोई सहायता विभाग द्वारा नहीं की जाती। प्रजनन योग्य सांडों व भैंसों के लिये आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां में बाढ़ से क्षति

532. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां नगर एवं बारां उप ज़िला क्षेत्र में सन 1967 में बाढ किस माह में आई और उसके कारण कौन कौन से नगर एवं गांव प्रभावित हुए और उसके कारण किस किस परिवार का कितना कितना नुकसान हुआ और कितने परिवार बेघर हुए ?

(2) बारां नगर में बाढ आने का प्रमुख क्या कारण है ?

(3) क्या बारां नगर में सन् 1957 में भी बाढ आई थी? यदि हां, तो किस कारण से आई ?

(4) क्या सरकार ने बारां नगर में बारम्बार आने वाली बाढ रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, जो किस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

(5) क्या सरकार ने इन इलाकों के बाढ़ पीड़ितों व परिवारों को किसी प्रकार की सहायता दी है ? यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में नागरिकों को सहायतार्थ कर्जा व अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

कामां-पहाड़ी ड्रेनेज कनाल में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

533. श्री मजलिस खां (कामां):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में कृषकों की जो भूमि एक्वायर की गई है, उसका अब तक पूरा मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से ग्राम के कितने कितने किसानों को कितना कितना मुआवजा देना बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पीपलखूंट क्षेत्र में आदिवासियों को लकड़ी के लिए पास

546. श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बांसवाड़ा के पीपलखूंट क्षेत्र में 1967 में जनवरी से जून तक नियमानुसार कितने आदिवासियों को हर माह लकड़ी (इमारती) के लिए पास दिए गए? और कितने किसानों पर पास नहीं मिलने के कारण मकान के लिए लकड़ी काटने पर जुर्माने किये गये?

उत्तर

पीपलखूंट पंचायत क्षेत्र में नियमानुसार पास इस अवधि में दिये गये थे :-

जनवरी, 1967	66
फरवरी, 1967	120
मार्च, 1967	45
अप्रेल, 1967	50
मई, 1967	66
जून, 1967	38
जोड़-	385

बिना पास अवैध रूप से लकड़ी काटने के लिए 20 व्यक्तियों पर मुकदमे बनाये गये।

ग्राम बोड़ामली में तालाब के निर्माण पर व्यय

584. श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर के अन्तर्गत सीमलवाड़ा पंचायत समिति के बोड़ामाली गांव में छतरी वाला तालाब जो बनने से अधूरा रह गया है उस पर कितना धन पंचायत समिति द्वारा व्यय हुआ?

(2) क्या बोढ़ामली गांव के छतरी वाला तालाब को बनाने के लिए किसी ठेकेदार को ठेका पंचायत समिति ने दिया था? यदि हां, तो ठेकेदार ने यह तालाब पूरा क्यों नहीं किया?

(3) अब यह तालाब कब तक पूरा करने का इरादा है और इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है?

उत्तर

(1) 13,333) रु०

(2) जी नहीं।

(3) लगभग एक माह में कार्य पूरा होने की संभावना है व लगभग 7,557)रु० की राशि और खर्च होगी।

डग निर्वाचन क्षेत्र में भूमि का आवंटन

551. श्री लक्ष्मण तानीवाल : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के डग निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1967 की जनवरी से जनवरी 1968 तक किन किन तहसीलों में कितने कितने व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई है?

(2) उक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे जिन्हें भूमि एलाट की गई?

(3) कुल कितनी दरख्वास्तें उक्त अवधि में भूमि पाने के लिये आयी थीं और उनमें से कितनी मंजूर हुई? जो दरख्वास्तें नामंजूर हुई हैं, उनके मुख्य-मुख्य कारण क्या रहे हैं?

उत्तर

(1) डग निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली तहसील पंचपहाड़ एवं गंगधार में इस अवधि में क्रमशः 274 व 216 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई।

(2) उक्त व्यक्तियों में से तहसील पंचपहाड़ एवं गंगधार में क्रमशः 89 व 67 व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे।

(3) तहसील पंचपहाड़ में कुल 1100 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 274 मंजूर हो चुके हैं, 404 नामंजूर हुए हैं तथा 428 अभी विचाराधीन है।

तहसील गंगधार में 939 प्रार्थना-पत्र पेश हुए जिनमें से 216 मंजूर हो चुके हैं, 354 नामंजूर हुए हैं तथा 369 अभी विचाराधीन हैं।

जो प्रार्थना-पत्र नामंजूर हुए उनके मुख्य कारण ये हैं कि या तो प्रार्थी भूमिहीन नहीं पाये गये अथवा वांछित भूमि नियमानुसार अलाट किये जाने योग्य नहीं पाई गई।

क्रय विक्रय समिति डीडवाना के गोदाम एवं कार्यालय के लिए अलाट की गई भूमि

554. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय समिति डीडवाना के नाम से कोई जमीन उक्त समिति के गोदाम व कार्यालय बनाने के लिये कस्बा डीडवाना में विभाग द्वारा अलॉट की गई? यदि हां, तो कब कितनी जमीन किस खसरा नम्बर की अलोट की गई और उस पर क्रय विक्रय समिति का गोदाम कार्यालय कब बनाया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह जमीन किसी स्कूल के मैदान आदि के लिये स्कूल के कब्जे में थी? यदि हां तो यह जमीन कैसे अलोट कर दी गई और अलोटमेंट करने के पूर्व ही उस पर मकान कैसे बनाया गया?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन को उक्त समिति के नाम से अलोट न करने बाबत कोई दरख्वास्तें जनता डीडवाना और नगरपालिका डीडवाना ने सरकार को दी ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, कस्बा डीडवाना में खसरा नं० 885 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा 12 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 2(88) राज/ख/66 दिनांक 7-4-66 द्वारा क्रय विक्रय समिति डीडवाना को गोदाम व कार्यालय बनाने हेतु आवंटित की गई थी। क्रय विक्रय समिति डीडवाना ने गोदाम का भवन सन् 1966 व 67 में बनाया।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वस्तुस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले को ड्राप कर दिया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीमसागर बांध का कार्य

208. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध जिला झालावाड़ का कार्य शीघ्र शुरू किये जाने वाला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि असनावर ग्राम व दीगर आस पास के गांवों को हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक हटाया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध की ऊंचाई पहले जो तय की गई थी उससे कम करके केवल 80 फीट बनाने की योजना है ? और यह सही है कि इससे असनावर ग्राम को हटाने की योजना नहीं रहेगी ?

(4) क्या यह सही है कि बांध की ऊंचाई कम करने पर सिचाई कम होगी ? यदि हां, तो कितनी सिचाई हो जाने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) भीमसागर बांध का कार्य पुनः प्रारम्भ होगा, योजना आयोग से आवश्यक वितिय प्रावधान पर निर्भर है।

(2) जी अभी नहीं, कार्य के पुनः आरम्भ करने से पहिले उन्हें हटाया जावेगा।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गोपालपुरा में बांध की योजना

209. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील में गोपालपुरा ग्राम में एक पहाड़ है जहां पर बीकानेर राज्य के समय में बांध बनाने की स्कीम बनाई गई थी ?

(2) क्या सरकार इस पहाड़ के पास बांध बनाने की योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

(श्री लाभचन्द वैद्य)

(3) क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि पहाड़ के पास बांध बनाने से कितना खर्चा पड़ेगा और कितनी जमीन में सिचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।
पर बीकानेर राज्य के समय स्कीम बनाने की जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम झाडली में बांध के लिए सर्वे

210. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम झाडली, तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर के पास कृषि कुओं में पानी की सरसाई होने के लिए कोई बांध बनाने की योजना का सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के आस-पास करीब 100 कृषि कूप बिना पानी के बेकार पड़े हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में तालाबों के निर्माण की योजना

211. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज व तहसील शाहबाद में सिंचाई के लिए खटका तालाब एवं दो तीन अन्य तालाबों के निर्माण की योजना स्वीकृत हो गई थी ?

(2) यदि हां, तो किस-किस तालाब को कितने रुपयों की लागत से बनाए जाने वाला था तथा उससे कितनी बीघा भूमि सिंचित होने वाली थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उन तालाबों के निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) किशनगंज तहसील के छतरपुरा योजना की अनुमानित लागत 8.48 लाख रु० तथा शाहबाद तहसील के खटका व सारी तलहटी योजना की अनुमानित लागत क्रमशः 8,72,700 रु० व 87,700 रु० है। इनसे क्रमशः 2635, 1675 व 512 बीघा भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी।

(3) जी नहीं।

एम्पलायमेंट आफिसरों के तबादले

212. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम)

(1) अधिकारियों के तबादले के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या यह नीति एम्लायमेंट विभाग पर भी लागू है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) एम्पलायमेंट आफिसरों के तबादले क्या 1967 में हुए हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) वर्तमान में कार्य कर रहे एम्पलायमेंट अफसरों की सूची उनके कार्य वहां करने की तिथि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इन अधिकारियों में से तीन वर्ष की अवधि से अधिक एक स्थान पर कार्य कर रहे कितने अधिकारी हैं और क्यों ?

उत्तर

(1) अधिकारियों के तबादले के सम्बंध में राज्य सरकार की नीति सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ०/(20) जी०ए०/ए०जी० 11/63दिनांक21-10-63 में वर्णित है (प्रति संलग्न है)

(2) जी हां।

(3) जी हां, प्रशासनिक सुविधा एवं राजकीय आवश्यकतानुसार।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) केवल तीन, कार्य हित में इसे उचित समझा गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बीड़ मकबूजा ठिकाना

213. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली तहसील के किन किन गांवों में कितनी कितनी भूमि और किस किस खसरे में 'बीड़ मकबूजा ठिकाना' के अन्तर्गत आई हुई है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मौजूदा खतानियों में पाली तहसील में किसी ग्राम में बीड़ मकबूजा ठिकाने के अन्तर्गत कोई इन्द्राज नहीं है।

लाडनूं के चीनी के व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें

214. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर ने अपने पत्र संख्या रसद-3147 दिनांक 20-12-67 के द्वारा लाडनूं के श्री जेठमल नाहटा को लाडनूं के पांच चीनी के व्यापारियों की शिकायतों बाबत कोई जानकारी दी है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कब कब कौन कौन-सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा उनमें क्या 2 कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यापारियों के खिलाफ एडिशनल कलेक्टर नागौर ने जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर:—

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति निवाई की जीप

215. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति निवाई की मौजूदा जीप कब से पंचायत समिति में काम आ रही है?

(2) अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है और उस पर कब कब कितने रुपये मरम्मत आदि पर खर्च हो गये हैं? हर साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पंचायत समिति की इस गाड़ी की लॉग बुक पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में रखी जाती है या नहीं व दौरों की स्वीकृति ली जाती है या नहीं?

(4) क्या यह सच है कि पंचायत समिति ने अपनी निजी आय से नई जीप खरीदने का फैसला किया है? यदि हां, तो निजी आय में इस समय कितने रुपये हैं।

उत्तर:—

(1) 18 जुलाई सन् 1960 से।

(2) जीप 1, 75, 808 कीलोमीटर चल चुकी है। मरम्मत आदि के खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) लाग बुक पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में रखना जरूरी नहीं है। आवश्यकतानुसार दौरों के लिए स्वीकृति ली जाती है।

(4) जी हां, । निजी आय के मद में 39000) है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पौधशालाओं पर व्यय

216. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग अलवर के अन्तर्गत कितनी नर्सरियां (पौधशालायें) हैं और कहां पर है?

(2) गत एक वर्ष में प्रत्येक नर्सरी से पौधों की बिक्री से कितनी आमदनी विभाग को हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) प्रत्येक नर्सरी पर विभाग की ओर से प्रतिवर्ष बिजली, पानी, मरम्मत, सुधार आदि पर कितना रुपया खर्च किया जाता है?

उत्तर:—

(1) सिंचाई विभाग अलवर के अन्तर्गत इस समय नीचे लिखी पांच नर्सरी (पौधशालायें) हैं:—

1. सीलीसेढ़ नर्सरी

(सिंचाई मन्त्री)

2. जयसमन्द बाग

3. कोठीमेन हाउस नर्सरी व बगीचा

4. मंगलसर रइला

5. तिजारा रेस्ट हाउस।

(2) इस विभाग की उपरोक्त नर्सरी (पौधशालाएं) से पौध तैयार कर बेचे जाने के प्रावधान नहीं है। अतः पौधों की बिक्री से आमदनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु उपरोक्त पौधशालाओं से फल, घास, पाला, पूला, लकड़ो तथा फसल के द्वारा जो सरकार को आमदनी हुई है वो निम्न प्रकार है—

5. महल बाग तिजारा	3075·00
2. जयसमन्द 1. सीलीसेड़ 3. मेन हाउस 4. मंगलसर	4036·00

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजस्थान केनाल क्षेत्र की मंडियां

217. श्री हंसराज आर्य—(भादरा): क्या कोलोनाइजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में किस किस स्थान पर मंडियां बनाने का निर्णय लिया गया है?

(2) कुल कितनी मंडियां होंगी?

(3) किस किस श्रेणी की कुल कितनी कितनी मंडियां होंगी?

(4) 'ए' श्रेणी की मंडियां कहां २ होंगी व 'बी' श्रेणी की कहां २ होंगी और 'सी' श्रेणी की कहां होंगी?

(5) सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

1. राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में मंडियों बनाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया हैं। जिन जिन स्थानों पर मंडियां प्रस्तावित की गई हैं उनकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

2. कुल 16 मंडियां प्रस्तावित हैं।

3.	"ए" श्रेणी मंडी	1
	"बी" श्रेणी मंडी	6
	"सी" श्रेणी मंडी	9

4. परिशिष्ट (अ) में श्रेणीवार प्रदर्शित हैं।

5. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समितियों में विकास अधिकारी

218. श्री हरलालसिंह खर्रा:—(श्री माधोपुर) क्या विकास व पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

Page No. 43

(श्री हरलाल खर्रा)

(1) राज्य में इस समय कितने ए.ई.ओ. व कितने ए.एस.ई.ओ. व अन्य अधिकारी पंचायत समितियों में विकास अधिकारी का कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने पंचायत समितियों का जिस प्रकार वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार विकास अधिकारी लगाये गये हैं ?

(3) क्या राज्य में इस समय जो विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनका नियमानुसार चयन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य में ए.इ.ओ. व ए.एस.ई.ओ. जो विकास अधिकारी का इस समय पंचायत समितियों में कार्य कर रहे हैं उनका विकास अधिकारी का कार्य करने का अलाउन्स तय कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिकांशतः ऐसा ही किया गया है।

(3) इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं।

(4) विकास अधिकारी के पद के लिए भत्ता न देकर अलग से वेतन शृंखला निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पंचायत समिति सराडा में तालाबों व एनीकटों का निर्माण कार्य

219. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति सराडा जिला उदयपुर द्वारा कितने तालाबों व एनीकटों पर निर्माण कार्य चालू किये गये थे और उनमें से कितने अपूर्ण हैं ?

(2) क्या सरसिया, जालदेवी, देलवास दलाई, नांदवी, अनीला सवेई, अजबरा व जांबड़ा के कार्य पूरे हो चुके हैं ? यदि नहीं तो इन कार्यं को पूरा करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

(3) क्या इन कार्यों को पूरा करने के लिये पंचायत समिति ने सरकार से आवश्यक धनराशि की मांग की है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) आठ कार्य चलाये गये थे। पांच कार्य अपूर्ण हैं।

(2) जी नहीं। इन कार्यों को पूरा करने के लिये लगभग एक लाख रुपये की आवश्यकता है।

(3) विकास विभाग में केवल 55000) रु० की मांग प्राप्त हुई है।

बांसवाड़ा में हुए छात्र सम्मेलन पर व्यय

220. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 44

(श्री नाथूराम)

(1) क्या बांसवाड़े में जिलास्तरीय राजकीय एवं अनुदानित आदिवासी छात्रावासी छात्र सम्मेलन जनवरी, 1968 में हुआ था ? यदि हां, तो किस किस छात्रावास के कितने कितने छात्रों ने इनमें भाग लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह सम्मेलन किस तारीख से किस तारीख तक चला व इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) इस सम्मेलन को बुलाने का क्या उद्देश्य था ? जबकि धन के अभाव में बहुत से छात्रावासों में छात्रों को पुस्तक, ड्रैस, बिस्तर आदि समय पर नहीं मिलते तथा छात्रावासों में धनाभाव के कारण जगह नहीं बढ़ाई जाती ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सम्मेलन दिनांक 23-1-68 से 26-8-68 तक चला। इस सम्मेलन पर कुल 1765.70 रुपये व्यय हुये जिसमें 271.00 रुपये राज्य सरकार के व्यय किये गये और 1494.70 रुपये छात्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा एकत्रित करके उसमें से छात्रों के आने जाने का व्यय व अन्य व्यय किया गया, इसलिये राज्य सरकार पर इस व्यय का कोई भार नहीं पड़ा।

(3) इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्यतया छात्रों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान तथा मनोरंजन उत्साह जागृत करना था। जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़े। राजकीय छात्रावासों में नियमानुसार समस्त सामग्री उपलब्ध करादी गई है। उपरोक्त सम्मेलन के व्यय का राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम पंचायत डग द्वारा प्लाटों का एलाटमेंट

221. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत डग द्वारा मोटर स्टेन्ड के पास किस किस व्यक्ति को कितने कितने प्लाट एलाट किये गये हैं ?

(2) क्या उक्त प्लाटों का एलाटमेन्ट नियमानुसार है ?

(3) क्या उक्त प्लाट के एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में लोगों से सौ सौ रुपया जमा करवाये गये थे ? यदि हां, तो कितने लोगों ने यह राशि जमा करवाई थी ?

(4) जिन लोगों को प्लाट अलाट नहीं किये गये उनका क्या कारण था ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों के एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में पंचायत में व पंचायत समिति में सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी ? यदि हां, तो ये आपत्तियां क्या हैं ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) स्वयं के एलाटमेन्ट नहीं चाहने के कारण।

(5) जी हां, कुछ व्यक्तियों ने आपत्तियां उठाई थीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

श्री गंगानगर शूगर फैक्टरी द्वारा लकड़ी के बक्सों की खरीद

222. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शूगर फैक्टरी में चालू वर्ष में सेना की क्रय संस्थान को 'रम' की सप्लाई करने के लिए लकड़ी के बक्से खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो कितने बक्से किस किस रेट में और किस किस पार्टी से और कब कब खरीदे गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मैसर्स महेन्द्र प्रसाद जैन, सहारनपुर से भी कुछ ऐसे बक्से खरीदे गए हैं ? यदि हां, तो कितने और किस रेट पर ?

(3) क्या इस फार्म से खरीदने से पूर्व टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो टेन्डर किस किस ने दिये थे और क्या क्या रेट दिये गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि मेसर्स महेन्द्र प्रसाद जैन से यह बक्से खरीदने के पूर्व यह कान्ट्रेक्ट मैसर्स बाबासिंह करयामसिंह जगाधरी से 2.70 रु० प्रति बक्से के हिसाब से किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पार्टी से माल क्यों नहीं लिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि मैसर्स महेन्द्र प्रसाद जैन से माल पहले 3.45 रु० प्रति बक्से और बाद में 3.35 रु० प्रति बक्स खरीदा गया ? पहले रेट ज्यादा और बाद में कम देने का क्या कारण था ?

(6) क्या यह सही है कि टेन्डर नोटिस 5/8" की लकड़ी के बक्से देने का निकाला गया लेकिन मैसर्स महेन्द्रप्रसाद जैन ने केवल 4/8" लकड़ी के बक्से सप्लाई करने का कोटेशन दिया और उसको मंजूर कर लिया गया ?

(7) क्या उक्त सप्लाई के लिये मैसर्स महेन्द्रप्रसाद जैन सहारनपुर वाले से कोई लिखित कांट्रेक्ट किया गया था ? यदि हां, तो कांट्रेक्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि गंगानगर शूगर मिल्स एम्पलाईज यूनियन ने एक लिखित प्रतिवेदन द्वारा यह तथ्य व्यवस्थापकों के समक्ष रखे हैं कि उक्त फर्म ने बक्से 4/8" के बजाय 3/8" के सप्लाई किये हैं तथा उनको अनुचित रियायतें दी गई हैं जबकि कांट्रेक्ट में ऐसी रियायतों को देने का कोई उल्लेख नहीं था ? कृपया यूनियन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या राज्य सरकार ने इस प्रतिवेदन में दिये गये आरोपों की जांच कराई है ? यदि हां, तो इस जांच की रिपोर्ट सदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की मेज पर रखें ? क्या इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, खरीद का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(2) जी हां, 11.642 बक्से 3.55 रु० प्रति बक्से के हिसाब से खरीदे गये हैं।

(3) जी हां, पहली मर्तबा में स्थानीय फार्मों से टेन्डर मांगे गये थे। जब स्थानीय फार्म पूरा माल देने में असमर्थ रहे तब बाहर फर्मों से दुबारा आदमी भेज कर कोटेशन मंगाये गये थे जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

पार्टी का नाम	दर प्रति बकाया
1. मैसर्स दीनानाथ चन्डोक एन्ड सन्स, यमुना नगर	6.48 रु०
2. एस.पी. टिम्बर इन्डस्ट्रीज यमुना नगर	6.00 रु०
3. कशमीरीलाल एन्ड सन्स यमुना नगर	5.72 रु०
4. बाबा बसोदा सिंह वरयाम सिंह, यमुना नगर	2.79 रु०
5. इशत इन्डस्ट्रीज, रामपुर	4.25 रु०
6. मोहम्मद जान खां, रामपुर	3.50 रु०
7. सरदार कुलजीत सिंह कदुरिया, रामपुर	3.52 रु०
8. फैज अली ठेकेदार, बरेली	5.00 रु०
9. भारत फर्नीचर हाउस, बरेली	5.50 रु०
10. सूदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी, यमुना नगर	चील 6.25 रु० मिक्सड 5.75 रु०

(4) यह सही है कि बाबा मसोदा सिंह वरयामसिंह को तार द्वारा आर्डर दिया गया था परन्तु पार्टी ने तार द्वारा सूचित किया कि वह लकड़ी के बक्से पहले दी हुई दर पर नहीं दे सकती। कम्पनी ने तब भी अपना आदमी उनसे बात चीत करके माल लाने भेजा पर पार्टी का मालिक यमुना नगर में अपने कारखाने में न मिलने के कारण उनसे माल नहीं लिया जा सका।

(5) नहीं, माल 3.55 रु० प्रति बक्स की दर से ही खरीदा गया है। पार्टी ने अपने कोटेशन में दर 3.45 रु० ही दिया था परन्तु प्रबन्धकों के कहने सुनने पर कि आर्डर अधिक मात्रा में दिया जावेगा इसलिए फर्म ने 3.35 रु० प्रति बक्सा लेना स्वीकार किया।

(6) हां, परन्तु पार्टी के पास 5/8' की लकड़ी का माल तैयार नहीं था और 4/8" की लकड़ी के बक्से ठीक पाये गये। इस ही क्वालिटी के बक्से डायर मेकिन को जा रहे थे और डिस्टिलरी टक्नोलाजिस्ट ने इन बक्सों को उचित पाया अतः मन्जूर किया।

(7) नहीं, लिखित कान्ट्रेक्ट नहीं किया गया।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(8) जी हां, यूनियन का लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जो सदन की मेज पर रखा जा रहा है।

(9) कम्पनी की ओर से अभी इस विषय में जांच जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतिव्यक्ति आय

223. श्री रामकिशन (वैर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1950-1951 में राजस्थान में जिलेवार प्रति व्यक्ति क्या औसत आय थी?

(2) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिलेवार कितनी धनराशि प्रति व्यक्ति खर्च की गई?

(3) आज जिलेवार प्रति व्यक्ति क्या वृद्धि या अवनति आमदनियों में हुई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1950-1951 में राजस्थान में जिलेवार प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलेवार व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

द्वितीय व तृतीय योजना काल में जिलेवार प्रति व्यक्ति जो धनराशि व्यय की गई वह संलग्न तालिका में दी जा रही है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जिलेवार आय के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ग्राम भांवरी में मणियारी गांव के बंध से काश्त के लिए पानी

224. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस बार गांव भांवरी तहसील पाली की भूमि को मणियारी गांव के बाध से उनालू काश्त के लिए पानी मिला? यदि हां, तो कितना?

(2) कितनी बीघा भूमि को पानी मिला और किन किन की भूमि को और उनके खसरा नम्बर क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, भूमि में एक पानी दिया गया है।

(2) 1040 एकड़ भूमि में एक पानी दिया गया। नाम काश्तकारान एवं खसरा नम्बरान की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

पंचायत समिति लाडनूं की जीप पर व्यय

225. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं की जीप पर गत दो वित्तीय वर्षों में पेट्रोल खर्च माहवार कितना २ हुआ? क्या यह खर्चा सरकार

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा निर्धारित बजट में दिए हुए खर्चे से ज्यादा नहीं है ? यदि है, तो यह खर्चा कहां से किया गया और अनधिकृत खर्चा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या जीप की सर्विस निर्धारित समय व तरीके से होती है ? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह जीप लाडनूं शहर में अधिकारियों के निजी कार्य हेतु दौड़ती है ?

(4) क्या जीप का मासिक दौरे का प्रोग्राम पहिले ही मीटिंग में बनाया जाता है ? यदि नहीं, तो 'विभागीय' आदेशों की अवहेलना क्यों की जाती है ?

उत्तर

(1) पैट्रोल पर हुए खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल खर्च के लिए वर्ष भर में 2400) रु० का अनुदान दिया जाता है। इससे ज्यादा खर्चा होने पर वो निजी आय से पूरा करना होता है।

(2) साधारणतया जीप की सर्विस निर्धारित समय व तरीके से कराई जाती है।

(3) निजी कार्य के लिए जीप के उपयोग की कोई शिकायत नहीं है।

(4) जी हां, प्रोग्राम पहले ही बना लिया जाता है पर आवश्यकतानुसार कभी कभी रद्दोबदल करना होता है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ग्राम पंचायत आसोटा में कृषि कार्य के लिए दी गई भूमि

226. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आसोटा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर को सरकार ने पंचायत द्वारा उत्पादन वृद्धि के कार्य के लिये 15 बीघा भूमि दी थी ? यदि हां, तो कब और कौन से खसरा नम्बर की भूमि कहां पर किस अधिकारी द्वारा दी गई ? सूची मय उक्त भूमि को पंचायत को दिये जाने के आदेश की प्रति को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत के क्षेत्र में कोई भूमि कृषि भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित की गई है? यदि हां, तो कौनसी भूमि कितने खसरा नम्बर की और कितनी भूमि कब किस अधिकारी द्वारा परिवर्तित की गई ? सूची मय आबादी में परिवर्तन करने के आदेश की प्रति को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कौन २ सी भूमियां हैं जिनकी देख रेख पंचायत के जिम्मे है ? खसरा नम्बर रकबा सरहद मौजा तथा पंचायत को कब कब सौंपी गई आदि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) जिस किस्म की जमीन पंचायत को सौंपी जाती है और जिस कार्य के लिए भूमि है उसके अलावा पंचायत उस भूमि को दूसरे कार्य में भी ले सकती है या नहीं ?

(5) क्या उक्त भूमि को उक्त पंचायत ने जिस कार्य के लिए उनको सौंपी थी, उसके

Page No. 49

(श्री हरजीराम बुरडक)

अलावा दूसरे कार्यों में ली है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

(6) क्या यह सही है कि तहसीलदार लाडनूं, को उक्त पंचायत द्वारा भूमि को अन्य कार्य में लेने के सम्बन्ध में जनता व पंचायत के पत्रों द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत आसोटा को ग्राम आसोटा, तहसील लाडनूं के खसरा नम्बर 6 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि पंचायत की आमदनी बढ़ाने हेतु भूमि आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 30-6-65 के तहत आवंटन की गई थी, जिसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत आसोटा को ग्राम आसोटा के खसरा नं० 4 व 6 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि को आबादी में जिलाधीश नागौर के आदेश दि० 25-1-68 द्वारा परिवर्तित करके आवंटित की गई हैं, जिसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ग्राम पंचायत आसोटा की देख रेख हेतु तहसीलदार लाडनूं द्वारा दि० 12-4-67 को जो भूमियां सौंपी गई हैं उनकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पंचायतों को आबादी व गोचर भूमि ही सौंपी जाती है, व जिस कार्य के लिए सौंपी जाती है, वह उस कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में काम में नहीं ले सकती है।

(5) इस प्रकार की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं है।

(6) इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(4-3-68)

विधान सभा सीटों का क्षेत्रफल

147. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की नव विधान सभा सीटों के क्षेत्रों का क्षेत्रफल प्रत्येक का कितना कितना है ? उनमें कितने कितने मतदाता हैं ? आबादी कितनी कितनी है ? एक क्षेत्र के दो स्थान अधिक से अधिक दूरी वाले कौन से है एवं दूरी क्या है ?

(2) उदयपुर डिवीजन के जिलों की विधान सभा सीटों का क्षेत्रफल आबादी व मतदाता संख्या कितनी कितनी है।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र के परिवर्तन या रद्दोबदल का कोई विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना की तालिका संलग्न है।

(2) इस प्रश्न के उत्तर की सूचना की तालिका संलग्न है।

(चुनाव मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्रों में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि भारत परीसीमन आयोग (Delimitation Commission, India) जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है उसके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा परिवर्तन सन् 1967 के आम चुनावों से पूर्व किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(29-1-68) व (27-2-68)

देवगढ़ रेन्ज में कत्थे का ठेका

148. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु०) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चितौड़गढ़ में रेन्ज देवगढ़ के ब्लॉक नालवा 25 हांडी व नकोर टीला 50 हांडी के कत्थे का ठेका दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों में ठेकेदार ने सैकड़ों अधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार किया ? अगर हां, तो नालवा में कितनी और नकोर टीला में कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश चितौड़गढ़ ने उक्त दोनों ब्लाकों में तीन सौ हांडी द्वारा कत्था निकालने एवं राजस्व विभाग के वन में कत्थे के वृक्ष काटने की जांच करने के बाद चीफ कन्जर्वेटर को सूचना दी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि ठेकेदार के पिता एवं दोनों भाई वन विभाग की ब्लेक सूची में हैं। यदि हां, तो किन कारणों से वो ठेका किसके नाम दिया गया ?

(5) क्या डी० एफ० ओ० चित्तौड़गढ़ ने किसी व्यक्ति की शिकायत पर कलेक्टर की जांच के दो दिन पूर्व यह रिपोर्ट दी थी कि उक्त जंगलों में ठेके पर दी गई हांडियों से अधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार नहीं किया जा रहा है ?

(6) क्या यह भी सही है कि चीफ कन्जरवेटर ने इस संबंध में किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवाई थी ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जांच रिपोर्ट के आधार पर कम से कम 56 हंडिया अधिक गली होनी चाहिए जो टीला मुकाम पर थी। अन्य स्थानों पर अधिक हांडियां जांच रिपोर्ट से पाया जाना साबित नहीं होता। नालवा में कत्था का ऐतराज 19 मन 14 सेर व नकोर में 14 मन 11 सेर प्रति हांडी बताया गया।

3. जी नहीं।

4. पिता श्री खान मोहम्मद को छोटी सादड़ी रेन्ज के भेरवी कत्था कूप 1955-56 का ठेका लेकर कार्य नहीं करने के

(वन मंत्री)

कारण फरवरी, 1957 में ब्लैक लिस्ट में किया गया है । भाई ब्लैक लिस्ट में नहीं है।

5. जी नहीं।

6. रिपोर्ट के आधार पर निम्न स्थिति पाई गई:—

(1) ठेकेदार ने जंगल की सीमा के बाहिर निकट के जंगल से नाजायज तौर पर पेड़ काटे।

(2) ठेकेदार ने नाजायज तौर पर कत्था बनाया।

(3) ठेकेदार ने चोरी से कत्था निकास किया।

(4) ठेकेदार ने ठूंठों की ड्रेसिंग नहीं की।

(5) ठेकेदार ने कटाई व तैयार माल मियाद बाद की।

(12.17 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ने मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा भूख हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अब भूख हड़ताल समाप्त कर दी है।

अतः मैं श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का वक्तव्य इसके सम्बन्ध में आना चाहिए कि हड़ताल किस स्थिति में विथड्रा हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : मैं एक छोटा सा वक्तव्य दे दूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थी सिंह, श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल व श्री रामकिशन ने दी है जिसमें बतलाया गया है कि भरतपुर जिले में चोरियां डकैतियाँ आदि की वारदातें बढ़ रही हैं विशेष कर भरतपुर शहर में। इस मामले का संबंध राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था से है। इसके अतिरिक्त यह मामला पुलिस की मांग पर बाद विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिला हैड क्वार्टर पर कोतवाली के बिल्कुल पास में चोरी होती है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिये जैसी व्यवस्था करेंगे, उसका तो हमें अनुभव है पर क्या इस बात की जांच करेंगे कि कोतवाली से केवल 100 गज की दूरी पर 15000 की चोरी हुई और कोतवाली वहां 5 घन्टे बाद गया।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी ऐसी व्यवस्था की जायगी कि इस प्रश्न को उठाया जायगा तो मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे। यह उनको सूचित कर देंगे......

Page No. 52

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डी० आई० जी० का प्रोग्राम होता है उससे एक दिन पहले चोरी हुई है इस में क्या लिंक है·········

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं अलवर गया था, वहां भी यही हालत है, पता नहीं गृह मंत्रालय नियोजित रूप से·······

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल कालेज के छात्रों का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन में पहले से जानकारी दे चुका हूं। अब उन्होंने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है इसके सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी है कि कालेज के विद्यार्थियों ने प्रिन्सिपल से बातचीत की और बातचीत करने के बाद अपनी हड़ताल वापिस ले ली।

श्री रामकिशन (बैर) : बात क्या हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इतनी बातचीत तो हमने अखबारों में पढ़ ली है।

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें। श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहिये कि विद्यार्थियों से क्या बातचीत हुई, विद्यार्थियों को उन्होंने क्या आश्वासन दिया, प्रिन्सिपल ने क्या आश्वासन दिया है। आज अखबारों में जो सूचना छपी है वह यह छपी है कि प्रिन्सिपल ने यूनिवर्सिटी एकेडेमी कौंसिल की मीटिंग बुलाकर विद्यार्थियों की जो मांगें हैं उन पर विचार करके वहां निर्णय लिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट एम.बी.बी.एस. के 75 लड़के जनवरी में जल्दी इम्तिहान लेने के कारण अनुत्तीर्ण हुए थे, उनको दुबारा चान्स दिया जायगा या नहीं·····

श्री उपाध्यक्ष : ये सब मसले जब एकेडेमिक काउन्सिल के सामने जायेंगे तब उन पर निर्णय होगा, इस समय मन्त्रीजी के लिए कहना मुश्किल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका उत्तर तो आए।

श्री उपाध्यक्ष : जब विद्यार्थियों ने हड़ताल तोड़ दी है और वापस यदि उनकी शिकायत आई और सदन में चर्चा हुई तो मन्त्रीजी बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई यह मामला सबजुडिस नहीं है। जो बैठक हुई थी उसमें मन्त्रीजी ने हमको भी बुलाया था और माननीय सदस्य भी गए थे। सभी लोगों ने स्वीकार किया था कि सिवा कुछ लोगों के जो एडेमेंट थे कि लड़कों को थोड़ा समय मिला है। दो सब्जेक्ट में 20 दिन में तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए जहां तक इनको दूसरा चान्स देने का सवाल है फर्स्ट ईअर एम०बी०बी०एस० के छात्रों को, उनको दी जानी चाहिए। एक परमानेंट सोल्युशन क्या हो, वह विचारणीय विषय हो सकता है। इस तरह से सैकंड ईअर एम.बी.बी.एस. के बारे में यह विचार व्यक्त किया गया था। जिस तरह से पत्र विश्वविद्यालय की तरफ से जारी हुआ उस समय संभावना प्रकट की गई कि जून के महीने में परीक्षा होगी, इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह से कॉलेजों में पढाने का प्रोग्राम बताया गया, उदयपुर में चिट्ठी गई थी । इसलिए अब अप्रेल में परीक्षा करना उचित नहीं होगा । इस बात को सभी ने स्वीकर किया था । तो मैं जानना चाहूंगा कि जो भी चर्चा हुई है । परसों आप कह रहे थे कि डेलीकेट सिचुएशन है, मैं बातचीत करके निपटारा कर दूं, खुशी की बात है कि भूख हड़ताल समाप्त हुई है लेकिन आखिर आपने इस सम्बन्ध में क्या आश्वाशन दिए हैं । हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को दुबारा चांस मिले ताकि उनका जबरदस्ती एक साल वेस्ट न हो । इसी तरह से सेकंड इअर वालों को भी नुकसान न हो ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आश्वासन दिए गए वे अगर पूरे नहीं किए गए तो विद्यार्थियों को दुबारा कदम उठाने पड़ेंगे । अवांछनीय स्थिति पैदा न हो इसलिए आपको सदन को विश्वास में लेना चाहिए ।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : भूख हड़ताल खतम की इसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने कन्विस किया है कि उनकी मांग ठीक है और आपने स्वीकार किया है, कि मुझे ऐसा मालूम है । अगर पहले स्वीकार कर लेते तो भूख हड़ताल नहीं होती । आप अब बता दें ।

श्री रामकिशन : जोधपुर मेडिकल कालेज के छात्रों की हड़ताल और चल रही है उनकी और भी कुछ मांगे हैं । तो सरकार की तरफ से क्या दृष्टिकोण है ?

श्री दामोदर लाल व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री) : मेरे ख्याल से जब छात्रों की हड़ताल खतम हो गई तो सदन में फिर चर्चा होने का सवाल पैदा नहीं होता । हड़ताल समाप्त हो गई, छात्रों ने अपने प्रिंसीपल्स से बातचीत कर ली, बातचीत के बाद छात्रों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली । उनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मैं वहा मौजूद नहीं था, प्रिन्सीपल्स और विद्यार्थियों में बातचीत हुई होगी । एकेडेमिक कौन्सिल की कब मीटिंग होगी क्या फैसला होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता । जहां तक और मांगों का सवाल है, मेरे पास कोई मांग नहीं है, विद्यार्थियों से जो कुछ बातचीत हुई वह माननीय अध्यक्ष और विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों के सामने हुई थी और उस समय कोई निर्णय नहीं हुआ । उसके बाद विद्यार्थी न मालूम न मेरी बातचीत हुई ना ही मुझे जानकारी है कि वे इसके बाद में क्यों भूख हड़ताल पर बैठ गए और क्यों वह वापस ले ली । इतना जरूर जानता हूं कि प्रिंसीपल्स से बात करने के बाद में सन्तुष्ट हो गए । एकेडेमिक कौन्सिल की मीटिंग में क्या फैसला होगा, यह मै नहीं कह सकता, न कोई और कह सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है कि एकेडेमिक कौन्सिल में क्या निर्णय होगा । जिस समय हम लोगों के साथ बैठकर बातचीत हुई थी, विद्यार्थी आए थे, उस समय निर्णय नहीं हो सका, यह सही है । लेकिन मेडिकल कालेज के प्रिन्सीपल्स भी सरकार के अधीन हैं इसलिए यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है कि क्या सरकार ने छात्रों की मांगों को स्वीकार कर लिया हैं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार अपनी तरफ से इस बात का प्रयत्न करेगी कि लड़कों की मांगे एकेडेमिक कौन्सिल में मनवाली जाय, सरकार की नीति क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के स्वीकार करने या न करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अगर किसी की वाजिब मांग होती है तो सरकार उसकी वकालत करती है।

श्री रामकिशन : जोधपुर वाली जानकारी आपने नहीं दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जोधपुर के लिए आप अलग प्रश्न पूछें, इससे उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने इस आगस्ट हाउस में कहा था कि इस प्रश्न पर बैठकर चर्चा करेंगे और उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार उनको कन्विस करने और कराने की बात करेगी। अगर कोई बात जचेगी तो विश्वविद्यालय को रिकमंड करेंगे। उस बुनियाद पर सरकार ने बातचीत की और फिर सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहती. मन्त्री महोदय ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं कि प्रिन्सीपल्स ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि इस सदन के प्रति उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय ने परसों भी इस बात को बताया था कि डेलीकेट सिचुएशन में बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो करनी चाहिए थी जवाब देने से पहले, आखिर किस आधार पर क्या निर्णय हुआ ? एकेडेमिक कौन्सिल क्या भी निर्णय करे, वह बात दूसरी है परन्तु आपकी तरफ से क्या एटीट्यूड रहा, आपने क्या रिकमेंड किया विश्वविद्यालय को, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको टालना नहीं चाहिए।

बांसवाड़ा में भू-राजस्व तथा तकावी की वसूली सम्बन्धी मामले पर राजस्व मन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

राजस्व मन्त्री। हीराभाई के स्थगन प्रस्ताव पर आपका वक्तव्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्री हीराभाई कहां है ?

श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह : हम लोगों को जानकारी है; आप बता दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : बांसवाड़ा जिले में तकावी और लगान की वसूली के सम्बन्ध में माननीय हीराभाई ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उसके विषय में मुझे निवेदन करना है कि भू-राजस्व तथा तकावी की बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार ने आदेश संख्या 7/86रेवेन्यू/ग दिनांक 18-11-67 द्वारा स्थाई निर्देश दिये हैं, जिनके अनुसार लगातार दो वर्षों से अकाल की स्थिति रहे और तीसरे वर्ष फसल अच्छी हो तो तीसरे वर्ष का लगान व दूसरे वर्ष का लगान वसूल होगा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यदि तीन वर्ष तक अकाल रहा हो और चौथे वर्ष में स्थिति अच्छी रही हो तो चौथे वर्ष का लगान व तीसरे वर्ष का लगान वसूल होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले एक वर्ष के लगान की वसूली होगी जिससे काश्तकारों को पिछले एक वर्ष या दो वर्षों का लगान राज्य सरकार ने माफ करने की नीति अपनाई है जिससे काश्तकारों को काफी राहत होगी।

इसी प्रकार तकावी के बकाया वसूली के लिए भी राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी कृषक से दो किश्तों की अधिक वसूली नहीं की जावे। वो अपनी स्वेच्छा अनुसार देना चाहे तो राज्य सरकार स्वीकार कर लेगी और उनसे कोई दंडित व्याज नहीं लिया जावेगा। दंडित व्याज का प्रश्न केवल उसी हालत में उत्पन्न होता है जब कि किसी अच्छी फसल होने पर भी पुरानी तकावी कि किश्त की वसूली बाकी हो। ऐसे काश्तकारों से भी केवल एक मुस्त तीन किश्तों की वसूली मय दंडित व्याज में की जायेगी।

उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद में भी राज्य सरकार ने ऐसे जिले जहां आदिवासी काश्तकारों की संख्या अधिक है उनकी हालत को देखते हुए पिछले वर्ष के लगान की वसूली में यह रियायत दी है कि वो दो किश्तों में खरीफ की वसूली के साथ वसूली की जावे। इससे रकम जमा कराने में उन्हीं तीन चार माह का दूसरी किस्त के लिए अवसर मिल जाता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, इस सालों में विभाजित करके करें। प्रश्न यहां रबी की फसल का है, कि रबी की फसल आई नहीं और रबी फसल का लगान इस वक्त वसूल किया जा रहा है। जब रबी की फसल आने में दो महीने की देर है, तो उनसे यह डन्डे मार कर वसूल किया जा रहा है। साथ ही पुराना लगान, जो रबी की फसल की वसूली अब की जा रही है, इसके साथ ही वसूल करने के लिए ज्यादती की गई है। इसकी स्पेसिफिक शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत आने पर भी उनको राहत नहीं दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय से इसके बारे में निवेदन किया गया था कि इसे वादविवाद के बाद में रख देंगे तो जो वसूली आज की जा रही है उसको रोकने में उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए चाहा यह गया है कि जो रबी की फसल अभी आई नहीं है, उसका लगान जो आज वसूल किया जा रहा है और लोगों को तंग किया जा रहा है उसको रोका जाय। और पुराना लगान उसके साथ वसूल नहीं किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नाथू भाई ने जिस दिन यह सवाल उठाया था उस दिन ही आदेश जारी करके लिख दिया था।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। खुद आपके एस०डी०ओ० लोगों के डण्डे लगा रहे हैं, औरतों के डण्डे लगा रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने स्वयं ने कलेक्टर से—....

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : इनके आदेशों का पालन नहीं होता है। उस दिन चीनी के लिए आदेश दे दिया था कि डेढ किलो चीनी दी जायगी लेकिन वह आज भी नहीं दी जा रही है। इनके आदेशों को मानता कौन है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने उसी दिन कलेक्टर साहब से बात करके यह कह दिया था कि यह आदेश दे दिये गये हैं कि रबी की फसल के वक्त पुरानी रबी की वसूली करेंगे और खरीफ की फसल के साथ खरीफ की वसूली करेंगे। यह आदेश स्पष्ट दे दिये गये हैं। अब आप मुझको किसी गांव का स्पेसिफिक बता देंगे तो मैं आज फिर टेलीफोन करके बात कर लूंगा।

श्री रामकिशन (बैर) : आपने आदेश दिये हैं और मैंने खुद ने आपके आदेश को देखा है। मैं अभी बांसवाडा गया था तो मालूम हुआ कि आज भी वहां वसूली हो रही है, जब कि दो महीने फसल आने में देरी है। इसमें कोई स्पेसिफिक गांव का प्रश्न नहीं है, यह जनरल हो रहा है। आपने जो पहले आदेश दिया था, उसके पन्द्रह दिन के बाद तक वसूली चलती रही थी, और उसका पालन नहीं हुआ। बीस तारीख को दिया था पिछली दफा यह आदेश लेकिन उसके बावजूद वसूली में फर्क नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ऐसा कर सकते हैं, आज शाम को टेलीफोन पर बात करके पूछ लेते हैं।

श्री राम किशन : हम चाहते हैं कि इन दिनों में वसूली नहीं हो जब कि दो महीने रबी की फसल आने में है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा के ग्राम खंगारपुर व अमरपुरा, जो कि दोनों गांव बेचिराग हैं, उनमें सेवा निवृत्त एवं सेवा रत सात व्यक्तियों को भूमि अलॉट किये जाने के सम्बन्ध में और जवानों के द्वारा अलाटमेंट के पश्चात भूमि को काश्त योग्य बना लेने के पश्चात अकस्मात बिना किसी कारण के कोटा जिलाधीश के द्वारा उस अलाटमेंट को सस्पेन्ड किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्यों को पेश करते हुए आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सात फौजी आदमी थे, जिनका नाम है एक भंवर सिंह, रिटायर सूबेदार मेजर आनरेरी लफ्टीनेन्ट इनको चौबिस बीघा और तेरह बिस्वा भूमि अलॉट हुई, दूसरे श्री विजय सिंह सूबेदार, इनको तेईस बीघा जमीन अलॉट हुई, तीसरे श्री गुमान सिंह, नायब सूबेदार इनको तेईस बीघा जमीन अलॉट हुई, चौथे श्री नन्दसिंह सूबेदार इनको 23 बीघा जमीन अलॉट हुई, पांचवे श्री राजेन्द्रसिंह इनको तेईस बीघा जमीन अलॉट हुई, छठे श्री भवानीसिंह सूबेदार इनको तेईस बीघा जमीन अलॉट हुई, और सातवें श्री विनयसिंह गार्ड मैन रिटायर इनको सवा सोलह बीघा जमीन एलाट हुई। इस प्रकार से इन सात जवानों को तारीख 17-7-67 को एडवाइजरी कमेटी एलॉटमेन्ट ने यह भूमि आंवटन की थी। इसके पश्चात् एलॉटमेन्ट कमेटी के एलॉटमेंट

(श्रीकृष्ण कुमार गोयल)

के साथ साथ जिस के कि चेयरमैन आई० ए० एस० ऑफिसर श्री बी० एन० बहादुर थे, उनको तुरन्त इस जमीन का पट्टा दे दिया गया। पट्टा देने के पश्चात इस जमीन के ऊपर सम्बन्धित तहसील अधिकारियों ने पटवारी और कानूनगो ने उनका कब्जा करा दिया। कब्जा देने के पश्चात, जो 17-7-67 को दिया गया था, 14-11-67 को इस जमीन के ऊपर जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों का मुआवजा 312 रुपये, पांच रुपये प्रति एकड़ के अनुसार जमा करवा लिया गया। इसके पश्चात एस. डी. ओ. कोटा ने नियमानुसार इस जमीन पर लगे पेड़ों को काटने का लाइसेन्स, जो टेनेन्सी एक्ट के तहत जरूरी था, 1-12-67 को इन लोगों को दे दिया गया। पेड़ों को काटने के पश्चात क्योंकि जमीन जंगल के क्षेत्र में थी, डी० एफ० ओ० कोटा, जो कोटा जिले के वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ने 6-12-67 को इन पेड़ों की निकासी के लिए ट्रान्जिट पास इश्यू कर दिया। इस तरह से इस जमीन का एलॉटमेन्ट हो गया, जमीन के एलॉटमेंट के पश्चात इस जमीन पर लगे पेड़ों का मुआवजा जमा करा दिया, मुआवजा जमा कराने के बाद पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी गई और पेड़ों का जंगल क्षेत्र से निकालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रान्जिट पास दे दिया। इसके पश्चात इन सात जवानों ने इस एलॉटेड जमीन को साफ करना शुरू कर दिया और लगभग दस हजार रुपया इस जमीन को साफ कराने के लिए इन जवानों ने खर्च किया। यह सब कुछ हो गया। इसके पश्चात अकस्मात कलेक्टर कोटा ने गेम्स सेंचुरी के गेम्स वार्डन की शिकायत करने पर इस एलॉटमेंट जमीन के ऊपर, जिसके ऊपर सात लोगों ने कब्जा करके उसकी जमीन को साफ करा लिया था, अपने एक आदेश के द्वारा उस पर कब्जा करने से और उन पर काश्त करने से इनको इन्कार करवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रश्न के सम्बन्ध में रांजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब कि सरकार की इस प्रकार की निश्चित नीति है कि जो सेवारत या सेवा से निवृत्त हमारे फौजी भाई हैं उनको हम राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक जमीन देंगे। लेकिन जमीन कुछ लोगों को तो मिलती नहीं और जिनको इस प्रकार से जमीन दे दी जाय और जमीन मिलने के पश्चात वह हजारों रुपयों का इन्वेस्टमेंट कर उस जमीन को काश्त के लायक बनाने के लिए खर्च कर दें। उसके बाद अकस्मात सरकार का, कलेक्टर कोटा का यह आदेश जाय कि तुम जमीन पर कब्जा मत करो, जमीन के ऊपर काश्त मत करो, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरासर सरकार की नीति के विरुद्ध है। आज जिस बहाने को लेकर जिस तरह के कारण बना कर फॉरेस्ट विभाग यह चाहता है कि यह जमीन राजस्व विभाग के पास न रहे, यह जमीन वापिस जंगलात विभाग के पास आ जाये, वह उनकी एक बनाई हुई कहानी है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनके माध्यम से यह बताऊंगा कि यह पहला सवाल नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले भी इस जमीन को हथियाने की कोशिश की थी। उसके बाद, जब यह जमीन हथियाने की कोशिश की, तो सेटलमेंट के अन्दर यह सारी जमीन फॉरेस्ट कमेटी ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सैटलमेंट कमेटी ने, उस विभाग की जमीन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बता दी थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी सर्वे के अन्दर उस जमीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बता दिया था लेकिन उस समय के कलेक्टर जो स्वर्गीय श्री सुरेन्द्रसिंह थे, उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट को लिखा था कि हजारों एकड़ जमीन, जो राजस्व विभाग की है, गलती के कारण, जंगलात विभाग की लापरवाही के कारण, धांधली के कारण फॉरेस्ट विभाग में दिखा दी गई है। जब इन तथ्यों के साथ सरकार को उन्होंने रिपोर्ट पेश की, यह रिपोर्ट उन्होंने 8–11–58 को की थी, तो इस रिपोर्ट के पश्चात 2·12·58 को स्वयं राजस्थान सरकार ने अपने नोटीफिकेशन संख्या बी. 202-23 एफ. 15 रेवेन्यू ए/50 के द्वारा तीन व्यक्तियों की एक कमेटी एपॉइन्ट की थी और उस कमेटी के अन्दर एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर थे, दूसरे रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर थे और एक डी० एफ० ओ० थे। इस कमेटी को कहा गया कि जो कलेक्टर कोटा ने इस बारे में रिपोर्ट की हैं, उसकी जांच करके इस सम्बन्ध के अन्दर सीमांकन किया जाय। इस कमेटी में, जैसा मैंने बताया, तीन व्यक्तियों में से दो आदमी जंगलात विभाग के थे और राजस्व विभाग के एक व्यक्ति थे, इस कमेटी ने 20–5–68 को अपना एक निर्णय लिया और उसके द्वारा इस जमीन, जिसके अन्दर इन फौजियों को दी गई जमीन भी शामिल है, के बारे में बताया कि यह सारी की सारी जमीन राजस्व विभाग की है, खेती के लायक है, खेती इन जमीनों पर होती है, खेती इन जमीनों पर की जा सकती है, और इस आधार पर 20–5–61 को गवर्नमेंट को सीमांकन करके यह सारी जमीन राजस्व विभाग की है इस पर लिख दिया। यह तो इसकी पुरानी कहानी है जिसके आधार पर मैं राजस्व मंत्री से कह रहा हूं कि आरम्भ में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोशिश की थी कि यह जमीन जंगलात विभाग में आ जाय, लेकिन उस समय के जिलाधीश ने उस समय कार्यवाही करके सरकार को लिखा और सरकार ने कमेटी बनाई तीन आदमियों की जिसमें मेजोरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की थी और उसने इस जमीन, जिसका कि एलॉटमेंट किया गया है, के साथ और जमीन को भी राजस्व विभाग की जमीन बताया। उपाध्यक्षजी, यह यहां पर नहीं कहा जा सकता है कि यह 1961 का मामला है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं राजस्व मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस के पहिले कि इन जवान लोगों ने इस जमीन का एलॉटमेंट अपने हक में कराया, जिलाधीश कोटा से यह लोग मिले थे और इन्होंने कहा था कि हम सेवारत या सेवा निवृत्त फौजी आदमी हैं. हम जमीन पर काश्त करना चाहते हैं हम जमीन पर सैटिल होना चाहते हैं। हमें जमीन दे दी जाय। इस पर जिलाधीश ने कहा कि आप जमीन देख लीजिए। उन्होंने जमीन बताई तो उस पर जिलाधीश ने कहा कि डी०एफ०ओ० कोटा जो कोटा जिले के जंगलात विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, से तहकीकात कर लें कि वास्तव में यह सारी की सारी जमीन जंगलात विभाग की है या किसी और की है। इस पर इन एलॉटीज ने इन आदमियों ने एक दरख्वास्त डी.एफ. ओ. कोटा को दी। यह दरख्वास्त 20-4-67 की है।

विषय : ग्राम अमरपुरा खंगारपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि एलॉट कराने की बावत।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं

(श्रीकृष्ण कुमार गोयल)

श्रीमान जिलाधीश साहब कोटा से मिला। भूमि, अलॉट करवाये जाने के सम्बन्ध में तो जिलाधीश महोदय ने फरमाया कि आप पहले भूमि पसन्द करो। वही भूमि आपको एलॉट कर दी जावेगी। मगर महकमा वन विभाग की नहीं होनी चाहिये। अत: ग्राम अमरपुरा खंगारपुरा तहसील लाड़पुरा की भूमि एलॉट करना चाहता हूं। खसरा नम्बर व रकबा नीचे मुजिब है। वह जमीन उन नम्बर, उन खसरा नम्बर की जो इनको एलॉट की गई उन लोगों ने वह सारी जमीन का नम्बर एक दरख्वास्त पर डी.एफ.ओ. कोटा ने इन एप्लीकेंट्स को सूचित किया है। नम्बर मिसल है 3005, दिनांक, 24-4-66, डो. एफ. ओ. कोटा ने इनको लिखा, "आपका प्रार्थना-पत्र दि० 20-4-67 प्राप्त होने पर निम्नलिखित खसरा नम्बरान मतलूबा की सूची से आपको सूचित किया जाता है"। उसमें लिखा है कि यह सारी की सारी जमीन रेवेन्यू विभाग की है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आरम्भ में जमीन को लेने की कोशिश की। फोरेस्ट सेटिलमेन्ट के कारण लेकिन उसके बाद जो इन्क्वायरी कमेटी बनी उस इन्क्वायरी कमेटी ने यह सारी की सारी जमीन राजस्व विभाग की बताई। जब जमीन एलॉट हो गई और एलॉट करने के पहले फोरेस्ट विभाग के डी०एफ०ओ० को पूछ लिया गया कि यह जमीन रेवेन्यू विभाग की है। और जब जमीन एलॉट हो गई तो जंगल से लकड़ी लाने के लिए ट्रांजिट पास फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने इस आधार पर इन लोगों ने इस सारी जमीन को काश्त लायक बनाने के लिए लगभग 10-15 हजार रुपया खर्च कर दिया, और आगे जाकर सब इन लोगों ने रुपया खर्च कर दिया, तब यह कहा जावे कि यह जमीन जंगल से घिरी हुई है। यह गेम्स सेंचुअरी के बीच में आती है तो यह सरासर उनके साथ अन्याय है।

इसके अलावा मैं राजस्व मन्त्री को सूचना देना चाहता हूं कि यह गेम्स सेन्चुअरी चली आ रही है। और इस गेम्स सेन्चुअरी के अन्दर कम से कम 4-5 गांव आबाद हैं जिनमें अब भी हजारों बीघा जमीन पर काश्त होती हैं। ग्राम गिरधरपुरा और ग्राम डोलाई बड़े बड़े ग्राम हैं। जिनमें जमीन पर काबिज रह कर लोग जमीन पर काश्त करते चले आ रहें हैं। इसके अलावा स्वयं सरकार ने, स्वयं तहसील एलॉटमेंट कमेटी ने इस इलाके में जिसकी गेम्स सेन्चुअरी कहा जाता है, उपाध्यक्ष जी, जमीन एलाट की है। तो यह पहला मौका नहीं है जमीन एलॉटमेन्ट का। फौजी पहले आदमी नहीं हैं जिनको इस एरिया में जमीन एलॉट की गई है। स्वयं तहसील लाडपुरा की लेंड एलॉटमेंट कमेटी ने इस एरिया में जमीन का एलॉटमेन्ट किया है। मैं राजस्व मन्त्री को बताऊं कि ग्राम हेमपुरा लक्ष्मीपुरा की जमीन एलॉट की गई। स्वयं तहसील एलॉटमेन्ट कमेटी के द्वारा जो कि गेम्स सेंचुअरी में गांव है। 27-5-65 को 42 बीघा 16 बिस्वा जमीन का एलॉटमेन्ट इस एरिया किया और मुकन्दरा जो गेम्स सेन्चुअरी में ग्राम हैं उसके अन्दर 40 बीघा और 14 बीघा 12 बिस्वा जमीन का एलॉटमेंन्ट किया गया। यह एलॉटमेन्ट 65 से लेकर है तो जिनको यह एलाटमेन्ट किया है इस गेम्स सेंचुअरी में तहसील एलॉटमेंट कमेटी ने वह सब लोग जमीन पर काविज होकर जमीन पर काश्त कर रहे हैं। इस तरह यह फौजी पहले आदमी नहीं होंगे जो वहां जाकर काश्त करेंगे वल्कि इनके पहले से वहां इस जमीन पर काश्त होती चली आ रही है। इसलिये

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जमीन गेम्स सेंचुअरी के अन्दर है, यह केवल बहाना है। गेम्सवार्डन का। उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। डी.एफ.ओ. कोटा ने कुछ नहीं किया, कंजरवेटर ने कुछ नहीं किया, रेंजर ने कुछ नहीं किया। तमाम अधिकारी चुप रहे। और समय समय पर परमीशन देते रहे, लकड़ी काटने की इजाजत देते रहे। इनको मालूम था कि जमीन का एलाटमेंट इस एरिया में हो रहा है। लेकिन इन अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की। केवल सारा झगड़ा इसलिए पैदा हुआ कि यह गेम्सवार्डन महोदय जो इस इलाके में है वह फौजियों से चाहते थे कि इस जमीन के अन्दर उनको भी हिस्सा दिया जाय और काश्त के लायक उनको भी जमीन दे दी जाए। अगर वह राजी हो जाते हैं तो सारा झगड़ा मिट जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो फौजी हैं। हम पर इस सरकार ने मेहरबानी करके जमीन को एलॉट किया है। इसलिए हम इस पर काश्त करेंगे। जब यह तैयार नहीं हुए तो यह सारी शरारत गेम्सवार्डन के इंस्टीगेशन से हुई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जमीन पहले से ही काश्त के लायक थी। पहले ही इस पर काश्त होती थी। जो तीन आदमियों की इन्क्वायरी कमेटी बनी थी उसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें से एक पैरा राजस्व मन्त्रीजी आपको पढकर मैं सुनाना चाहूंगा जिससे आप स्वयं इस नतीजे पर आ जायेंगे कि उस इलाके में पानी का इंतजाम था। उसमें एक झरना है उस झरने के पानी से पहले चावल पैदा किया जाता था। बहुत सी जमीन पर बाद में वह जमीन बरबाद होती रही। अब जाकर उसका एलॉटमेन्ट हुआ है। "तहसील लाडपुरा के इस वनखंड में ग्राम गिरधरपुरा की सीमा में कुंड का चक जिसमें पांच कुएं व पानी का घोरा होने से सिचाई होगी और इसी ग्राम की सीमा में घरड़ा का क्यारा"। घरडा का क्यारा नाम है। यह इस इलाके में मशहूर हैं। यह कहा जाए कि घरडा का क्यारा है तो इसका मतलब यह है कि चावल ज्यादा पैदा होता है। जिसमें बनझार से नाली लाकर पानी से सिंचाई होगी– उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करक कहना चाहता हूं कि सारे जंगलात विभाग को कि इस जमीन का एलाटमेन्ट होने वाला है, यह बात उनके नोटिस में लाई गई थी और डी०एफ०ओ० स्तर के अधिकारी ने कहा था कि यह जमीन राजस्व विभाग की है। यदि यह अलग की जाय तो ऐतराज नहीं है और डी०एफ०ओ० कोटा ने पेड़ काटने और काटकर ले जाने का अधिकार दिया और यह स्थिति आई तो इस पर दस पन्द्रह हजार रुपया इन जवानों ने खर्च कर दिया, पेड़ काटे और पेड़ काट कर जमीन को काश्त के लायक बना दिया तो आज कह रहे हैं कि जमीन को काश्त मत करो। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मन्त्री से कि वह कठोर कदम उठा कर इन सेवारत और सेवा निवृत्त फौजी लोगों को वापिस जमीन पर काबिज होने देने के लिए कलेक्टर को लिखें।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ): (श्री खेतसिंह के खड़े होने पर) आप उनको (राजस्व मन्त्री) कहने दें। आपको अधिकार नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : अधिकार कैसे नहीं है ? अधिकार सब को

श्री खेतसिंह (उपमन्त्री, गृह) : जितना अधिकार इनको है, उतना ही अधिकार मुझे भी है।

श्री मदनसिंह दांता : ये बेचारे क्या बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें श्री कृष्णकुमारजी गोयल ने कहीं हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय उपमन्त्री ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इनको कहिये ये अपने शब्द विथड्रा करें। इन्होंने कहा 'ये बेचारे'। तो क्या ये बापड़े हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे शब्द वापिस लेता हूं। बेचारे फौजियों के लिये। आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप कुछ बोलें।

श्री रामकिशन : आप (श्री खेतसिंह) हाथ नहीं खुजा सकते ?

श्री खेतसिंह : जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उन्होंने सैनिकों की बहुत बड़ी दुहाई दी है। मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सैनिकों के प्रति जितनी उनकी हमदर्दी है उससे कहीं ज्यादा मुझे स्वयं को है।

एक माननीय सदस्य : आप स्वयं राज्य सरकार को पूछ रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है।

श्री प्रेमसिंह : इसीलिये तो चलती नहीं है आपकी।

श्री खेतसिंह : यह आपको भलीभांति मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार ने ही सैनिक कल्याण का अलग महकमा कायम कर दिया। सैनिकों को कई सुविधाएं दी है। उसी प्रकार का यह मसला हैं। जिस पर बहुत जोर से माननीय सदस्य ने कई बातें रखी हैं।

इस सिलसिले में मैं खासतौर से यह कहना चाहूंगा कि जो यह एलॉटमेन्ट भूतपूर्व सैनिकों को किया गया है इसमें कुछ खामियां हैं। शुरू से ही गलतियां रह गई हैं इसलिये इसको केन्सिल करना पड़ा। सबसे पहली बात तहसील एडवाइजरी कमेटी ने जो यह एलॉटमेंट किया है उनको 15 बीघा से ज्यादा देने का अधिकार नहीं था आपने स्वयं ने अभी यह बताया है कि हर व्यक्ति को 15 बीघा से ज्यादा किसी को 24 बीघा, किसी को 23 बीघा, किसी को 21 बीघा— इस प्रकार जमीनों का अलॉटमेंट हुआ है तो रूल्स के अनुसार यह अलॉटमेन्ट कर देने के अधिकारी नहीं थे और उससे ज्यादा जमीन का अलॉटमेन्ट हुआ है। दूसरी बात यह है कि तहसील एडवाइजरी कमेटी के अधिकार में यह लिखा है कि उसी जिले का भूमिहीन काश्तकार होना चाहिये। इसमें 3-4 व्यक्ति ऐसे आ गये हैं जो उस जिले के नहीं है। जब ये दोनों बातें कलेक्टर, कोटा के ध्यान में आई तो उन्होंने इस पर स्टे आर्डर दे दिया और

(श्री खेतसिंह)

उसी से सारा मामला चला है। उसके बाद कलेक्टर स्वयं ने मौके का निरीक्षण किया तो पता चला कि यह जमीन गेम्स सेन्चुअरी है उसके बिलकुल बीचोंबीच आई हुई है। अगर गेम्स सेंचुअरी को काश्तकारों को एलॉट किया गया तो इसका महत्व कुछ नहीं रह जायगा। अगर यह गेम्स सेन्चुअरी काटना शुरू हो जायगा तो वाइल्ड लाइफ हरिण, चीता, सांभर आदि जानवरों को खतरा हो जायगा। जब वे उस काश्त की जमीन पर आयेंगे तो उनको गोली से मार दिया जायगा और फिर गेम्स सेंचुअरी रखने का सवाल ही क्या रह जायगा। राज्य सरकार ने इस बात को सोचा कि गेम्स सेन्चुअरी का रखना बहुत जरूरी है। आपके विरोधी दल के नेता और कई माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है। दूसरे राज्य के अन्दर जहां सवा तैंतीस प्रतिशत जंगल पाये जाते हैं वहां राजस्थान के अन्दर 11 प्रतिशत ही है, उसमें भी जो खास जंगल हैं वे 4 प्रतिशत ही है जो वास्तव में जंगल कहलाने योग्य हैं। उसमें भी फौजियों की दुहाई देकर जो घने जंगलों में आई हुई जमीनें हैं उसका सफाया करवाने जा रहे हैं, कटवाने चाहते है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। जो कलेक्टर, कोटा ने नोटिसेज दिये हैं, उनका यह कहना है कि हम यहां से हटाकर दूसरी जगह जमीन देना चाहते है। आज भी यह बात नहीं है कि उनको जमीन नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जंगलों से बाहर, गेम्स सेंचुअरी से बाहर। इसलिये इन सैनिकों से भी यही बात कही है कि आप भी जमीन देखें जो रेवेन्यू के काबिल काश्त जमीने है। हम भी देख रहे हैं ताकि आपको जमीन एलॉट कर दी जायं। यह वापिस ले लिया है जिससे सैनिकों को कोई दिक्कत न आये। जिस परिस्थिति में यह बात हुई है वह यही है।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : इसके सम्बन्ध में अभी दो बातें हुई हैं उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह है कि आपके रूल्स के अन्दर जिस किसी गांव का रहने वाला वह होगा। एक्स सर्विस मैन वह दूसरे गांव में नहीं ले सकता है, ऐसे नियम हैं। उसी गांव में उसको एलॉटमेन्ट होगा किन्तु यहां तो हम देखते हैं कि मन्त्री महोदय, बीकानेर के रहने वाले है वे तो जमीन जयपुर में ले सकते हैं और उन्होंने ले रखी है किन्तु एक फौजी भाई के लिये यह नियम नहीं है। दूसरे फिर वहां के जंगलों से हटाकर दूसरी जगह देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों बातें कन्ट्राडिक्टरी हैं। क्या आज मन्त्री महोदय यह कहने को तैयार हैं कि जो उनके 10-10, 15-15 हजार रुपया खर्च हुआ है, वह मय ब्याज देकर दूसरी जगह बसाने का वायदा करते हैं। मेरे ये ही दो प्रश्न हैं। आगे गोयल साहब (श्री कृष्ण कुमार गोयल) इस पर बहस करेंगे। वन विभाग कहता है कि वन की रक्षा के लिए अलग किया जा रहा है और दूसरे एक गांव का आदमी दूसरे गांव में नहीं आ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके मेरे पास कई दृष्टांत हैं, कई आंकड़े इस सम्बन्ध में मेरे पास मौजूद हैं। मैं बाद में पेश कर दूंगा।

श्री बृज बल्लभ (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का सवाल है। मैं इसकी भलीभांति जानकारी रखता हूं। यह तहसील लाड़पुरा में ट्रेजरा गांव है वहां बहुत अनाप सनाप खेती होती थी। लेकिन

(श्री बृज वल्लभ)

एक बीमारी वहां आई और उस बीमारी से कई आदमी मारे गये और कई वहां से छोड़ कर चले गए इससे वहां के आदमी कम हो गये। राजा महाराजाओं ने शिकार खेलने के लिए इसे जंगल का रूप दे दिया। वे लोग वहां से छोड़कर मैदानी इलाकों में आ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि मैदानी इलाके में बहुत उपजाऊ जमीन है। 500 बीघा से ज्यादा जमीन है। 160 बीघा तो ऐसी है जो- जिसको गरड़े के नाम से बोली जाती है। 7 फौजी भाइयों को एलॉट की गई है। इन्होंने जाकर जमीन को आबाद किया है और उसे आबाद करने में सैकड़ों रुपये लगाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गिरधरपुरा, डोलिया, चान्दवाड़ में काश्त होती है। क्या उन काश्तकारों से वे लोग पिछड़ जायेंगे? उधर गिरधरपुर में एक तालाब है उसकी मरम्मत की जाय तो सैकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई की जा सकती है। जहां भारत सरकार अन्न के लिए नारा देती है कि अधिक अन्न उपजाओ अधिक अन्न उपजाओ दूसरे सैनिकों ने उस भूमि को आबाद किया है और अब उस आबाद की गई जमीन को जानवरों के लिये छोड़ी जायेगी। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि आदमियों से क्या ज्यादा महत्व के जानवर हैं। जो आदमियों को मार देते हैं, फसलों को उजाड़ देते हैं, बरबाद कर देते है। बाहर से आने वालों को खेती की जमीन मिलती है जबकि ये लोग वहीं के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं। 17-7-67 को इस जमीन को कलेक्टर महोदय के द्वारा एलॉट करवाई है। वन विभाग को क्या मालूम नहीं था कि वे इस जमीन को कैसे अलाउ करते हैं। इसको अलाउ करने में हमें दिक्कत आयेगी और हमारे जानवर मारे जायेंगे, क्या यह उनको पहले से पता नहीं था? मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष महोदय, यह बहाना मात्र है। इन फौजियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह जमीन आबाद होगी, यह जमीन बिकेगी। और कालोनाइजेशन से यह जमीन इन सैनिकों के लिए छुड़ा ली गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप लम्बा भाषण नहीं देंगे।

श्री बृज वल्लभ : जंगल बाहर से काटे हुए हैं। ऐसे कई जंगल है। 10-20 जंगल तो सैकडों गांव ऐसे है जिनमें मौजूद है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो खेती की है वह ब-दस्तूर रहनी चाहिए। वरना इनका उत्साह मारा जायेगा और हम लोगों ने जो कुछ कार्य किया है उसकी इज्जत भी नहीं रहेगी। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं- गेम्स सेन्च्यूरी होने के कारण न दिया जाना कौन सी तारीख से कौन सी साल से तय हुआ है यानि कब से, यह गेम्स सेन्च्यूरी में आया है- नं० 11

(2) क्या यह सही है कि इस गेम्स सेन्च्यूरी के अन्दर कई गांव और कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं?

(3) क्या यह सही है कि गेम्स सेन्च्यूरी एरिया के अन्दर हजारों बीघा जमीन आज भी काश्त की जाती है?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(4) क्या यह सही है कि इस गेम्स सेन्च्यूरी एरिया के अन्दर स्वयं एलाटमेंट कमेटी ने सैकड़ों बीघा जमीन भिन्न भिन्न काश्तकारों को सन् 65 से लेकर 67 तक एलाट की है और उस एलाटमेंट के अनुसार सैंकडों काश्तकार आज भी जमीन की काश्त कर रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जो सैनिक हैं उन लोगों पर एलाटमेंट के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं कि उनको जो जमीन एलाट की जाय वह उसी गांव का निवासी होना चाहिये ।

(1 म० प०)

(6) क्या यह सही है कि जिन सैनिकों को यह जमीन एलॉट की गई है उस पर तहसीलदार, पटवारी और कानूगो इन सब ने उस जमीन का इनको कब्जा दे दिया था ? कब्जा देने के बाद एस० डी० ओ० के यहां जमा करा दिया था ?

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इन सैनिकों ने उस जमीन पर जो पेड़ थे कटा लिये हैं और जमीन को सफा करा लिया है ?

क्या यह सही है कि उस जमीन को साफ कराने और पेड़ कटाने में हजारों रुपया इनका व्यय हुआ है ? अगर ये तथ्य सही हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर जिलाधीश या एस० डी० एम० द्वारा प्राप्त हुवा है क्या वह उत्तर वाजिब है ? इसके अलावा जो जमीन उनको मिल चुकी जिस पर हजारों रुपया खर्च कर दिया क्या सरकार उनको उस जमीन से हटाकर उनको बरबाद करना चाहती है । केवल यह आश्वासन कि उनको दूसरे स्थान पर जमीन दी जायेगी इन तथ्यों को रोशनी में सैनिक लोग उस जमीन पर रहते हैं, खेती करते हैं और हजारों बीघा जमीन काश्त होती है इन सब तथ्यों के आधार पर केवल यह कह देना कि गेम सेन्च्यूरी है, कहां तक उचित है ? इन सारी स्थितियों में जब उस पर कब्जा ले लिया काश्त करने लायक जमीन बना रहे हैं ? हटवादिता से आप उनको उस पर कब्जा न दें तो क्या उनके लिए अदालत का रास्ता खुला नहीं हैं, उसके द्वारा वह सरकार पर रोक नहीं लगवा सकते ? क्या सरकार यह चाहती है कि वे अदालतों में जाकर स्टे लावें ताकि पहले तो उनका खर्चा हुवा सो तो हुआ अदालत में भी उनसे खर्च करवाना चाहती है ? वहां स्टे लाकर फिर सरकार पर जूता मारें ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उस पर माननीय सदस्य बोल गये जिन्हों-ने प्रस्ताव किया अब दूसरों को इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : एक मिनट में । क्या यह सच है कि जिस समय यह भूमि फौजियों को एलॉट की गई थी क्या उन सब को कि वे वहीं के निवासी हैं राज्य सरकार द्वारा नोटिस दिया था ?

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

क्या सरकार के अधिकारियों को इस बात का मालूम नहीं था कि हम अलोटमेंट गैर कानूनी करने जा रहे हैं ?

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कानून की अवहेलना करते हुए जितने फौजियों को कब्जा दे दिया उन्होंने उस पर रुपया इनवेस्ट कर दिया क्या वह राज्य सरकार को देय नहीं होगा ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय मंत्री भी एडवोकेट रह चुके हैं लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत यह अलोटमेन्ट कमेटी ने अलोटमेन्ट किया उसको कलेक्टर अमेन्ड कर सकता है क्या ? क्या इसके लिये कलेक्टर के सामने किसी ने अपील पेश की अगर पेश नहीं की कलेक्टर लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की कौन सी धारा के अन्तर्गत अधिकार जो उनको प्राप्त हो गए उस पर स्टे आर्डर जारी कर सकता है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस जमीन का संबंध है दो तीन बातें अभी ध्यान में आयी है वह यह है कि यह जमीन माननीय सदस्य यह मान कर चलते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा अलोट की गई है। जहां तक नियमों का संबंध है यह लोकल एडवाइजरी कमेटी के जरिये उनको अलोट की गई है वह राज्य सरकार द्वारा नहीं हुई है। इस पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के नियम लागू हैं। पर तहसील एडवाइजरी कमेटी को 15 बीघा से ज्यादा भूमि अलोटमेन्ट करने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट कर सकती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार कोई प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेन्ट को सब अधिकार है जहां तक एडवाइजरी कमेटी का संबंध है 15 बीघा भूमि आर्डिनरी सिटीजन के हैसियत से कर सकती है।

इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत लोकल कमेटी है वह पहले स्थानीय भूमिहीन लोगों को भूमि दे सकती है। दूसरा प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या वे यहां के रहने वाले हैं। भूतपूर्व सैनिकों की हैसियत से जमीन लेते तो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लेते तब तो वे रूल्स लागू नहीं होते। किस प्रकार से दरख्वास्त दी और उनको किस तरह से अलोट की गई।

तीसरा प्रश्न सतीशचन्द्र जी ने उठाया कलेक्टर को वगैर किसी रिविजन के वगैर किसी दरखास्त के स्टे देने का अधिकार नहीं था। डी० एफ० ओ० ने कलेक्टर को दरखास्त पेश की है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपील।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपील नहीं। स्थगित कर दिया है उसके बाद रिपोर्ट कर सकता है कलेक्टर, तभी जाकर कार्यवाही पूरी होगी। अभी तो केवल स्थगित किया है पूरे आर्डर नहीं किये हैं।

इसके अलावा इस संबंध में माननीय सदस्य ने काफी सूचना दी है कमेटी की रिपोर्ट उनके पास है उन सब बातों पर ध्यान दिया जायगा। कलेक्टर ने फिलहाल स्थगित किया है उसके बाद जो भी रिपोर्ट वे पेश करें उसका इन्तजार करना चाहिये इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। मैं स्वयं अब की बार कोटा आऊंगा तब देखूंगा कि वास्तव

(बृज सुन्दर शर्मा)

में यह जमीन किस जगह है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आदि सब बातें देखकर तय करेंगे।

इसके अलावा अगर किसी की गलती है उसके कारण वास्तव में सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसको देखा जायगा उनके लिये अच्छी जमीन भी तजवीज हो सकती है। कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाने दें उसके बाद सरकार के क्या आदेश होते हैं उसकी प्रतीक्षा करें। गवर्नमेन्ट सारी बातों पर विचार करके निर्णय लेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो माननीय मंत्रीजी ने सहानुभूति के शब्द कहे उसके लिये धन्यवाद। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इतनी जल्दी इस जमीन के लिये स्टे करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ? विभाग यदि जागरूक था तो पहले कैसे सोता रहा। 15 बीघा से ज्यादा दी गई उसको आप उसको नहीं मानेंगे लेकिन स्टेट लेवल पर राज्य सरकार इसको रेगूलेराइज कर सकती है। आशा है, सरकार इस बारे में जल्दी से कार्यवाही करेगी।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। जब राज का ऑर्डर स्पष्ट है, रेवेन्यू अधिकारियों के पास वह है, अलाटमेन्ट कमेटी को मालूम है कि 15 बीघा से ज्यादा नहीं देना चाहिये। अब अगर दे दिया है किसी को तो आप उसमें से उतनी डिडक्ट कर लीजिये। पर मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर किसी की जमीन इस तरह से छीनने की कोशिश सरकार ने की तो राजस्थान के एक्स सोल्जर्स मरने मारने को तैयार हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भगवान दास शास्त्री : (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा के लिए प्रस्ताव भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इस पर निर्णय नहीं हो सकेगा।

श्री मदनसिंह दांता : मिनिस्टर की जमीन पर कब्जा करेंगे अगर आपने उनके साथ कुछ किया तो। आपके मकान एक्स्ट्रा है उनपर कब्जा होगा। मन्त्रीजी को मालूम हैं उनके गुर्गों ने आमेर में जमीनें दबा रक्खी है लोगों की। उस पर आप मौन है, और आज फौजियों की जमीन का मामला आता है तो भाषण देकर अलग हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक सप्ताह से मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जयपुर नगर में हरिजनों की हड़ताल के बारे में दे रक्खा है। मलबा का ढेर गलियों में पड़ा है। गन्दा पानी बह रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है पर राज सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी नहीं सुनना चाहती तो मन्त्री महोदय, का स्टेटमेन्ट तो आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान के मुख्य मंत्री के लेटर के लिए कलेक्टर ने कहा है भोंगली करके चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दें। फिर कहते हैं जोश में मत आओ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : किस कलक्टर की कह रहे हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : आज का प्रश्न फौजियों के लिये उठाया है। कब्जा कानून के मुताबिक उन सात आदमियों का है, जायज कब्जा है, पजेशन हो गया है, दस हजार के करीब उस पर इन्वेस्टमेन्ट उनका हो गया है। पर आज आप के जंगलात के कानून की बात खड़ी कर रहे हैं।

आय-व्ययक (बजट) 1968-69 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (आपर) : आज हम सन् 1968-69 के बजट पर सामान्य वाद विवाद कर रहे हैं। इस बजट से हम यह उम्मीद कर रहे थे कि इससे राजस्थान के उन लोगों को जो पिछड़े हुए है, किसान और मजदूर वर्ग है कुछ राहत मिलेगी और वह समाजवादी दृष्टिकोण वाला बजट होगा पर हमें निराशा ही हुई। सरकार समाजवाद का थोथा नारा लगाती है। हम यह मानकर नहीं चल सकते कि इस आशय में यह कोई प्रगतिशील बजट है।

माननीय वित्त मन्त्री ने इस बात की कोशिश की है कि कोई नया टैक्स इस साल न लगाया जाय। लेकिन साथ में यह भी विचार हमें करना है कि पिछड़े ग्राम लोगों को राहत दी जाय। इसलिये मेरी राय में यह किसी तरह से समाजवादी दृष्टिकोण का बजट नहीं है। समाजवादी नीति का भी नहीं है।

वित्त मन्त्री ने बताया कि आर्थिक स्थिति राजस्थान सरकार की ठीक नहीं है और इस कारण नहीं है कि राजस्थान में आये दिन सूखा अकाल पड़ता रहता है और इसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान में अकाल की समस्या बराबर रहती है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पर आप सोचिये कि उस एरिया में अकाल राहत के काम देने के लिये हर साल हम करोड़ों रुपया खर्च करते आ रहे हैं उन इलाकों में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, बीकानेर और जालौर आदि जो डेजर्ट एरिया है। यहां आये साल अधिकांश भागों में अकाल बना रहता है और इसलिये हम यह सोच रहे थे कि सरकार इस रोज की अकाल की बनी रहने वाली स्थिति को देखकर एकबार ही इसका कोई स्थायी हल निकाल कर इसका सदा के लिये निवारण करेगी और इसका बजट में प्रावधान करेगी। पर बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं देखकर हमें बड़ी निराशा हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के गरीब किसान लोग अपनी जिन्दगी और जानवरों को लेकर दूर इलाकों में जाते है रोजगार और जानवरों के चारा पानी के लिये। बाहर वे भटकते रहते हैं, पर यहां उनके लिये कोई स्थायी व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं सोच पाई है बीस बरस इन्हे राज करते भी हो गये। पहले भी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया जाता रहा है कि इस अकाल को रोकने के लिये हमें कोई स्थायी योजना बनानी चाहिये और इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये और मैंने इन वित्त मन्त्रीजी से यह आशा भी की थी पर वह

(श्री रावतराम)

आशा आशा ही रह गई। तो क्या किसी स्थायी योजना के अभाव में हम इसी तरह से लाखों करोड़ों रुपया हर साल बिगाड़ते रहेंगे। स्थायी तौर से योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था हम नहीं करेंगे ?

वहां के लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं खेतीबाड़ी के लिये अच्छा स्कोप नहीं, व्यापार व्यवसाय वहां कुछ नहीं, लोग जो वर्षों से अकाल पीड़ित हैं वे आगे भी इसी तरह से तकलीफ पाते रहेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि अकाल सहायता कार्यों के अतिरिक्त वहां कुछ काम चालू किये थे जिनमें खासतौर से सड़कें बनाने का काम मुख्य था। इसमें सरकार ने लाखों रुपया लगाया, रोड़ियां, पत्थर आदि डाले गये लेकिन आज तक कोई एक भी सड़क को मुकम्मिल नहीं कह सकते। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि अगर उनको सड़क निर्माण ही कराना है तो क्या इसी तरह से लाखों रुपया हम हर साल बरबाद करते रहेंगे। उन सड़कों को धीरे धीरे प्लान रोड में शामिल करना चाहिये और स्थायी तौर से उनको बनाना चाहिये ताकि जहां हमारा पैसा खर्च होता है वहां सड़कें भी बराबर बनती जावेंगी और उपयोग में आती रहेंगी।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में पिछले दो तीन साल से बराबर कोशिश कर रहा हूं कि जितनी फेमीन रोड बनी हैं उनमें जिन किसानों के खेत एक्वायर किये गये हैं जिनके खेतों में से होकर वे सड़कें गई हैं उन लोगों को उसका आज तक किसी भी तरह का मुआवजा नही दे पाई है यह सरकार। प्रश्नों के रूप में और दूसरी तरह से इन सवालों को यहां सदन में भी बार बार उठाया गया कि ऐसे किसानों को जिनके पास खातेदारी की जमीन थी और जो सड़क में आ गई उनको कम्पन्सेशन सरकार को देना चाहिये। पर सरकार बराबर इस मसले को टालती रही है। यह कह कर कि यह मामला विचाराधीन है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर फिर दिलाना चाहता हूं कि क्या आप इस मसले को इतना लम्बा करना चाहते है धीरे धीरे वह बात लोगों के ध्यान से ही चली जावे ?

तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर गौर करना चाहिये और जितनी भी सड़कें आज राजस्थान में बनाई गई हैं और जिन किसानों की जमीनें सड़कों के नीचे आई हैं उनको तुरन्त मुआवजा देना चाहिए तब जाकर यह स्थिति साफ हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि लोगों के खेतों में आज भी पत्थर और रोड़ियां पी०डब्लू०डी० और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स ने डाल रखी हैं और उसके कारण किसान आज काश्त नहीं कर सकते और जमीनें खराब हो गयी हैं और सरकार आज तक एक पैसा भी मुआवजे का उनको नहीं दे पाई है इसलिए मै निवेदन करूंगा कि उन सड़कों के नीचे जिन किसानों की जमीन आई हैं उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाय। मैं अपने इलाके की बात कहता हूं सरदारशहर से डूंगरगढ़ जो डिफेन्स रोड़ है और सरदारशहर से राजगढ़ इन सड़कों के नीचे जितने भी गांव आये है किसानों को उनकी

(श्री रावत राम)

जमीन का कम्पन्सेशन नहीं दिया गया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री मौजूद नहीं हैं उनसे मैं कई बार मिला और लिखकर भी दिया लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। तो उन लोगों को तुरन्त मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेती के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बात का संकेत किया है कि हम खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और हम बजट का 50 परसेन्ट पहले खेती बारी के कामों में और बिजली और सिंचाई के कामों में खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय कि हम जब तक छोटी सिंचाई योजनाओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर हमारा पैसा खर्च होता है। यह हो सकता है कि यह जरूरी हो लेकिन फिर भी आज आम किसान के लिए यह फायदेमन्द नहीं हो सकती, आम किसानों के लिए वही योजनायें फायदेमन्द हो सकती है कि जो किसान जहां रहता है उसके लिए वहीं छोटी सिंचाई की योजना बने और उसके ऊपर हम ध्यान दें। तो आज स्थिति यह है कि आज जब किसान लोग कुएं बनाने के लिए कर्जा मांगते हैं कर्जा हम उनको नहीं दे पाये हैं और जहां कर्जा दिया है और कुंए भी बने हैं वहां पर हम उन कुओं में बिजली नहीं दे सके है। जहां बिजली की लाइन चली गयी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि आज दो दो साल हो गए ट्रान्सफार्मर्स खड़े हैं, बिजली की लाइनें खड़ी हैं, कुंए बने हुए हैं लेकिन उनको बिजली के कनेक्शन्स नहीं मिलते हैं। उनको पम्पिग सैट का लोन नहीं मिलता। जिन्होंने अपने पम्पिग सैट्स लगा रखे हैं उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। तो यह स्थिति है। सरकार इस बात का नारा लगाती है "जय जवान जय किसान" तो जय जवान की चर्चा तो अभी हो रही थी और वह आप सबने सुनी होगी। कोई चीज आज हम दे देते हैं तो उसको छीनने की कोशिश करते हैं और किसान की जो हालत है वह आपसे मैं दर्यापत करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कुएं बनाये, जहां आपकी बिजली की लाइन खड़ी है, जहां ट्रान्सफार्मर है क्या हमारा डिपार्टमेंट सोया पड़ा है, क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चिन्ता नहीं कि 20 हजार रुपये का इन्वेस्टमेन्ट किसी ने किया है क्या हम उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दे सकते? हम यह कहकर चलते हैं कि बिजली की कमी है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे और इनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करेंगे तो यह उत्तम नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं सरकार पर कि आज उन लोगों की बात सुनी जाती है जो साधन सम्पन्न हैं और पैसे वाले लोग हैं। वह अपने प्रभाव से सरकार को प्रभावित करते हैं। अपनी नीतियों और कलाबाजियों से अपना काम निकालते हैं और वह लोग जो गांवों में बैठे हैं उनकी तरफ सरकार इतना ध्यान नहीं दे सकती। इसलिए नहीं दे सकती कि सरकार सोचती है कि उन लोगों को तो हम गुमराह कर

(श्री रावतराम)

सकते हैं और उनके वोट हम प्रलोभन देकर हासिल कर सकते हैं। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए खासतौर से यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती कि आज बिजली बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जितनी आसानी से उन लोगों को उपलब्ध हो सकती है, शहरों में बड़े बड़े बंगलों में कितनी बड़ी रौनक है और उनको आसानी से बिजली मिल सकती है क्यो उस जगमगाहट को हम कम नहीं कर सकते? क्या हम उस चकाचौंध को कम नहीं कर सकते? यहां कम करके उस बिजली की मात्रा को जो गांवों में किसान बसते हैं और अन्न पैदा करते हैं क्या हम उनको बिजली नहीं दे सकते? क्या यह समाजवादी सरकार का फर्ज नहीं है? आप कह सकते हैं कि हमने समाजवाद का नारा लगाया है और दूसरी पार्टियों की कोई नीति नहीं है, दूसरी पार्टियों के पास प्रोग्राम्स नहीं है, उनकी कोई आईडियोलोजी नहीं है। आप उनके ऊपर तो आरोप लगाते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्लोगन दिया है कि हम सोशियेलिस्टिक पैटर्न की सरकार चलाना चाहते हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि जो बिजली की मात्रा बड़े२ लोगों को मिलती है क्या आप उनको नहीं कह सकते कि आप एक बिजली के लट्टु से काम चलायें? आज वह सौ२ लट्टू लगाते है क्या आप उनकी बिजली कट नहीं कर सकते और उन किसानों को नहीं दे सकते जो कि किसान गावों में रहते हैं। मैं माननीय उपाध्क्षय महोदय सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां तो किस सरकार से निवेदन करूं न ता वित्त मंत्री जी हैं, न दूसरे मंत्री मौजूद हैं। लेकिन जो बैठे हैं उनकी मेरे ख्याल में इसमें रुचि नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में आंकड़े दिये है कि हमने करीब 14 हजार कुओं में बिजली के कनेक्शन दिये हैं। लेकिन यह कुए आपके सन् 50 से बने हुए हैं और आज 68 चल रहा है। 18 साल में इतने कुओं पर आपने बिजली दी है। अब आप अन्दाजा लगायें कि राजस्थान में कुल 38 हजार के करीब गांव हैं और उनमें से आपने कुओं में 14 हजार में करीब बिजली दी है और वह भी 18 साल में। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 18 साल के बाद भी आप की अस्पष्ट नीति है। आप यह आंकड़े बताकर सदन में जाहिर करना चाहते हैं कि हम किसानों को छोटी सिंचाई के लिये बिजली दे रहे हैं और यह काफी है। तो अब आप ही सोच लीजिए कि 38 हजार गांवों में 14 हजार कुओं पर बिजली देना और बड़े बड़े शहरों में बिना मतलब, बिना काम के लिए आप उनको बिजली दे रहे हैं। क्या आपकी यह नीति ठीक है? यह नीति आपकी ठीक नहीं है। इस नीति को आप नहीं बदलेंगे तो किसान आज अन्न पदा करके नहीं दे सकता, किसान परेशान हो जायेंगे और इस सरकार की जो अस्पष्ट और ढिलमिल नीति है इससे किसान तबाह हो जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज जो बिजली देने की नीति है उसमें किसान को टाप-प्रियोरिटी देनी चाहिए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय बिजली के चार्जेज बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ कहा जाता है कि हम इन्डस्ट्रीज के लिए और फेक्ट्रीज के लिए बिजली देते हैं उनको कम रेट में इसीलिए देते हैं कि वह

(श्री रावत राम)

ज्यादा खर्च करते हैं। अब आप अन्दाज लगायें कि एक आदमी जो ज्यादा खर्च करता है उसको तो कम पैसों में देते हैं और एक किसान जो कि गवर्नमेन्ट के पीछे पीछे फिरता है और आफिसरों के तलवे चाटता फिरता है उसको कहते हैं कि हम 12 पैसे में देंगे। एक तरफ एग्रीकल्चरल को बिजली देते है और उसका 12 पैसा प्रति युनिट वसूल करते हैं और दुसरी तरफ आप इन्डस्ट्रीज के लिए इससे भी कम में देते हैं। इसके अलावा माननीय उपाध्क्षय महोदय, मैं उन इलाकों का जिक्र करूंगा खास तौर से चूरू जिले का जो डेजर्ट एरिया है। सुजानगढ़, नोखा, रतनगढ़ और डूंगरगढ़ के आसपास का एरिया जहां लोगों को पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। माननीय उपाध्क्षय महोदय, उन गावों के लिए उन किसानों के लिए हमें पीने के पानी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सरकार इस बात को बराबर कहती है कि हम ध्यान देते हैं लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले लेकिन मैं निवेदन करूं कि उस इलाके में मैं जाकर आया हूं और 50-60 गावों में जाकर आयां हुं उनमें बहुत सारे ऐसे गांव मैंने देखे जहां 200 फुट पानी नीचे मिलता हैं और नीचे पत्थर की चट्टान आगई और पानी बिल्कुल नहीं आया। ऐसे गांवों के लोगों को, ऐसे गांवों के किसानों को किसी भी तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। आज आप देखिये कि उन लोगों की हालत यह है कि आज आजादी के 20 साल के बाद भी वे यह महसूस करते हैं कि हमें पीने को पानी नहीं मिलता है तो सरकार हमारे लिए और क्या सुविधा दे सकती है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से वाटर वर्क्स योजना के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, 2-3 सालों से इस बात की कोशिश करता आ रहा हूं कि मेरे चुरू जिले में बीदासर, छापर और छाड़वास इन तीनों की एक कम्बाइन्ड योजना सरकार ने बनाई थी। उस योजना का सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद सर्वे की रिपोर्ट गवनमेंट के पास में आई, और उस इलाके के लोगों से, उन कस्बों के लोगों से यह कहा गया कि यदि आप पैसा जमा करावो गवर्नमेंट के पास तो यह योजना आपकी हम मन्जूर कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि बीदासर के लोगों ने ढाई लाख देने को कहा, छापर के लोगों ने 2 लाख रुपया देने को कहा और 50 हजार रुपया छाड़वास के लोगों ने देने को कहा। वे लोग 5 लाख रुपया लेकर गवर्नमेंट के पास आये तो गवर्नमेंट ने उनके साथ में एग्रीमेंट नहीं किया। आज वे पांच लाख रुपया लिये हुए दो साल से गवर्नमेंट के पीछे पीछे फिर रहे है। उस इलाके में जहां की मैं बात कर रहा हूं वहां पर जाने का आप अवसर प्राप्त करेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा कि गर्मियों के मौसम में गरीब लोग जो इन कस्बों में रहते हैं - बड़े आदमी हैं वे तो इधर उधर से पानी बाहर से लाते हैं, मगर गरीब लोगों की हालात यह होती है कि उनको एक लोटा पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। ऐसी हालत में सरकार कहे कि पैसा नहीं था इसलिए नहीं कर सकी तो यह बड़ी विडम्बना की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को यह

(श्री रावत राम)

कहूंगा कि आप इस योजना को तुरन्त हाथ में लें और इन कस्बों के साथ में न्याय करें उन कस्बों के लोगों ने 5 लाख रुपया जमा कराया है तब आपको इस योजना को हाथ में लेने में क्या दिक्कत है। हाउस में यह उत्तर दिया गया है कि वहां पर पानी के सोर्सेज नहीं हैं। हमने पानी का पता लगाया है, मगर पानी नही मिला, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इन कस्बों को पानी देने के लिए जिन कुओ में बोरिंग करवाया गया है उनमें पर्याप्त मात्रा मे पानी मिला है। इतना अनाप सनाप पानी मिला है कि इन तीन कस्बों में तो क्या 10 कस्बों में वे पानी दे सकते हैं लेकिन रिपोर्ट में अधिकारियों ने गड़बड़ी करके यह शो कर दिया है कि पानी कम है, और बोरिंग करने का काम रोक दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि चालू साल में इस योजना को हाथ में लेना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के लिए रूरल वाटर सप्लाई की स्कीम बनी थी। उस रूरल वाटर सप्लाई योजना के लिए पूरे जिले का सर्वे किया गया और सर्वे करके योजना गवर्नमेंट को भेज दी। आज गवर्नमेंट किसी स्थिति में नहीं है कि वह बताए कि क्या कार्यवाही उस पर हुई है, और उन गांवों के लिए क्या पानी की व्यवस्था करना चाहती है? मैं यह जानना चाहूंगा कि उस रूरल वाटर सप्लाई योजना के बारे में जो सर्वे कराकर गवर्नमेंट ने स्कीम तैयार की थी, क्या कहना है गवर्नमेंट का?

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट-स्पीच में यह भी कहा है कि आज हमने राजस्थान में कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जहां कि प्राइमरी स्कूल न हो, कोई भी इलाका नहीं है कि जहां मिडिल स्कूल न हो जिसमें कि आसपास के लड़के जाकर पढ़ न सकें। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भी बड़े धोखे की बात है। इसमें भी एक गडबड है कि किस तरह से स्कूल खोले जा सकते हैं यह मैं भी जानता हूं और सारा सदन जानता है और सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं कि किस तरह से पक्षपात की नीति बरती जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पक्षपात की नीति को हमें छोड़ना चाहिए, और हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इस राजस्थान का रहने वाला कोई भी नागरिक हो, वह जहां भी रहता है और चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी बात को मानने वाला हो, चाहे किसी विचारधारा को मानने वाला हो, उनके लिए इन डेवलपमेंट के कामों में, विकास के कामों में भेदभाव की नीति बरती और यदि उनकी उपेक्षा की गई तो सरकार के लिए बहुत कलंक की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि उन इलाकों में जहां 20-30 मील तक कोई मिडिल स्कूल नहीं है, क्या सरकार ने वहां पर ध्यान दिया? सारी चीज राजनैतिक प्रेशर से होती है, राजनैतिक दबाव से होती है। मैं निवेदन करूंगा कि उन इलाकों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए जो इलाके आज तक उपेक्षित रहे हैं, जिनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं

(श्री रावतराम)

है, मैं इन्सटान्स की तरफ आपको बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ के आथूणी तरफ आपकी आंखें चली जायं तो कहीं भी आपको कोई मिडिल स्कूल नहीं मिलेगा, और कम से कम 50 मील का वह ऐरिया है। वहां पर आपका हाई स्कूल नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर लोड्र नाम का गांव है अभी मैं उस गांव तक गया तो वहां के लोगों ने कम से कम 30 हजार का चन्दा करके स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, और आज दो साल से बिल्डिंग बनी हुई है। इस बात का इन्सपेक्टर आफ स्कूल से पता लगा लें तो आपको जानकारी मिल जायगी, लेकिन आज तक आपने वहां पर मिडिल स्कूल नहीं खोला है, क्योंकि वहां के लोग आपको एप्रोच नहीं कर सकते। उस ऐरिया से नुमाइन्दे जो पहले फूलचन्द जी जैन थे जिन्होंने उनसे वोट लेकर पांच सालों में कभी मुंह नहीं दिखाया। वे कहते हैं कहां है वह व्यक्ति ? तो इस तरह की उस इलाके की हालत है। उस इलाके को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया है।

हां पर ग्राम सांडवा एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर महाजन और सब लोगों की बस्ती है। आप किसानों के लिए नहीं खोल सकते, आप गरीबों के लिए नहीं खोल सकते हैं,तोउन लोगों के लिए तो खोलें जो व्यापारी हैं, बड़े आदमी हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, होस्टल भी बना रखा है, लेकिन वहां पर हाई स्कूल नहीं खोला गया है। वह एक महत्वपूर्ण कस्बा है जो कि रोड साइड पर पड़ता है। आज सैकड़ों लडके सांडवा के बाहर पढ़ने जाते हैं। वहां आज तक स्कूल नहीं खोला गया है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह बात यह है कि हमारे जिले में मैं समझता हूं प्रत्येक जिले में ऐसा होगा कि पब्लिक के लोगों ने श्रमदान से, खुद के चन्दे से हजारों रुपया इकट्ठा किया, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंगें बनाई, मिडिल स्कूल के मकान बनाये, हजारों रुपयों का चन्दा इकट्ठा किया और हाई स्कूल का मकान बनाया, वह मकान बन गये और मकान बनाने के बाद गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिये गये और गवर्नमेंट से कहा स्कूल खोले। आज उन मकानों की मरम्मत रिपेयरिंग और जो टूट फूट आती है उसको कोई देखने वाला नहीं है। और जब भी यह सवाल पैदा होता है तो इतना तक कह देते हैं कि हमारे नहीं है पब्लिक के बनाये हुए है, तो क्या हमेशा पैसा पब्लिक ही उन पर खर्च करती रहेगी ? क्या गवर्नमेंट उन बिल्डिंग्स को जो कि गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दी गई है गांव वालों की तरफ सरकार को दे दी गई है उनको नहीं सम्हालेगी ? क्या गवर्नमेंट उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानती ? उनको सम्हालना चाहिए, और जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो टूट-फूट हुई हैं, जिनके रिपेयरिंग की जरूरत है, उनकी रिपेयरिंग करवाना चाहिए।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं चिकित्सा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उन कस्बों में ······

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल की ओर से और भी माननीय सदस्य बोलने वाले होंगे, इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें तो उचित होगा।

श्री रावतराम : मैं 5 मिनिट मे ही खत्म कर दूंगा।

........डिसपेन्सरीज, हास्पिटल्स और दूसरी तरह की व्यवस्थाएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष, उन गांवों की हालत देखिये जहां की 20-25 मील तक कोई दवा-पानी का साधन नहीं है। सरकार को उन गांवों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। हर साल गवर्नमेन्ट थोड़े बहुत औषधालय खोलकर बरी हो जाती है। लेकिन गांवो मे 20-25 मील से चलकर वहां औषधालय में आते हैं तो इतनी दूर जाकर इलाज कराने की वे व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और वहां पर भी समय पर दवा नहीं मिलती है, और जो स्टाफ है वह वहां पर हाजिर नहीं मिलेगा। और आपके वैद्यों की हालत यह है कि इन औषधालयों में तो वे थोड़े समय के लिये बैठते हैं और इधर उधर किसी को देखने के लिये जाते हैं तो उनसे दो रुपये चार रुपये या पांच रुपये वसूल करते हैं और दिन भर कमाई के धंधे में लगे रहते हैं। हम जब उनसे कहते हैं कि तुम सरकारी नौकर हो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिये तो वे जबाब देते हैं कि हम तो फीस लेंगे और इस तरह से वे सैकड़ों रुपये कमाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि पिछड़े हुए एरिया में, बैकवार्ड ऐरिया के इन गांवों में ज्यादा से ज्यादा औषधालय और डिसपेन्सरीज खोलने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने मद्य निषेध के बारे में कहा है कि हम धीरे धीरे राजस्थान में शराब के चलन को रोकेंगे। पिछले दो साल से और खासकर के पिछले सेशन से इस प्रकार का वातावरण बना है। हम बराबर कहते आये हैं कि शराब बन्द किया जाय और पूर्ण शराब बंदी लागू होनी चाहिये लेकिन सरकार ऐसा करने में हिचकिचाती है। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वित्त मंत्रीजी ने कहा कि गुजरात के पास लगने वाले जिले जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों मे जहां पर शिडयूल ट्राइब्स लोग अधिक रहते हैं वहां पर 25 मील की पट्टी में आपने शराब बन्दी की घोषणा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह महसूस करते है कि शिडयूल ट्राइब्स के लोग ही शराब अधिक पीते है और शराब पीकर बर्बाद होते है इसलिये यह प्रयोग इन्हीं पर करना चाहते हैं। अच्छे अच्छे आदमी जो शराब पीते हैं उन पर यह प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते? डाक्टर के इन्जेक्शन का प्रयोग भोले भाले गरीब लोगों पर होता है आप इस तरह का एक्सपेरिमेन्ट शिडयूल ट्राइब के लोगों पर क्यों करते हैं? क्यों नहीं जयपुर जैसी सिटीज और जिलों में प्रयोग करते जहां पर आपके खानदान वाले बसते हैं और बोतलों पर बोतलें उड़ेलते हैं और बदमाशियां करते हैं। उन पर कोई कानून लागू नहीं होता, उन पर कोई एक्सपेरिमेन्ट नहीं होता (करतल ध्वनि) गरीबों पर करते है। हरिजन शराब पीते हैं शिडयूल ट्राईब्स के लोग शराब पीते हैं इसलिए उन पर आप एक्सपेरिमेन्ट करते हैं। शरीफ कहलाने वाले जो लोग है उन पर एक्सपेरिमेन्ट क्यो नहीं करते ... .

एक माननीय सदस्य : वे शरीफ हैं नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : आप यह ठीक कहते हैं वे शरीफ नहीं है।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, शराब एक सामाजिक बुराई है। इसको इस तरह से कह कर नहीं टाल सकते। आप उन लोगों के लिये शराब की बात छोड़िये। उनको मकान बनाने के लिये पैसा दीजिये। आपको उनकी आर्थिक हालत ऊंची करने के लिये प्रयोग करना चाहिये। आप छोटी छोटी बातों पर प्रयोग करते हैं। शराब की बीमारी उन लोगों की बनिस्पत ऊंचे खानदान के लोगों में अधिक है। यदि शराब को बन्द करना है तो उन लोगों पर प्रयोग करना चाहिये था जो ऊंचे खानदान के कहलाते हैं। आपने 25 मील की पट्टी पर ही क्यों शराब बंदी लागू की आपको तो सारे राजस्थान में इस बीमारी को नष्ट करके छोड़ेंगे ऐसा कानून बनाना चाहिये। कुछ सार्वजनिक संस्थायें हैं, कुछ सर्वोदयी नेता हैं जैसे गोकुल भाई भट्ट, ये मनोहर सिंहजी मेहता बैठे हैं इन लोगों ने पिछले साल प्रयास किया, सत्याग्रह किया, धरणे दिये, इन सारी बातों से गवर्नमेन्ट का दिमाग बना और गवर्नमेन्ट सोचने लगी कि उनको खुश कैसे किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि एक लाख रुपये बजट में रखे हैं वे कायके लिये हैं? किस तरफ इशारा है? ये इस बात के द्योतक है कि जो समाज सेवा करने वाले समाज सेवी कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। इन रुपयों से उनका मुंह बन्द करेंगे और कहेंगे कि तुम एजीटेशन मत करो, धरणा मत दो। सरकार इस तरह का प्रयोग क्यों करती है? जैसे शराब का प्रयोग शिड्यूल ट्राइब के लोगों पर किया गया यह इसलिए किया कि वे गरीब हैं, कमजोर है? तुम कमजोर हो इसलिए यह प्रयोग तुम पर ही करेंगे उन पर नहीं करेंगे जो बोतलों पर बोतलों के कार्क फटाफट खोलते हैं उन पर आप प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिये नहीं करेंगे कि वे गवर्नमेन्ट पर हावी हैं। जो गवर्नमेन्ट पर हावी हैं उन पर प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ये 1 लाख रुपये बजट में रखकर भी एक तरह का प्रयोग करना चाहते हैं। जो लोग सत्याग्रह करते हैं पीले कपड़े पहन कर धरणों पर बैठते हैं उनको खुश करने के लिये वे रुपये रखे हैं लेकिन उनको इन रुपयों के लालच में नहीं आना चाहिये, इन रुपयों पर ठोकर मारनी चाहिये तभी तो गवर्नमेन्ट झुकेगी गवर्नमेन्ट का यह हाल है कि जितना ज्यादा तानोगे उतनी ही ज्यादा ढीली पड़ेगी, लचकीली होगी। हम बार बार परसराम जी से कहते आ रहे थे कि चीनी का वितरण ठीक करो, शहरों और गांवों में एक समान करो, पर नहीं किया लेकिन दबाव पड़ा तो फौरन कर दिया······

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : लेकिन 24 घंटों में ही कैसे बदल गये?

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : सदन इस प्रान्त की सुप्रीम बोडी है, हमें उसकी भावनाओं का स्वागत करना चाहिये·· ···

श्री नत्थीसिंह : 24 घंटों के बाद ही बदले कि नहीं 150 ग्राम से वापिस 400 ग्राम पर आ गये। यह 24 घंटों में हुआ या नहीं, यह दबाव था या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : आप इसको दबाव मानते है लेकिन मैं इसको दबाव नहीं मानता। इस सदन की राय है तो सरकार को तुरन्त मानना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी यह मान्यता अगर है कि सदन सुप्रीम है तो जनता की यह राय है कि आप तुरन्त गद्दी छोड़ दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपका कहना है लेकिन राजस्थान की जनता तो हमको चाहती है।

श्री बी. एन. जोशी : जनता को हम रिप्रजेन्ट करते हैं। We are in majority

श्री रावतराम : मेरा कहने का मतलब यह था उपाध्यक्ष महोदय, गांव वाले किसान कहते है कि बकरी दूध देती हैं पर मींगणी रला कर देती हैं यदि आप हमारी मांग पर पहले ही यह निर्णय कर देते तो आपकी वाह वाह हो जाती। हम तो सुझाव देना चाहते है, माने न माने यह आपकी मर्जी की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि छोटी जोतवालों से लगान माफी करने की घोषणा को वापिस लेते हैं।

(वित्त मंत्रीजी सदन से जाने के लिये उठे, कई सदस्यों ने कहा आप जाते कहां है)

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : आप (वित्त मंत्री) तो विराजिये। आपके विराजने से हमें प्रोत्साहन मिलता है।

श्री रावत राम : मैं वित्त मंत्री जी को प्रोग्रेसिव मानता रहा हूं हमेशा से, वे यह कह सकते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं इसलिये यह करना पड़ा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती पर हम लोग कहते आये हैं कि राजस्थान के लोगों की कथनी और करनी में ज्यादा अन्तर नहीं होता। राजस्थान में ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जो एक बात कहते थे उससे पीछे नहीं हटते थे। उदपुयर के महाराणा प्रताप।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर नहीं चित्तौड़ के।

श्री रावतराम : चित्तौड़ के महाराणा प्रताप ने जन्म भूमि के बारे में जो प्रण किया उससे पीछे नहीं हटे……

श्री मथुरादास माथुर : हम भी वीर दुर्गादास की भूमि के हैं।

श्री रावतराम : महाराणा प्रताप चित्तौड़ के थे फिर भी उदयपुर डिविजन में आते हैं………

श्री मदनसिंह दांता : ब्यावर के सोने ने झुका दिया।

श्री रावतराम : जो यहां पर घोषणा की गई थी उसके लिये किसने कहा था। अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका रिजोल्यूशन है कि छोटी जोतो पर लैंड रेवेन्यू कतई माफ होनी चाहिये। यह अलग अलग पार्टीज का रिजोल्यूशन था लेकिन गवर्नमेंट को किसने कहा था कि आप इस तरह का त्याग करें और छोटी जोतों पर लगान माफ करने की घोषणा करें। लेकिन आपने यह घोषणा इस हाउस में कर दी और अब आप इसको वापिस लेकर कथनी और करनी में फर्क साबित करना चाहते हैं। राजस्थान में यह नहीं होना चाहिये लेकिन राजस्थान सरकार ने साबित कर दिया कि अब वे दिन आ गये हैं जब सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है ··

एक माननीय सदस्य: थूक कर चाट गये।

श्री रावतराम : जाने दें, थूकने और चाटने की बात है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो छोटी जोत वालों को राहत दी थी खास कर के शिड्यूल ट्राइब और शिड्यूल कास्ट के लोग ऐसे है जिनके पास छोटी जोते हैं उन लोगों को इससे लाभ मिलता। आपने वापिस लेकर उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। यह बराबर हम कहते रहेंगे कि इस हाउस में घोषणा करके वापिस मुकरना किसी भी सरकार के लिये शोभनीय बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूलकास्ट की बात है उनके बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा कि उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिये, उनकी सामाजिक हालत ठीक करने के लिये बराबर उपाय करते आये है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि हम उनको एक लाख एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल में देकर उनको ऊंचा उठाना चाहते है। आपने यहां छोटी जोत वालों को लगान माफ करने की घोषणा की थी उससे मुकर गये। अब आपने एक लाख एकड़ जमीन देने का स्लोगन दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एक लाख एकड़ जमीन मे से कुछ भी नहीं मिलेगा। है भी नहीं वहा जमीन यदि जमीन दी जायगी तो ऐसी जगह दी जायगी, जहां आगे आने वाले बीस सालों में पानी नहीं लगेगा। जैसा सलूक दूसरे लोगों के साथ होता है वैसा ही इनके साथ भी होगा। इसलिए हाउस के शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लोगों को विचार करना चाहिये कि इस तरह की घोषणाओं से पेट नहीं भरता। आज क्या स्थिति हो रही है? आज से 10 साल पहले घोषणा की थी कि जितनी जमीन है उसकी 5 प्रतिशत जमीन शिड्यूल कास्ट के लोगों को दी जायगी लेकिन वह नहीं दी गई। आज एज्यूकेशन के क्षेत्र मे भी उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि 40) माहवार अतिरिक्त सहायता उनके लड़कों को देंगे लेकिन कितने लोगों को देंगे। कालेज में पढ़ने वालों को निकाल दिया कि तुम कालेज मे पढ़ने वाले हो, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, फार्म भर रहे हैं····

हमारे बहुत सारे लड़के चिल्लाते फिरते हैं कि हमको सहायता नहीं मिलती है। ऐसी हालत में इस तरह की घोषणाओं के आधार पर आप कह नहीं सकते हैं कि आप उनको ऊंचा उठा रहे हैं।

आज दूसरी, बात उपाध्यक्ष महोदय, यह कही जाती है, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को यह बताया जाता है कि तुम्हारी हालत क्या थी? यह राज्य बनाने के बाद और यह सरकार आने के बाद में तुम्हारी हालत ठीक हुई है, तुम मिनस्टर हुए हो, तुम्हे कोई पास नहीं बैठने देता था, आज तुम लोग इस विधान सभा और पालियामेन्ट के अन्दर बैठते हो, तुम बहुत आगे बढ़ गये हो, तुम बहुत ऊंचे हो गये हो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर चलता हूं कि यह कोई हम पर दया नहीं है, यह कोई मर्सी नहीं है हमारे ऊपर। मैं उन लोगों को भी जानता हूं, यदि स्वतंत्रता से पहले हमारे शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नीचे स्तर के थे और नीचे बैठते थे तो उनके अलावा आज ऐसे लोग भी यहां मौजूद है जिनकी हैसियत भी काफी नीची थी और इस सरकार के आने

(श्री रावतराम)

के बाद में, डेमोक्रेसी के आने बाद में काफी ऊंची होगई है और अब उनकी पहले वाली हालत नहीं रही है। ऐसे जो यहां बैठने वाले लोग हैं, वह यदि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं आती तो किसी बनिये के मकान पर वह लोग कथा बांचते, पत्रा देखते····

श्री मथुरादास माथुर : क्या करते ?

श्री रामकिशन : कथा बांचते।

श्री रावतराम : खैर हम तो उसी जगह पर बैठे रहते और ··

श्री रामनारायण चौधरी : हममें से कोई बनिये के मकान या दुकान पर नहीं बैठता था।

श्री रावतराम : और जूते गांठते लेकिन ······

श्री मदनसिंह : डॉक्टर अम्बेदकर क्या थे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामनारायण : जनतंत्र ने तो सब से अधिक फायदा आप लोगों को पहुंचाया है।

श्री चुन्नी लाल इंदालिया : ऐसे लोगों की खाल निकाल कर आप लोगों को जूतियां पहनाई जायगी।

श्री प्रेमसिंह : सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों ने उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जो माननीय सदस्य बिना आसन की अनुमति के बीच में बोलेंगे उनके लिए आसन मान लेगा कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा ले लिया है। इसलिए माननीय सदस्य इसमें सहयोग देंगे तो उनको बोलने का मौका मिल सकेगा।

श्री रावतराम।

श्री दुर्गालाल बादड़दार : यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी भयंकर व्यवस्था हो जायगी।

श्री रामकिशन : इनका (श्री दुर्गालाल बादड़दार) नम्बर खतम करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रावतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे को बोलते काफी समय हो गया है······

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करने जा रहे थे, काफी समय पहले आपने वायदा कर दिया था।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात से रामनारायण जी को तकलीफ हुई·······

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं!

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लें, माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें और आसन की ओर ही देखते रहें।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, कई यहां होते और कई यहां नहीं होते लेकिन जो एक बात कही जाती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है– इसका मैं विरोध कर रहा था। यह डेमोक्रेसी का नतीजा है कि इस डेमोक्रेसी में हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है तो वहां आप लोग भी बड़े-बड़े ठाकुरों का हुक्का भरा करते लेकिन अब यहां आकर बैठे हैं ·····

श्री श्रवणलाल : आज उनकी बदौलत ही यह लोग कुर्सियों पर बैठे हैं।

श्री रावतराम : सवाल यह है कि हम लोग जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति पर विचार करें। आज चाहे कोई सरकार बने, चाहे किसी पार्टी की बने, लेकिन आज जो देश के सामने प्राबलम्स हैं, और देश के सामने जो समस्यायें हैं उनको दूर करने के लिए और गरीब, किसान मजदूरी को ऊंचा उठाने के लिए जो सरकार प्रयास करेगी हम उसका ही समर्थन करना चाहते हैं मैं तो इस बात का पक्षपाती हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो देश के सामने समस्यायें हैं, जो अनाज की समस्या है– इस समस्याओं को दूर करने के लिए किसान को ऊंचा उठाना है, इसी प्रकार जो गरीब मजदूर बेकार बैठे हैं, जो अपनी शक्ति को बेकार खो रहे है उनकी शक्ति का उपयोग करके उनको मजबूत करना है। अगर यह शक्तियां आगे आयेंगी तो देश मजबूत होगा। आज जो लोग बेकार हैं वह काम और खाना चाहते हैं। यह न करके जो लोग खाली बैठे बैठे पेट फुलाना चाहते हैं उनको सरकार रियायतें देती गई और उनको कन्सेशन्स देती गई तो मैं समझता हूं कि इस देश का और इस सरकार का भट्ठा बैठ जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन लोगों को आगे लाइये, उन लोगों को ऊंचा उठाइये जो वर्षों से पीड़ित हैं और दुःखी हैं। अगर ऐसा करने तो इस सरकार के लिए तभी यह कह सकेंगे कि यह सही मायने के अन्दर समाजवादी सरकार है और इसकी समाजवादी नीतियां हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं इस बजट को समाजवादी सरकार का बजट नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रतिक्रियावादी ताकतों से घिरी हुई और किंकर्त्तव्यविमूढ़ की स्थिति वाली सरकार का बजट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार नन्दवाना।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा के अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह इसलिए कि 22 फरवरी को इस सदन में यह व्यवस्था दी गई थी कि जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था उस स्थगन प्रस्ताव में जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बजट पर सामान्य वादविवाद के समय चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया था। सर्वप्रथम तो चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर पुलिस के द्वारा जो ज्यादती की जा रही है उनकी ओर मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.........

श्री उपाध्यक्ष : वह कटौती प्रस्तावों के द्वारा उठाने की आवश्यकता थी। इस वाद-विवाद का तो वित्तमंत्री जवाब देंगे।

श्री रामकिशन : इसमें मना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर चाहते हैं तो उस समय कहें।

श्री रामकुमार नन्दवाना : मैं खास तौर से यह बताना आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। चित्तौड़गढ़ के अन्दर प्रतापगढ़ में वहां के कांग्रेस के एक सरपंच की हत्या कर दी गई, उसके पीछे किन ताकतों का हाथ है, किन विरोधी तत्वों का हाथ है, वह मैं

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। अभी परसों माननीय नत्थीसिंह जी ने कहा था कि प्रतापगढ़ के अन्दर बलदेव राम को मारा पीटा गया। मै इस सम्बन्ध में असलियत बताना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं आपको यह स्मरण कराना आवश्यक समझता हूं कि प्रतापगढ़ तहसील के अन्दर आजकल काफी गुण्डाइज्म बढ़ रहा है और पुलिस उसको रोकने में असमर्थ है। इसी गुण्डाइज्म के आधार पर वहां के और सरपंचों को विरोधी तत्वों के द्वारा चेतावनी दी गई है कि और तीन सरपंचों की हत्या करदी जायगी। मैं सदन के द्वारा माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उन सरपंचों के अलावा वहां के प्रधान की हत्या करने का भी अंदेशा है। मैं खासतौर पर यह बताना आवश्यक समझता हूं कि प्रतापगढ़ तहसील के अन्दर इस तरह को आज अराजकता पैदा की जा रही है, उसके पीछे क्या बात है, यह बताना भी आवश्यक है। वह इसीलिए कि चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक संगठित जिला है और वहां की सारी की सारी पंचायतों के अन्दर कांग्रेस पार्टी है, वहां की म्यूनिसिपैलिटी भी कांग्रेस की है, और उस सारे जिले की सातों सीटें हैं वह भी कांग्रेस पार्टी की है। इन सब जगह कांग्रेस की सफलता से हताश होकर जो विरोधी ताकतें हैं वह चाहती हैं कि किसी प्रकार से वहां के सरपंचों को दबाया जाय, किसी प्रकार से वहां के सरपंचों की हत्या की जाय और आज जो वहां पर कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको किसी प्रकार से कम किया जाय। तो आज इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके यह चीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं माननीय गृहमंत्री जी का और इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं कि वहां की स्थिति सम्भालना आवश्यक है। इसके अलावा जो वहां सरपंच की हत्या की गई, उसके पीछे यह विरोधी तत्वों का हाथ था क्योंकि इनकी पार्टी के लोग आपस में लड़ने वाले लोग हैं, जो कभी जनसंघ में जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में जाते हैं। इसलिए

(2 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

यह बात मैं खासतौर से इस हत्या के सिलसिले में बताना आवश्यक समझता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी, एक स्पेशल पुलिस आफिसर इस सम्बन्ध में वहां डेप्यूट किया जाय और उसके द्वारा सारे मामले की जांच कराई जाय ताकि जो तथ्य हैं वह सामने आ सकें।

इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पिछली गर्मी के ·····

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने पार्टी लेवल पर आरोप लगाया है, तो या तो वह नाम बतायें कि हत्या के पीछे कौन हैं, दोषी कौन है, किसने हत्या की है या जो इस तरह आरोप लगाया है इसको वह वापिस लें।

श्री रामकुमार नन्दवाना : मैं बताना चाहता हूं कि जो हत्या की गई है उसके सिलसिले में गिरफ्तारियां पुलिस के द्वारा की गई हैं। एक मुलजिम को तो गोली से मार दिया गया, और कुछ पुलिस वालों के भी गोली लगी है जो वहां पर हास्पिटल में दाखिल हैं। इसके अलावा कुछ और व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये है। मैं यह माननीय सदस्य को जानकारी देकर माननीय गृहमंत्री को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली गर्मी के दिनों में मेनार में एक पूरे परिवार की हत्या करदी गई थी, उसकी पुलिस के द्वारा पूरी जांच नहीं की गई है और न किसी को उस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है ?

इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी चोरी के मामले में जो मुलजिम पकड़ा गया, उस मुलजिम को पकड़ने के बाद में उसे इस प्रकार मारा कि थाने में उसकी मृत्यु हो गई। मौत होने के पश्चात देखिये कि उसके परिवार वालों तक को सूचना नहीं दी गई। और जब पोस्ट मार्टम के लिए लाश ले जाई जा रही थी उस समय गांव के लोगों को पता लगा कि इसको पोस्टमार्टम किये जाने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार मारने से किसी की मृत्यु हो जाय और पुलिस उसके परिवार वालों को सूचना तक नहीं दे, यह बहुत शर्म की बात हैं, जब कि उसी परिवार वालों के सामने उसे घर से गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा 21-5-67 को भैंसरोडगढ़ तहसील में गोपालपुरा में डाका पड़ा और डाका पड़ा उसमें गांव वालों को गोली लगी। उन आदमियों ने जाकर नीमच हास्पिटल में अपना इलाज कराया लेकिन आज तक उस मामले में जांच नहीं हो पाई है और न डाका डालने वालों को पकड़ा गया है। इस मामले में यहां तक हुआ है कि जिन परिवार के लोगों को गोली लगी और जिनका नीमच के हास्पिटल के अन्दर इलाज हुआ था उनको राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। खासतौर से गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक इसलिए है कि वह कृपया इसकी स्थिति को स्पष्ट करें।

अब मैं बजट के मूल मुद्दे पर आता हूं, जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। मैं सर्व प्रथम सिचाई विभाग के उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनके अन्दर वित्त मंत्रीजी ने कुछ सहूलियतें दी हैं। किन्तु इस बजट को देखने से यह मालूम होगा कि चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बजट में राशि बहुत कम एलॉट की गई है। सिचाई के लिए खासतौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिचाई के लिए धनराशि बहुत कम दी गई हैं। मैं यह समझता हूं कि बजट के अन्दर प्रावधान शायद बड़े बड़े मंत्री महोदयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, किसी जिले में ज़्यादा धनराशि दी गई है और किसी जिले में कम दी गई है। इस लिए मैं वित्तमंत्रीजी को यह बताना आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस के ठोस कार्यकर्त्ताओं का जिला है, ऐसा किसी भी मंत्री महोदय का जिला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस जिले की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस की यह स्थिति नहीं रहने वाली है। यह मैं आपको

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

चेतावनी देकर यह कहना चाहता हूं कि जो आप रकम का बंटवारा करते हैं वह आप इस भावना से नहीं करके आपको हर जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि सिंचाई विभाग के लिए जो साठ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है उसमें से केवल दो लाख सेंतीस हजार रुपया दिखाया गया है चालू स्कीमों के अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है जिसमें पहाड़ियां है, नदियां है और मैदान है और यह जिला इतना अनाज पैदा कर सकता है कि सारे राजस्थान को अकेला अनाज दे सकता है। यह इतनी हैसियत रखता है। इसके अन्दर दो सौ पचास तालाब ऐसे हैं जिनकी मरम्मत करके करीब बीस करोड़ की लागत के तालाब उनको बनाया जा सकता है। यह मीडियम सिंचाई की योजनायें हैं। इस जिले को राई और गंभीरी, का इलाका है जहां पर कि जमीन काफी उपजाऊ है और नदियों के नीचे है लेकिन करीब आठ हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसको कि अभी पानी नहीं मिल रहा हैं। इसके साथ ही जो किसान जमीन का एलॉटमेंट चाहते हैं वह भी नहीं हो पा रहा है। यदि आप इस आठ हजार एकड़ जमीन को नीलाम के द्वारा बेचें और उचित रेट पर बेचें तो राज्य सरकार को करीब पद्रंह लाख रुपये का फायदा हो सकता हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जमीन का एलॉटमेंट रुका हुआ पड़ा है वह शीघ्र किया जाय और इन तालाबों की मरम्मत कराने की स्कीम बना कर खर्चा किया जाय तो यह जिला काफी उत्पादन कर के दे सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री जी का इस जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका इस जिले से अच्छा सम्बन्ध है और अच्छा सम्बन्ध होने के नाते वहां पर समय समय पर कुछ व्यय करते हैं लेकिन जो धनराशि का एलॉटमेंट है उसमें इस जिले को ध्यान में रखें।

अब मैं सड़कों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में अपना महत्व रखता है लेकिन तहसील हैड क्वार्टर को जिले से छोड़ने में जो सड़कों के ऊपर धनराशि खर्च की गई है, मैं समझता हूं कि वह जिले के लिहाज से बहुत कम धनराशि खर्च की गई है। चित्तौड़गढ़ बाउन्डरी डिस्ट्रिक्ट है इसलिए इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्रीजी ने बताया कि हमने राजस्थान की सब तहसीलों को जिलों से मिला दिया है। मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में कई तहसील हैड क्वार्टर, जिला हैड क्वार्टर से नहीं मिले हुए हैं। बड़ी सादड़ी की तहसील है उसका चित्तौड़गढ़ जिले से सम्बन्ध नहीं है और डूंगला तहसील का भी जिले से सम्बन्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय का सदन के द्वारा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। इसी तरह कोटा जिले की पीपलदा तहसील की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि पचास मील की दूरी पर है, जहां तक सड़क बनाई गई है लेकिन बीच में एक नदी पड़ती है, जिसमें तीन तीन फीट पानी है। जिसको सब सवारियों आदि को लांघना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए कोई पुल या पुलिया बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा मैं जल प्रदाय योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने ग्रामीण जल प्रदाय योजना के

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

लिए बहुत कम धनराशि रखी है। यह जो दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, मैं समझता हूं, यह बहुत कम है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वक्त पांच ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर काम हो रहा है। यदि पूरा पैसा इन जल प्रदाय योजनाओं को नहीं मिलेगा तो सब काम रुक जायगा। जनता द्वारा भी इन योजनाओं के लिए पूरा जन सहयोग श्रम दान के रूप में दिया गया है, और कई योजना पेंडिंग पड़ी हैं उनके लिए जनता द्वारा श्रमदान और पैसा भी दिया गया है लेकिन वह स्कीम चालू नहीं की गई है। मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर वे बजट में विशेष ध्यान दें.........

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं एग्रीकल्चर और पशुपालन विभाग की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चित्तौडगढ जिले में पशुपालन विभाग की ओर बोजूदा ग्राम में भेड़ प्रजनन केन्द्र पिछले साल खोला गया है, उसकी तरफ मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वहां पर तीस भेड़ हैं और उनके लिए 20 कर्मचारी रखे हुए हैं, लाखों रुपया लगाकर इस भेड़ प्रजनन केन्द्र के लिए बिल्डिंग बनाई गई हैं और किसानों से छीन 2 कर छः सौ एकड़ जमीन का इस भेड प्रजनन केन्द्र के लिए चरागाह बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि चित्तौड़ भेड प्रजनन केन्द्र के लायक नहीं है, यह वहां नहीं होना चाहिये, यह वास्तव में मारवाड़ के इलाके में होना चाहिये। मैं तो मानता हूं कि यह योजना चित्तौड़गढ में नहीं चल सकती, यह तो उन इलाकों को दो, जहां यह चल सकती है। ऐसे भेड प्रजनन केन्द्र के लिये $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया खर्च करके बिल्डिंग बनाना, 30 भेड़ों के लिए 20 कर्मचारी रखना, 600 एकड़ जमीन का चरागाह रखना, यह धन का अपव्यय है, ऐसा धन का अपव्यय मत कीजिए।

अब मैं थोड़ा सा पंचायत और सहकारिता मन्त्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं। चित्तौड़ जिले में 12 पंचायत समितियों के लिए भूमि बन्धक बैंक से तकाबी लोन की स्कीम बना रखी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम हमारे लिये उपयोगी नहीं है। कई ऐसे किसान हैं जिनको भूमि अलाट की गई है उनके खाते नहीं है तो ऐसी हालत में भूमि बन्धक बैंक से उन लोगों को तकाबी लोन्स नहीं मिल सकते। अगर आप इस पर अच्छी तरह से सोचेंगे और अगर इसे सहीतौर पर लागू करना चाहते है तो चित्तौड़गढ जिले की 12 पंचायत समितियों के लिये जो आपने यह योजना लागू की है, उन लोगों की तकाबी के लिए, लोन के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को इससे महरूम रहना पड़ता है, इसके लिये स्पेशल लोन, तकाबी दिलाये जाने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

अब थोड़ा पंचायत राज व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत राज योजना चालू की गई, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि पंचायत राज योजना बेकार है, खासतौर से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा ऐसा कहा जाता है। मैं कहता हूं कि यह योजना लोकतन्त्र के लिए बहुत उपयोगी है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, यह पंचायत राज योजना का ही फल है

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

पंचायत राज में वे कहीं प्रमुख थे । यह एक ऐसी योजना है जो लोकतन्त्र को मजबूत करने वाली योजना है ।

इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सादिकअली कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में जो जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को लागू किया जाय । आज देखते हैं कि धीरे धीरे पंचायत समितियों के अधिकार कम किये जा रहे हैं और जिला परिषद् तो नाम मात्र की बोडी है । जिला परिषद् को अधिकार दिये जाने चाहिए, ताकि पंचायत राज मजबूत हों । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट भाषण का समर्थन करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्रो: श्री मदनसिंह जी ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): सभापति महोदया, राजस्थान के बजट के सम्बन्ध में यदि गहराई से और एक एक डिपार्टमेंट पर डिटेल से कहा जाय तो मैं समझता हूं कि महीनों गुजर जायं । इसलिये मैं मोटे रूप से राजस्थान के बजट के सम्बन्ध में सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहूंगा । विशेष करके वित मन्त्रीजी के भाषण के सम्बन्ध में दो मुद्दों को लेकर अपने विचार व्यक्त करूंगा · वास्तव में बजट क्या है ? और बजट की मशीनरी किस रूप में काम करती है, इन दो मुद्दों पर मैं कहूंगा ।

वास्तव में वित मन्त्रीजी का भाषण आज से एक साल पहले सुना उस बजट भाषण में जिस तरीके का दिमाग लगाया गया था और उसका हमारे दिमाग पर असर हुआ, वह अबकी इस बजट भाषण से नहीं हुआ । उसका कारण यह है कि उस पहले साल के बजट में योजनाएं किसी घाघ की रखी हुई थी और हमारे वित्त मन्त्रीजी को उसका ज्ञान नहीं था और जोश से खुशी खुशी उन्होंने वह बजट भाषण पढ़ा । पता नहीं वह कौन घाघ राजनीतिज्ञ था जिसने वह बजट भाषण बनाया, हमारे यहां कहावत है :

'चढजा बेटा सूली पर भला करेगा राम'

उस सूली का दर्द वित्त मन्त्रीजी को एक साल बाद हुआ । उसमें रुपयों का खर्चा किया तो इस टाइम ढीले हो गये, वे समझ गये कि उन्हें सूली पर किस बुद्धिमान ने बैठाया है । सूली पर वित्त मन्त्री सभी चढ़ते हैं, हमारे मुख्य मन्त्री ने यह निर्णय कर रखा है, जैसे राजा लोग भैंसे को बलि चढ़ाया करते थे उस तरह 5 साल में एक भैंसे की बलि चढ़ाने की बजाय एक वित्त मन्त्री की बलि मुख्य मन्त्री चढ़ाते हैं । ऐसी पेचीदा चीज दी है कि वे भाषण पढ़ रहे थे तो उनके कंठ सूख रहे थे, क्योंकि वे समझते थे कि इस बजट की वास्तविकता क्या है । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बताऊंगा, जिन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं देखा है, उनको देहाती तरीके से समझाऊंगा कि इस बजट में वित मन्त्रीजी ने 63 लाख का घाटा बताया है, इस बजट को 63 लाख के घाटे का बजट बताया है पर वास्तव में इसमें घाटा 51 करोड़ रुपया का है । आप ताज्जुब करेंगे कि यह नई चीज 51 करोड़ की कैसी आई है ।

(श्री मदन सिंह)

इस बजट में आंकड़े दिये हैं कि 127 करोड़ खर्चा हो रहा है और खर्चे का अनुमान 138 करोड़ है तो 11 करोड़ का तो यही घाटा हो गया, फिर 38 करोड़ गवर्नमेन्ट को देने हैं, तो इस तरह से 11 करोड़ का घाटा एक और 38 करोड़ का घाटा दो और तीसरा 63 लाख का घाटा खुद ही बताया है, इस तरह से यह सब मिला कर 51 करोड़ का घाटा है, क्योंकि बजट उधार लेकर के बनाया जाय और उस उधार से प्रोडक्शन नहीं आये, उस उधार से कोई आय नहीं हो, तो इस राजस्थान की जनता को तो यह सारा रुपया देना ही पड़ेगा। यह 39 करोड़ रुपया जो सरकार को देना है वह राजस्थान की जनता को देना पड़ेगा, और यह 11 करोड़ रुपया जो उधार ले रहे हैं, वह भी राजस्थान की जनता को देना पड़ेगा। तो इस तरह से यह करीब 51 करोड़ के घाटे का बजट है।

वित्त मन्त्रीजी ने यह ऐलान किया कि कर माफ किये हैं, ये इसलिये किया है कि पैदावार अच्छी है, इसकी खुशी है। पैदावार अच्छी है इस खुशी में कर माफ किये हों ऐसी बात नहीं है, इसका कारण यह है कि राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर और कर लगाये भी जायेंगे तो भी सरकार उस पर जो कर्जा है, उसको नहीं चुका पायेगी इस लिये यह केवल एक पोलिटिकल अनाउंसमेंट था क्योंकि वे यह जानते थे कि बजट सही रूप से कार्यरूप में परिणित नहीं होगा। दूसरे इस बजट को चलाने वाली मशीनरी है, इसके सम्बन्ध में भी वित्त मन्त्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह इस बजट को नहीं चला पायेगी। वे जानते हैं कि आज जो यह 30-35 की जमात बैठी हुई है मिनिस्टरों की, उनमें से कई में एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी कैसी है, यह जो जमात बैठी हुई है, वह कांग्रेस की जमात नहीं, एक राजनैतिक व्यक्ति की जमात है, वित्त मन्त्रीजी जानते हैं कि इनमें कितनी क्षमता है। आज जहां पक्षपात है, भ्रष्टाचार है, वहां उसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा सकते। जो आज धन का अपव्यय हो रहा है, उसके लिये कुछ कर नहीं सकते। 51 करोड़ का जिसका घाटा है, वह सरकार क्या काम चलायेगी, नहीं चला सकती।

मैं आंकड़े रख कर कारण बताऊंगा। इनके दिये हुए आंकड़ों के अनुसार शिक्षा में 25 करोड़ का खर्चा है, उसके एवज में हमें मिला क्या है? मैं मानता हूं कि नान-डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है पर इस 25 करोड़ के खर्चे के एवज में हमारे स्टूडेन्ट्स को लाठियां मिलीं, धक्के मिले और अन्याय मिला और डिग्रियां पास कर आये तो उन्हें बेरोजगारी मिली। मास्टरों के एक एक महीने में डेढ़सो डेढ़सो स्थानान्तरण। आज एक मास्टर को टोंक से उठाकर जैसलमेर फेंक दिया, दूसरे को जयपुर से बाड़मेर फेंक दिया। तो इस तरह से 25 करोड़ में से कितना रुपया इन मास्टरों के इस तरह के स्थानान्तरण में ही खर्च हो जाता है। 25 करोड़ का आज यह हिसाब लिया जा रहा है।

आज छात्रों के अन्दर अराजकता है। स्कूल बंद होते हैं। अच्छे अच्छे टेक्निशियन्स को नौकरी की गारंटी नहीं है। आज 25 करोड़ का हिसाब दिया जा रहा है, इसलिए उस समय वित्त मंत्री का कंठ घुट रहा था।

(श्री मदनसिंह)

सुरक्षा के बारे में 13 करोड़ रखे हैं। अगर ईमानदारी से पूछा जाय तो इन लोगों के पीछे के भाषण देखें, आज ये चिल्ला रहे हैं कि राजस्थान का नागरिक सुरक्षित नहीं है बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मर्डर्स ही मर्डर्स, आमेर सड़क पर, मोती डूंगरी सड़क पर एक औरत की लाश मिली, पेट्रोल पम्प पर जाकर लोगों को मारते हैं। बोर्डर के लोगों के बारे में बाड़मेर के नवाब बोल रहे थे, सुरक्षा का तो सवाल ही नहीं है, अन्याय और जुल्म हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, उनका सबूत मैं दे सकता हूं। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में सवाल किया था कि एक साल पहले कितने जन संघियों के यहां चोरियां हुई हैं दांता रामगढ़ में 150-200 चोरियां हो गई हैं। जिसका गृहमंत्री ने जवाब दिया था कि दांता रामगढ़ में चोरियां नहीं हुई हैं इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? आज तक चोरियां वापस नहीं मिलीं। भारत के गृहमंत्री ने राजस्थान के गृहमंत्री को भी तकाजा किया है कि चोरियों का माल वापस क्यों नहीं मिलता? इसका कारण है खंडेला के अन्दर वह सेठ जो मैं तो कहूंगा कि डाकुओं का सेठ बैठा हुआ है। वह कहता है कि राजस्थान के गृहमंत्री तो मेरे हाथ में हैं, वह इतनी बड़ी भीड़ के अन्दर खंडेला से फोन करता है कि अरे यार वह आर्डर अभी भेजा नहीं है, यार करके बोलता है। तो इन 13 करोड़ में राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं उनको धक्का, औरतों के साथ में बुरा व्यवहार। आज चोरियों और डाकों की बात मैं ही नहीं कर रहा हूं, अभी अभी जो उस ओर से भाषण दिया जा रहा था कि चित्तौड़गढ़ के अन्दर इस तरह से अन्याय हो रहा है। किसी भी पार्टी की तरफ से शिकायत हो अगर वहां वाकई इस प्रकार का अन्याय हो रहा है तो इस 13 करोड़ का जवाब चित्तौड़गढ़ है।

चिकित्सा विभाग को देखें। हमारे गांव वाले दुखी हैं। कांग्रेसियों ने गारन्टी दी थी कि हमारा राज जब आएगा तो हम अस्पताल की सुविधा गरीबों को देंगे। आज आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि गरीबों के लिए अस्पताल में जगह है? अगर सीकर का अस्पताल देखें तो जैसे लड़ाई के अन्दर सड़े मुर्दे पड़े रहते हैं उस तरह से गरीब वहां पड़े हैं, जिनके अस्पताल में जगह नहीं और जिनके लिए मंत्री का फोन आता है वे लोग वहां पर ऐशो-आराम कर रहे हैं। 10-10 हजार आदमियों का आन्दोलन हो रहा है। गृहमंत्री ने वायदा किया था सीकर के डी० एम०एच०ओ० के लिए, मुझे मालूम है कि उसकी बदमाशी थी, कि उसे अलग कर देंगे। आज से 20 दिन पहले 10 हजार का प्रदर्शन हुआ। लोग चाहते हैं कि अस्पताल में से डी०एम०एच०ओ० को भगा दें, पुलिस के एस.पी. को हाथ से पकड़ कर उठा दें। आप ताज्जुब करेंगे कि हमने वहां की जनता को विश्वास दिलाया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। फिर 8-9 करोड़ का ब्योरा देते हैं।

आयुर्वेद विभाग के लिए माननीय भैरोंसिंहजी ने बताया कि 56,000) का एक घोटाला किस्तूरी में चल रहा था। उस विभाग में पुराने पुराने वैद्य हैं उनकी सीनियोरिटी मारी जा रही है। 1945 में जो सीनियर हैं, सैकड़ों की संख्या में जिनकी सीनियोरिटी मारी जा रही है। अगर मकान खोल देते हैं तो दवा नहीं, अगर दवा है तो

(श्री मदनसिंह)

वैद्यों को तनख्वाह नहीं, अगर तनख्वाह है तो वैद्य कहीं और रहते हैं। ये लोग उस गांधीजी के चेले हैं जिन्होंने कहा था कि घर घर में जाकर दवाइयां देंगे, घर घर में जाकर आप जहर दे सकते हो।

(श्रीमती सभानेत्री द्वारा लाल बत्ती बताने पर)

आपने तो लाल झंडी, जल्दी बता दी। आप समय पर बतातीं तो ठीक होता।

जहां तक और मुद्दे हैं जैसे बोर्डर का है और भी लोगों ने फरमाया।

अब मैं कृषि विभाग के बारे में, कहूंगा, कांग्रेस काश्तकारों के बल पर जीवित है और जिन्होंने इतने आन्दोलन किए, अनशन हुए। अब वापस छोटे काश्तकारों से उतना ही लगान लिया जायगा। मुझे खुशी है कि जिस सरकार ने उनके साथ वायदे किए और वही उनके खिलाफ जा रही है तो यह हमारे फेवर में है, कोई यदि अपनी मौत मर रहा हो तो उनको संखिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया ? सिंचाई का प्रश्न आता है, पैसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूछते हैं तो पैसा नहीं। विद्युत-मण्डल से तय कर रखा था कि हम 2500 में बिजली का कनेक्शन देंगे, आज 3-3, 6-6 हजार में बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जो भी आपके काम हैं उनके द्वारा पूंजीपतियों पर और मेहरबानी की है, उनको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है और गरीबों को ज्यादा गरीब बनाने की कोशिश की है।

आखिर में ज्यादा शब्द न कहकर फौजियों के संबंध में कुछ कहूंगा। मुझे विश्वास है, सभानेत्रीजी, कि आप मुझे लाल रोशनी बताना बंद करेंगी ताकि मैं फौजियों के बारे में कुछ कह सकूं। उनके लिए बड़ी घोषणा हुई थी और नया महकमा बना जिसमें खेतसिंहजी मंत्री विराजे थे। जब यह घोषणा हुई और फौजियों को मालूम पड़ा कि एक नया मंत्री राज्य सरकार ने हमें फायदा देने के लिए रखा है, तो मेरे पास सैकड़ों की तादाद में पत्र आए बधाइयों के कि राजस्थान सरकार ने हमारे लिए आखिर कुछ किया लेकिन यह तो ऐसी मिशाल हुई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इन्हीं खेतसिंह के मुखारबिंद से मैंने सुना। कल डिटेल में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फार्म बनाया है जिसे एक भी फौजी को जमीन नहीं मिलेगी, ऐसी शर्तें हैं, एक ही गांव का रहने वाला हो, एक ही जबान को बोलने वाला हो, तो ऐसे जो तरीके अपनाए हैं, उस संबंध में कल चर्चा करूंगा।

तो जहां 51 करोड़ का घाटा है वह पूरा नहीं हो सकता। ये लोग कोआॅपरेटिव फार्मिंग को कार्यरूप नहीं दे सकते, को-आपरेटिव के स्मगलिंग के मुकदमे चल रहे हैं, आपने कोआॅपरेटिव के जरिये रुपये खर्च करने का इरादा किया कि इनको रुपए देंगे तो आप कोआॅपरेटिव की रिपोर्ट देखें, एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट देखेंगे कि कोआॅपरेटिव्ज द्वारा किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है।

बिड़ला को सुविधा मिलेगी, नाथूराम को मिलेगी, सूअर और पशु-पालन के लिये रुपया मिलेगा लेकिन दांता का हरिजन एक रुपया भी मांगता है तो नहीं मिलेगा। इस तरह यह बजट अनबैलेन्स्ड है। भारत सरकार को इसलिए बताया है कि हम और पैसे ले लें उधार के लेकिन यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है,

(श्री मदनसिंह)

खुद तो मंगते बनो राजस्थान की जनता को भी आपने मंगता बनाया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जनता में अविश्वास पैदा होगा। जो फौजियों की जगह से आए हैं कम से कम फौजियों की जब आवाज उठे तो आप अपनी जमादारी तो हटादें। मुझे अफसोस है कि वहां बैठने वालों में से कोई फौज में नहीं है और अगर हैं भी तो ऐसे नमूने जो खच्चर रेजीमेंट के या थोड़े बहुत आफिसर्स हैं वह मद्रास रेजीमेंट के, पिछलग्गू होकर ऐसी बात कर रहे हैं। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। जहां भी फौजियों और हरिजनों का सवाल आता है, तो सबको एक साथ होना चाहिये।

अभी मेरी तहसील दांतारामगढ़ में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो मेहरबानी की है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतनी बुराई की है, सभापति महोदया, तो मैं कुछ तारीफ भी कर दूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कई सदस्य बोलना चाहते हैं। सभी को समय मिले इसलिए थोड़े में ही समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता: मैं वन विभाग के मंत्री को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जो 200 बीघा पक्की जमीन है; उसको एलाट करने के आदेश दिये हैं। उन्होंने यह कहा है हमने प्रावधान किया है, आप चिन्ता न करें। मैं उनका आभारी हूं। किन्तु 51 करोड़ जो हमारे माथे पर लगा उसके लिए मैं मंत्रीजी को मुबारक देता हूं कि 51 करोड़ रुपया हमारे माथे पर लगा दिया है। क्या मालूम कौनसा जमाना आयगा जब यह राजस्थान की जनता उसको चुका पायेगी।

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मैंने जो बजट वित्त मंत्रीजी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसको गौर से पढ़ा है, उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए बड़ा ही निराशाजनक है। इस बजट में जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए विशेषतौर से जो समस्या है पानी की, उनका जो मुख्य धन्धा है—पशु-पालन का उस सम्बन्ध में मैंने बजट के आंकड़े देखे और मुझे बड़ी निराशा मिली। सन् 1967-68 के अन्दर पानी की जल प्रदाय योजना के बारे में एक करोड़ की व्यवस्था थी और उस सम्बन्ध में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया और शहरी जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत इस साल एक करोड़ रुपये की योजना-शहरी जल प्रदाय योजना और उस सम्बन्ध में ये विशेषतौर से बजट भाषण के अन्दर उल्लेख कर दिया गया है कि उदयपुर और अजमेर नगर की शहरी जल प्रदाय योजना का विकास किया जाय और वह भी लाइफ इन्श्योरेन्स से ऋण प्राप्त होगा। पहले भी लाइफ इन्श्योरेन्स से रकम प्राप्त नहीं हुई अब के भी प्राप्त हो या नहीं हो, इसकी मुझे सम्भावना नहीं लगती है। गांवों के लिए पहले भी बजट देखा था अब के भी देखा है। गांवों के लिए एक भी पैसे की व्यवस्था नहीं है। गांवों में कोई भी कुए, कोई भी टांके,

(2. 32 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कोई भी तालाब–किसी भी तरीके से पाइप नहीं, पाइप लाइन बनाने के लिए न तो पैसे दिये हैं और न ही इस बड़ी समस्या, जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए विशेष तौर से समस्या है। आज आजादी प्राप्त किये 20 साल हो गये हैं और इस समस्या को बहुत ही कम तरीके से हल कर पाये हैं। इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा है। हमने मास्टर प्लान बनाया। जिस समय पंचायत और पंचायत समितियां मास्टर प्लान के प्रस्ताव भेज रही थीं जब हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, बड़ी आशा बन्धी थी कि मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जायगा। 70 करोड़ की योजना बनाई गई थी किन्तु वह मास्टर प्लान बनने के बाद में जो 2–3 साल गुजरे उसमें एक पैसा भी मास्टर प्लान के अन्तर्गत नहीं आया। इसलिए बड़ी निराशा होती है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हम बिजली और इरिगेशन के लिए 27 पर्सेन्ट की व्यवस्था कर सकते हैं तो हम पानी के लिए 1 पर्सेन्ट की भी व्यवस्था नहीं करें। हम पशु-पालन के लिए डेढ़ करोड़ की व्यवस्था करें, यह कहां तक उचित होगा ? मैंने पहले भी बजट भाषण में उल्लेख किया था कि जब हिन्दुस्तान, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उस युद्ध में हमें हार खानी पड़ी और हमें जो मिलिटरी के जो आदमी थे उन लोगों को पीने का पानी देने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्यासे रह कर उन लोगों को लड़ना पड़ा, मतीरे खा खा कर प्यास बुझाई। उसके बाद में क्या परिवर्तन किया गया ? कुछ जरूर ट्यूब वेल्स खोदे गये हैं परन्तु उन ट्यूब वैल्स को खोदने से ही पानी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या उन ट्यूब वैल्स से पानी उछल कर, फुहारे देकर जमीन को सिंचित कर देगा या प्यास बुझा देगा ? अभी भी जो पेज 27 पर वित्त मंत्री जी ने विशेष तौर से प्रकाश डाला है–पानी के बारे में, उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेगिस्तानी इलाके में 250 ट्यूब वैल्स खोदने की व्यवस्था है उसमें 140 कुएं खोदे गये हैं और 91 कुओं को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है, 45 का कार्य सम्पन्न हो चुका है और 47 कुए अगस्त तक चालू कर दिये जावेंगे। इससे पानी की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा परन्तु मैंने यह देखा है कि किस प्रकार इन ट्यूब वैल्स को बनाया गया है, उन ट्यूब वैल्स का क्या बजट में प्रोविजन रखा गया है, किस प्रकार पानी सप्लाई दूसरे क्षेत्रों में किया जायगा, किस प्रकार जलाशय की व्यवस्था की जायगी ? क्या पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्तर्गत कुछ व्यवस्था पैसों की की गई है, जिसके द्वारा काम चलाया जा सके—इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोविजन पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट में नहीं किया गया है। मैं तो ऐसा सुन रहा हूं कि अपने इरिगेशन मिनिस्टर साहब और एनिमल हस्बेन्ड्री मिनिस्टर साहब इन कुओं को इन्डिविज्युअल को, व्यक्तिगत आदमियों को ऑक्शन में दे दिया जाय ऐसा कह रहे हैं। अगर यह स्थिति हुई तो बड़ी निराशाजनक स्थिति पैदा होगी। अगर इन्डिविज्युअल को देंगे तो वे एक्सप्लाइटेशन करेंगे। कैसे जनता को पानी सुलभ हो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सकेगा, कैसे समस्या हल हो सकेगी ? इसके लिए जरूरी है कि जब हम कुए बनायें तो उनका उपयोग होना चाहिये और उस उपयोग होने के लिए बजट में पैसों का प्रोविजन होना चाहिये। पैसों के बारे में कोई भी ध्यान वित्त मंत्री का नहीं गया है और वित्त मंत्रीजी भी क्या करें, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं—मंत्री मण्डल से। मैंने विशेष तौर से यह देखा है बजट एलोकेशन में, मैंने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि जब बजट एलोकेशन होता है तो उस बजट के अन्दर डिस्ट्रिक्ट-वाइज एलोकेशन आ जाना चाहिये ताकि क्लियर हो जाय। सब पूरी तरह से आंकड़े देखे हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्या रोड्स-सीमावर्ती क्षेत्र की रोड्स अलग हैं–, क्या एज्युकेशन, क्या समाज कल्याण के सम्बन्ध में और क्या किसी भी हैडिंग में बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर क्षेत्रों की पूरी उपेक्षा की गई है। कोई भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है, कोई भी बिल्डिंगें निर्माण नहीं की गई हैं। हमारे जिले में पशु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, पशु के लिए कोई भी चिकित्सालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है।

तो मैं कह रहा था पानी के बारे में बाड़मेर, शेरगढ, जैसलमेर, जालोर और सांचोर क्षेत्र में तीसरा हिस्सा खारा पानी है। कुछ स्थानों पर ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं पर वह सफल नहीं हुए हैं। या तो यह कोशिश की जानी चाहिए कि जहां ट्यूब वैल्स सक्सेसफुल हुए है वहां से पाइप लाइन के जरिये सार्वजनिक टांकों में उस पानी को डाला जाय। या नाड़ियों का विस्तार किया जाय। पचपदरा और शिव क्षेत्र में जब डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी आये थे तब मैं उनके साथ गया था। वहां मैंने जो स्थिति देखी वह मुझे बड़ी भयंकर स्थिति लगी। वह ऐसा क्षेत्र है जो केवल नाड़ियों के पानी पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र है भगवता, योग, मंडला, शिव, गूंगा, हरसाणी और रावतसर। इस क्षेत्र में लोग नाडियो के पानी पर निर्भर करते हैं। अगर उनमें पानी नहीं रहता है तो उनके लिए विकट समस्या हो जाती है। आज देश को आजाद हुए बीस वर्ष हो गये फिर भी आज इन क्षेत्रों की जनता पीने के पानी के लिए तरसती है। आज हमें इस प्रकार की भयंकर समस्या को हल करना हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं 70 करोड़ का जो मास्टर प्लान बनाया उसमें अब 100 करोड़ रुपये का खर्च होगा लेकिन जिस रफ्तार से यह कार्य चल रहा है उसको देखते हुए 100 साल में भी यह पूरा हो पायेगा यह मुझे सन्देह है। हम इस योजना को सौ साल में भी पूरा कर लेंगे यह मुझे नहीं दिखता। इस तरह से तो हम पानी की समस्या को हल भी नहीं कर सकेंगे। आज के इस प्रजातंत्र के युग में हम आजाद मुल्क के नागरिक हैं, इस पर भी हम पानी की समस्या हल नहीं कर सकते, पानी के लिए लोग तरसते रहें, दस बारह मील से लोग पानी लाकर पीवें, यह समस्या कब तक चलेगी ? मैं सुन रहा था एक्स-प्लोरेट्री ट्यूब वल्स आर्गेनाइजेशन ने 250 की जगह 140 कुए खोदे वह अब हमारे यहां से हट कर दक्षिण की तरफ जा रहा हैं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में पूरी शक्ति लगा दें कि रेगिस्तानी इलाका राजस्थान में है इससिये यह आर्गेनाइजेशन जो इस समस्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

को हल करने का प्रयास कर रहा है वह यदि दक्षिण की तरफ जाता है जिसके लिए उसमें काम करने वाले अधिकारीगण कोशिश कर सकते हैं, वे अपना प्रभाव डाल सकते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कहीं सरकार इसके लिये तैयार न हो जाय और यह एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन का कार्यालय यहां से शिफ्ट हो कर दक्षिण में चला जाय। 250 ट्यूब वैल्स से कोई सैटिसफेक्शन मिलने का नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा कुएं खुदवाने हैं, उनको और खुद गये हैं उनको उपयोग में लेने का है। विशेष तौर पर पानी की समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस समस्या को विशेष तौर से हाथ में ले।

दूसरा बाड़मेर का नगर हैं उसके लिये भी जल की समस्या है। बाड़मेर नगर बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पानी की व्यवस्था होना लाजमी है। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान कम है। ट्यूब वेल खुदवा कर पाइप लाइन की स्कीम बनाई है वह बहुत ही निकम्मी स्कीम है। आठ इंच पाइप लाइन बनाई गई है उससे अधिक से अधिक कोशिश की जाय और पावर हाउस ठीक प्रकार से फंक्शन करे तो तीन लाख गेलन से ज्यादा पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता। वैसे पावर हाउस की स्थिति बहुत खराब है। इससे केवल सवा दो लाख ही गैलन पानी सप्लाई किया जाता है। उसमें से डेढ़ लाख गैलन उत्तराई के लिए चला जाता है। एरोड्रोम बनाना भी आवश्यक है हम यह नहीं चाहते कि एरोड्रोम न बने। वह बने सीमा सुरक्षा के लिए उसका होना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रयास जो चल रहे हैं उससे तो हम गर्मी के समय के अन्दर इस वर्ष जब कि बाड़मेर के आस-पास अकाल है पानी का संकट सामने आयगा। इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैंने पहले भी आकर्षित किया था, संबन्धित मंत्री से भी कहा और सदन में भी, मैं यह विचार रखता हूं कि पानी की उस इलाके में भयंकर समस्या है। मैं उसको हल करने का तरीका बतलाता हूं बडेर का जो ट्यूब वैल है वह सक्सेसफुली चल रहा है उसका पानी सप्लाई की अच्छी क्षमता है। वहां से 12 इंची पाइप लाइन लगायें उससे यह स्थिति होगी कि उससे 7½ लाख गैलन पानी उपलब्ध हो सकता है। इससे फिलहाल बाड़मेर की समस्या हल हो सकती है। सीमावर्ती क्षेत्र में आपने जो उपेक्षा बरती उसका फल हमें पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भुगतना पड़ा, हमें उस समय अपमानित होना पड़ा। उस उपेक्षावृत्ति के कारण पाकिस्तानी लोग उस क्षेत्र में घुस आये। अब भी हम उस क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह हमारे लिये अहितकर होगा। आज हम यह महसूस करते हैं कि राजनैतिक आधार पर एक क्षेत्र में ज्यादा खर्च किया जाता है और दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल अवहेलना कर देते है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं अगर आपने इस क्षेत्र की इसी प्रकार अवहेलना की तो यह स्थिति पैदा हो सकती है, यह आवाज लोग उठा सकते हैं कि यह रेगिस्तान क्षेत्र जिसमें, जोधपुर डिविजन, बीकानेर डिविजन का हिस्सा है मिलाकर इनको एक अलग प्रदेश

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बनाया जाय । इस प्रकार का भंयकर प्रश्न आपके सामने आ सकता है जिसको मैं बिल्कुल पसन्द नहीं करता । लेकिन जिस प्रकार की विचारधारा चल रही है उसमें मैं तो प्रान्तीयता को छोड़ कर राष्ट्रीय भी नहीं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहता हूं । अगर आप इसी प्रकार अवहेलना करते रहे तो यह स्थिति पैदा हो सकती है इस ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है ।

आज हम देखते हैं कि आसाम हिल्स का अलग प्रान्त बनाने की आवाज उठ रही है आखिर यह आवाज क्यों उठती है ? इसका एक ही कारण है जब किसी इलाके के प्रति उपेक्षावृत्ति अपनाई जाती है तो यह चीजें पैदा होती हैं । डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का आपने गठन किया, क्या उससे हम संतोष कर सकते हैं ? आपने उसके लिए बजट में कोई राशि रखी है उसके लिये आपने एक पैसा भी नहीं रखा, आप जब तक कन्ट्रिब्यूट नहीं करेंगे भारत सरकार आप को क्या देगी, किस प्रकार देगी ?

श्री दौलतराम सारण : डेजर्ट डेवलपमेंट तो जयपुर में हो रहा है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का आफिस जोधपुर में कायम किया था । आपको ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई, जो आप इसके कार्यालय को भी जयपुर ले गये ? इन सब चीजों का मतलब एक है हम इन समस्याओं के प्रति चिन्तित नहीं है । आपको इस काम को करने की इच्छा नहीं । आपकी जो प्रवृत्ति इस प्रकार की बन रही है वह देश के लिये, हमारे प्रान्त के लिये घातक है ।

आज हमारे इलाके में पानी की समस्या भयंकर है । बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, शेरगढ़ इन सारे जिलों में पानी की समस्या भयंकर है । इस तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए । इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो जैसी वार्निंग मैंने दी कहीं वह स्थिति पैदा न हो जाय ।

अब मैं पशु पालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । पशु और कृषि इन दोनों पर हमारे प्रान्त की इकोनोमीक निर्भर है । पशु पालन की ओर भी हमारे यहां ध्यान नहीं दिया गया । थारपार कर बीड एक महत्वपूर्ण बीड है लेकिन यह लुप्त होती जा रही है । आज हम देख रहे हैं इस क्षेत्र से यह बीड मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ले जा रही है, बम्बई सरकार ले जा रही है, महाराष्ट्र सरकार ले जा रही है और हमारे क्षेत्र में इस बीड को समाप्त किया जा रहा है । इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता । इसके लिये चोहटन में बीड फार्म खोल सकती है, आलमसर में खोल सकती है, यह फार्म गनेऊ के अन्दर स्थापित हो सकता है । इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । पशु पालन की मद में डेढ़ प्रतिशत केवल 63 लाख का प्रोवीजन किया गया है यह इनसफीसियैन्ट और इनसिगनीफिकेन्ट है । यह तो रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर ही खर्च हो जायगा । कोई भी स्कीम कार्यान्वित नहीं हो पायगी ।

दूसरी जो चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह है गोचर भूमि के बारे में । यह प्रश्न रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है । अगर हम गोचर भूमि का विकास वहां नहीं करेंगे तो वहां के पशुधन की बड़ी हानि होगी । हम लैंडलैस टिनेन्ट को ज्यादा से ज्यादा जमीन बांटने का कोशिश

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कर रहे हैं, यह भी आवश्यक है, पर यह भी उतनी ही आवश्यक है कि उन पशुओं के बारे में भी हम पूरा ध्यान दें। इसके अभाव में वहां के लोगों की भूखों मरने की स्थिति आ सकती है।

इतने अकाल पर अकाल बने रहते हुए भी वहां के जो लोग मजबूत मालूम पड़ते हैं इसका एकमात्र कारण एनीमल हस्बेण्ड्री के कारण दूध की वहां मिलने की बहुतायत है और पीने को उनको छाछ मिलती है। इससे वे अकाल के कष्टों को भी सहन करते हैं। अगर इस बारे में ध्यान नहीं दिया तो परिस्थिति और भी शोचनीय होगी। इसलिए गोचरभूमि का वहां विस्तार करना आवश्यक है।

पशु मेलों पर भी हमें ध्यान देना होगा। तिलवाड़ा में एक महत्वपूर्ण पशु मेला भरता है। उसकी प्रबन्ध समिति का मैं भी एक सदस्य हूं। उसका बजट मामूली सा रहता है। 13 हजार से वह कभी आगे नहीं बढ़ा। ज्यादा जोर लगाया तो 15 हजार का। सरकार उस मेले से डेढ़ दो लाख की प्राप्ति करती है। पर फिर भी बिजली, पानी, रोशनी और सफाई आदि की व्यवस्था सरकार ठीक तरह से नहीं करती। शुद्ध पीने के जल की व्यवस्था भी नहीं करती तो पीने के पानी की और पशु-पालन की महत्वपूर्ण प्रॉब्लम उस इलाके की है, जिसकी तरफ सरकार को सक्रिय ध्यान देना चाहिए। चौथी योजना में इनकी ओर विशेष ध्यान रखना है।

तीसरा प्रश्न जो रखना चाहता हूं बाड़मेर जिले के और नगर की बिजली समस्या के बारे में। चम्बल योजना, एटॉमिक प्लान्ट भाखरा किसी से भी वहां बिजली जाने की योजना नहीं है। जोधपुर तक जा सकती है, बालोतरा तक व्यवस्था हो सकती है, पर बाड़मेर के लिए कोई प्रोविजन नहीं रक्खा। बाड़मेर जिले और नगर में इण्डस्ट्रीज का बड़ा स्कोप है। ऊन का काफी बड़ा स्कोप है, ऊन की मिल हो सकती है, चमड़े के उद्योग पनप सकते हैं, हड्डियों का कारखाना बन सकता है। खनिज का विस्तार हो सकता है, व खनिज पर आधारित उद्योग लगाये जा सकते हैं फास्फेट का कारकवास में काम चल रहा है तो इन उद्योगों की प्रगति के लिए भी बिजली की आवश्यकता है।

आज तो स्थिति यह है कि बाड़मेर नगर के आधे से भी अधिक हिस्से में अन्धकार छाया रहता है। मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रीजी से भी मिला। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में और कहीं पर भी हिन्दुस्तान में इतना शक्ति का जेनेरेटिंग सेट नहीं मिल रहा है। कोशिश करिये, कहीं मिल जाय। कम से कम एक हजार किलोवाट की शक्ति का जेनेरेटिंग सेट हो तब जाकर यह समस्या हल हो सकती है।

चौथी समस्या है मद्य-निषेध की। जो नीति सरकार ने इस बारे में अपनाई है, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में, सिरोही जिले में और उदयपुर जिले की तीन तहसीलों में और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में शराबबन्दी की है। इसका तो मैं स्वागत करता हूं। पर कुछ हिस्सों में बन्द होने से वहां के शराबी अन्य हिस्सों में जाकर प्राप्त कर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वहां के शराबी जयपुर में आ सकते हैं जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में आ सकते हैं। इसलिए चाहता हूं कि इस बीमारी के रोग को हमेशा के लिए मिटाएं। पहले भी मैंने कहा था यह शराब व्यभिचार को बढ़ाने वाला है, जुए की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है, और चरित्र को भ्रष्ट करने वाला है।

श्री केशरीसिंह हाडा : जुआ तो चल ही गया है इस बजट में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए आप शराबबन्दी मानने वालों में से हैं तो महात्मा गांधीजी की शताब्दी मना रहे हैं, दो अक्टूबर, 69 को तो उस अवसर पर सारे राजस्थान में यह शराबबन्दी हो जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह मानते हैं कि जो शराबी होते हैं सब भ्रष्टाचारी हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इससे भ्रष्टाचार की भावना जरूर पैदा होती है।

तीसरी समस्या जो है चिकित्सा के बारे है। आपने पिछड़े क्षेत्रों की बिल्कुल अवहेलना की है। बाड़मेर में एक्स-रे का प्रोवीजन कर दिया पर कोई टेक्नीशियन इसके लिए नहीं रखा। स्टूलिंग के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। आज तो यह स्थिति है कि रात के वक्त में कोई डाक्टर ड्यूटी पर नहीं रहता। बीमार की किसी की सीरियस कण्डीशन हो तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और लेडी डॉक्टर का तो प्रश्न ही नहीं है।

जब दूसरे जिलों में डी. एम. एच. ओ. का ऑफिस है तो बाड़मेर को क्यों नेग्लेक्ट किया है? प्रथम श्रेणी का अस्पताल वहां नहीं। किसी प्रकार की और व्यवस्था नहीं। गांवों में आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थिति सन्तोषजनक नहीं हैं, शोचनीय है।

अब सीलिंग और प्रिवी-पर्स के बारे में भी विचार रखना चाहूंगा।······

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के बोलने वाले सदस्यों की सूची काफी लम्बी है इस लिये कृपया समय का ध्यान रक्खें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं। हमें सुनते हुए दुःख होता है जब कोई निर्णय लेते हैं जैसे छोटी जोत के बारे में लिया तो फिर उसके ऊपर अटल रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। निर्णय पहले ही आप सोच विचार कर लें। यह मानता हूं, पर लेने के बाद में उस पर अमल करें, उस पर अटल रहें।

इसी तरह से सीलिंग के बारे में आपने निर्णय लिया था। अब उसके बारे में आगे क्या क्या कठिनाइयां आवेगीं या यह खिलाफ हो जावेगा, वह खिलाफ हो जावेगा, इसकी कल्पना पहले से करनी चाहिये थी, पर जब एक बार निर्णय ले लिया तो दृढ़ता से उस पर अमल करना चाहिये, अटल रहना चाहिये, चाहे उससे हमारी गवर्नमेंट भी क्यों न फेल हो जाय, उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम पावर के पीछे नहीं है। शक्ति के पीछे नहीं है। हमारा सिद्धांत और उसूल कुछ होना चाहिए, और उन उसूलों पर दृढ़ता से चलना और अमल करना चाहिए।

श्री विजयसिंह रावत : शाबाश।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज सामन्तवाद को समाप्त किया । जागीरदारी प्रथा, बिस्वेदारी प्रथा को खत्म किया । बड़े बड़े रिजोल्यूशनरी स्टैप्स लिये । बड़ी खुशी हमें इससे होती थीं । पर इसके बाद में हमारी जो प्रगति होनी चाहिये, वह अवरुद्ध हो गई है । हमारे कदम रुक गये हैं । यह अलवर से आने वाले माननीय सदस्य अब इस तरह के क्रान्तिकारी विचार रखते हैं तो दरअसल में मेरे दिल में उनके प्रति बड़ी सहानुभूति प्रकट होती है ।

(3 म० प०)

वह इस प्रकार की बात जब कहते हैं कि हम कुछ राइटिस्ट ट्रेण्ड की तरफ जा रहे हैं तो वास्तव में हमारा ऐसा दृष्टिकोण हो रहा है और हमको प्रगति की ओर जाना चाहिए । आपको क्या डिफिकल्टी है ? जिन लोगों ने लेण्डलैस लोगों को ट्रान्सफर्स कर दिये हैं तो उनको तो आप मान्यता दे दें लेकिन दूसरों के बारे में कुछ डिसीजन तो लें । किसी ने अपनी पत्नि के नाम कर दी है, किसी ने भाई के नाम कर दी है और किसी ने अपने कुटुम्ब के सदस्य के नाम कर दी है उन ट्रान्सफर्स को आप इल्लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं । लेकिन आप इस सम्बन्ध में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाना चाहते हैं । आप डरते हैं । मैं कहता हूं डरने की आवश्यकता नहीं है । अगर आप यह कदम उठायेंगे तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सरकार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और वह भी रह सकती हैं ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिवीपर्स के बारे में कहना चाहता हूं । मैं विरोधी दल के नेता के विचार सुन रहा था और मुझे बड़ा दुख हो रहा था । मैं जब उनके विचार सुनता हूं तो उनके विचारों में बड़ी सिन्सियेरिटी मालूम पड़ती है, लेकिन जब प्रिवीपर्स के बारे में उनके विचार सुने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ । उनमें स्वार्थ की भावनायें हैं । और इधर मै देखता हूं नवाब साहब को यह भी बहुत सिन्सियर हैं । यह लीडर आफ दी अपोजिशन पार्टी और यह नवाब साहब दोनों बड़े सिन्सियर हैं । अगर यह दोनों त्याग की भावनायें दिखायें तो राजस्थान सरकार बड़ा ऊंचा उदाहरण पेश कर सकती है । यह त्याग की भावना दिखायें । राजस्थान में हमें समय समय त्याग देखने को मिला है । महाराणा प्रताप ने त्याग दिखाया, अपना इतिहास पहले ही त्यागमय इतिहास है, भामाशाह ने बड़ा त्याग दिखाया है । जब हमारा इतिहास इतना त्यागमयी है तो लीडर आफ दी अपोजिशन जो कि बहुत सिन्सियर वर्कर हैं, लीडर आफ दी अपोजिशन हैं तो भी मुझे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है और उनके ऊपर भी बड़ी श्रद्धा है अगर यह दोनों उदाहरण रखें तो यह उदाहरण सारे हिन्दुस्तान के अन्दर प्रकाश लायेगा और चाव्हाण साहब के हाथ भी मजबूत होंगे और प्रिवीपर्स के मसलों को हल करने में हम सफल होंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार बजट के संबंध में रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए) सुवालाल चौधरी ।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल के बजट के आंकड़े और इस साल के बजट के आंकड़ों को देखा जाय तो मेरे ख्याल में उनमें कोई विशेष बात नहीं है । आप जनता की हालत

(श्री सुवालाल चौधरी)

ठीक करना चाहते हैं। आज इस 12 महीने के समय में मेरे ख्याल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले बजट के समय में मैंने कुछ सुझाव दिये थे और वह इस प्रकार थे कि मेरे क्षेत्र के अन्दर आपकी ओर से कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे राज्य के अन्दर बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जहां भारत सरकार का और राजस्थान का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और उससे इन्कम का जो साधन है, जो आप उससे पैदा चाहते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में और अधिक समय में मिलता है। इस संबंध में मैंने एक सुझाव दिया था और यह कहा था कि जिस क्षेत्र में, जिस जिले में आप कृषि के जरिये उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, खाद्य समस्या हल करना चाहते हैं तो इसके लिये जिले के अन्दर आप बड़ी योजनायें जो कि लागू नहीं कर सकते तो वहां आपको लघु सिंचाई की ओर ध्यान देना होगा। मैं आपको जयपुर जिले के और खास तौर से मालपुरा, दूदू और फागी तहसील के और अन्य तहसीलों के बारे में कहूंगा जहां कि मैंने खुद ने घूम फिरकर देखा हैं ऐसी जमीनें हैं और ऐसे पुराने जमाने के स्टेट के टाइम के गांव गांव में बन्धे बने हुए हैं यदि उन बन्धों को बनाया जाय, और यदि आज उनका खर्चा आंका जाये तो मेरे ख्याल से कई करोड़ों का खर्च हो सकता है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया कि जो पुराने हमारे बन्धे हैं और जिन पर थोड़ा पैसा खर्च करके उनकी मरम्मत कराके और उनकी देखरेख करें तो सिंचाई के साधन बढ़ सकते हैं और उत्पादन की जो हमारी योजनायें हैं वह सफल हो सकती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से मेरा दूदू क्षेत्र है आज उस क्षेत्र के गांवों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपेक्षा की जाती है और वह इसलिए की जाती है कि इस क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार कभी विजयी नहीं हुआ। इसलिए इस क्षेत्र में न सिंचाई के साधन सरकार जुटाना चाहती है, न बिजली के साधन जुटाना चाहती है, न शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहती है, न चिकित्सा का प्रबंध करना चाहती है। मैं आपको इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज दूदू तहसील में जयपुर स्टेट के समय में एक शफाखाना था। आज उसके बाद में 20 साल के समय में क्या वहां की जनता राजस्थान की रहने वाली नहीं है? क्या हिन्दुस्तान की रहने वाली नहीं है? आज दवा-दारू के बिना वहां के लोगों को परेशानियां हैं। वहां के लोगों ने यह तय कर रखा है कि चाहे हमें इस कांग्रेस के शासन में कितनी ही परेशानी उठानी पड़े लेकिन हमारा जो विचार है कि हम कांग्रेस के पक्ष में हम हमारा मत नहीं देंगे। जो पिछले 4 आम चुनाव हुए उसमें उन्होंने अपने विचार बताये हैं और मैं यह कहना चाहता हूं खास तौर से कि वहां के लोगों को चाहे जितनी तकलीफ हो अब आगे के चुनाव से कांग्रेस कभी भी सफल नहीं हो सकती, और इसलिए नही हो सकती कि आज से 20 वर्ष पहले कांग्रेस के जितने वर्कर्स थे जो उनके सिद्धांत थे और प्रोग्राम थे वह यह थे कि हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों को न्याय मिले, उनको दवा का प्रबन्ध हो, उनको अन्य सहूलियतें मिलें, लेकिन आज यहां तो स्वार्थता अधिकतर आ गयी है। अपनी अपनी सोचते हैं। अपने क्षेत्रों की सोचते हैं, अपने कुनबे की सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों की सोचते हैं, खास तौर से उन कर्मचारियों से डरते हैं जो कि मंत्री-मंडल के सदस्यों के ऊपर हावी हैं।

(श्री सुवालाल चौधरी)

अगर आप किसी विभाग में या तहसील में या किसी छोटे बड़े महकमे में देखेंगे तो आज मामूली दरख्वास्त देने के लिए भी हर व्यक्ति को रिश्वत देनी पड़ती हैं। कहां है आपका सस्ता न्याय ? कहां है आपके प्रोग्राम और कहां है आपकी योजना, जिससे आप गरीब और मजदूर को आगे लाना चाहते थे ? आप इस बजट को देखेंगे तो इस बजट के देखने से मैं यह मान सकता हूं कि किसी भी हालत में गरीब मजदूर को, हरिजन को और खास-तौर से जो किसान आज वोट देता है और जिससे आप वोट मांगते हो उसके वोट का दुरुपयोग आप करते हैं और जब मुझे नुकसान का सवाल आता है तो उसकी तरफ आप मौन धारण कर लेते हो और यह कहते हो कि बिजली के लिए हमारे पास बजट में गुंजाइश नहीं है, कृषि के साधन जुटाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या चिकित्सा के लिए कहते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है, अगर गांव वाले मकान बना दें और एक साल का खर्चा दें तो हम स्कूल कायम कर कर सकते हैं। आज यहां पर 80 प्रतिशत किसानों की यह हालत है जिनके पीछे आपने राज्य कायम कर रखा है और फिर अपने आपको कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। पिछले दिनों मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। मेरे क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाहियों के बारे में। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था कि आपके राजस्व विभाग का एक तहसीलदार दूदू क्षेत्र में अनधिकृत कब्जा करने वाले लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है– मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अनधिकृत कब्जे का सरकार ने निर्णय लिया है कि इस निर्णय से जो जमीन का अनधिकृत कब्जा है उनको कब्जा दिया जायेगा उससे 5 लाख रुपये की इन्कम होगी। यह आपके जो आंकड़े हैं यह बहुत ही कम हैं ये आंकड़े मैं कह सकता हूं। अभी जो तहसीलदार ने लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये अनाधिकार कब्जे के और उनकी जो कीमत कायम की गई उनके द्वारा वह कीमत अकेले दूदू तहसील में 5 लाख की हो सकती है। आप देखिये कि एक छोटा सा गांव है जिसकी भूमि का लगान 220 रु० देते हैं गांव वाले, लेकिन उन किसानों ने बेकार पड़ी हुई खाड़ जमीन को जोत डाला तो उनसे 4500) रु० पेनल्टी वसूल की गई। यह है आपका सस्ता न्याय ? यह आपका किसानों को आगे बढ़ाने का राज्य करने का तरीका है ? मंत्री महोदय ने तहसीलदार द्वारा वापस दी गई रिपोर्ट को पढ़कर सुना दिया, और आज तो उनको यह छूट और दे दी खुले में और आज वे कहते हैं कि जब तक कांग्रेस का शासन रहेगा, और सुखाड़ियाजी के वहां मेरा भानजा रहेगा उस वक्त तक अब्दुल रहमान खुले रूप में खाने का अधिकारी है। मैं किसी से डरता नहीं। मेरी सुखाड़ियाजी के चूल्हे तक पहुंच है।

आज ये महात्मा गांधी के शिष्य जिस महात्मा ने एक अच्छा प्रोग्राम दिया था देश के लिए आज उस संस्था के ये लोग जो अपने आपको उनका अनुयायी कहते हैं वे उनके प्रोग्राम के अनुसार चलने वाले नहीं है। उनके शासन में चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई किसान हो उन सबको दुःख है। मैं यह कह सकता हूं कि बहुत से आपके भाई कांग्रेस की तरफ से होकर मंत्री मंडल में भी हैं आज वे कहते हैं कि किसानों की हालत 120) रु० क्विंटल के भाव·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 10 मिनट का समय चाहा था वह समाप्त हो गया है।

श्री सुवालाल चौधरी : दो मिनट।

आज जो राम की मेहरबानी हुई है और वर्षा हुई है और पैदावार हुई है तो उसके अन्दर 120) क्विन्टल से किसान को 80) रुपये क्विन्टल में गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। आज से 5 वर्ष पहले उसके विपरीत किसानों के काम में आने वाले साधन जिनसे वह खेती में तरक्की कर सकता हैं, जैसे ट्रैक्टर जो है वह पहले 7 हजार में था उसके दाम अब 25 हजार उसको देने पड़ते हैं। इसी तरह से खाद की कीमत जो 15 रुपये की एक बोरी थी आज उसको 30 रुपये एक बोरी के देने पड़ते हैं। इसी तरह से खेती के लिए दवाइयां खरीदने की कीमत जो 9 रुपये लीटर थी आज उसको उसके 26 रुपये लीटर देने पड़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जितनी खेती के काम में आने वाले अन्य जो साधन, अन्य उपाय हैं तेल वगैरह आज हरेक की कीमत चौगुनी है किसानों की आर्थिक हालत जब वह पैदा करते हैं....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : किसानों की आर्थिक हालत......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछें।

श्री सुवालाल चौधरी : जो वह पैदा करता है उसका पूरा खर्चा आंका जाय और जो खलिहान में इन्कम हुई उसको पूरा आंका जाय तो किसान के पास में कुछ नहीं बचता है। यह है आज किसान की हालत जिसको कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं खासतौर से उन मंत्रियों से जो किसानों के साथ सम्बन्ध रखते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो दो महीनों में किसानों की हालत होने वाली है उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो आप किसानों की रत्ती भर भी सुनने वाले नहीं हैं, और साथ बैठो और खूब लूटो और खाओ।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री मनोहर सिंह मेहता!

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, वित्त मंत्रीजी इसमें कोई शक नहीं है कि जादूगर हैं। जब भी कोई चीज रखते हैं तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है।...

श्री मूलचन्द डागा : जादू.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसमें कोई शक नहीं है कि यह उनकी क्षमता है। मैं गणित में वैसे ही कमजोर हूं। मेरी समझ में जब आता कि इतना सा भी लिख देते कि 475 करोड़ रुपया कर्जा है पहले का और 18 करोड़ इस साल का कर्ज है और 63 लाख रुपया इस साल का घाटा है। यह तो कुछ लिखा नहीं खाली 63 लाख लिख दिया। मैं अजीब सा चक्कर में पड़ गया। उन्होंने जहां अच्छा काम बजट में बताया है उनको बधाई भी देना है और जहां गलत काम हुआ है वहां ताड़ना भी देनी है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ताड़ना ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझे माफ करें अगर ऐसा कोई शब्द हो तो।

श्री रामकिशन : ठीक शब्द है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसमें कोई शक नहीं है कि मांडलगढ़ तहसील जहां से मैं आ रहा हूं वह सच्चे मायने से राजस्थान का कमाऊ पुत्र है। वहां पर 10 नदियां बहती हैं लेकिन एक भी नदी पर इन 20 वर्षों में बान्ध नहीं बन्धा है। वहां पर खूब जंगल हैं, लेकिन वे दिन बदिन बरबाद होते जा रहे हैं, और पट्टियां भी वहां पर अच्छी निकलती हैं और हिन्दुस्तान के हर कोने में जा रही है। लेकिन इस बार उन्होंने एक जैतपुर बान्ध बांधने की घोषणा की। सचमुच उन्होंने हजारों आदमियों का कल्याण किया है। इसलिए उन्हें बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि 20 साल के बाद ही सही लेकिन सुना तो सही। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उस पर हजारों लोग बधाई देंगे। इसी काम को प्राथमिकता देकर पूरे राजस्थान में करें जिससे कि नदियों का जो पानी बहकर यों ही चला जाता है वह काम में आ सके।

हो सकता है कि मेरे कई माननीय साथी नाराज हों, लेकिन मेरे मन में जो बात है वह मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। छोटी जोतों के लगान को मैं भगवान का प्रसाद मानता हूं, और तुलसी की तरह मानता हूं। जिस प्रकार भगवान के मन्दिर में कोई जाता है और मुंह में तुलसी रखता है तो सद्विचार पैदा होता है, और जब भोजन बना हुआ है और उस पर तुलसी डालता है तो सिर्फ इस वजह से कि भगवान इसमें बरकत दे, रिद्धि सिद्धि आये, तो इसी तरह छोटी जोतों का लगान है। मैं उसको भगवान का प्रसाद मानता हूं, माननीय सदस्य समझते हैं कि किसान को आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन अर्थ के मुकाबले में उसकी प्रतिष्ठा मूल्यवान है। मैं जानता हूं इसको क्योंकि मेरी सारी जिन्दगी गांवों में बीती है। कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता है। जब ग्राम सभा बैठती है और जो लगान नहीं देता है वह अब अपने विचार रखता है तो गांव वाले क्या कहते हैं? ग्राम सभा वाले कहते हैं किन्तु काहे को बोलता है। तू कौन सा लगान देता है? बेचारे का बोलना बन्द कर देते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि महत्व उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का है, मैं उनके स्वाभिमान को महत्व देता हूं। इसको मैं भगवान का प्रसाद मानता हूं। इसको खर्च कैसे किया जाय? इसको खर्च करने के लिए चाहे आप विधान सभा के सदस्यों को दें या मंत्रियों को दें यह हमारे खून और पसीने का पैसा है। इसको हम व्यर्थ तो नहीं लुटा रहे हैं। कहीं मोटरों में व्यर्थ तो नहीं घूम रहे हैं, झूठे बिल तो नहीं दे रहे हैं। कहीं भेदभाव तो नहीं है? यहां के एक प्रहरी और हमारे में कितना भेद है, हम एक दिन के 21) रु० लेते हैं और जो प्रहरी हैं वे बाहर से आये हैं तब भी उनको केवल 10 दिन का भत्ता मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वह पैसा हमारे पेट में पड़ेगा तो सब बातों का ज्ञान होगा। मैं चाहता हूं कि उसका उपयोग आप ऐसे काम में करें चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हों उनको वेतन चुकाने में, क्योंकि मैं उनको बहुत ऊंची निगाह से देखता हूं, लेकिन कहें कुछ और करें कुछ यह तो चलेगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अध्यक्ष और सदस्य ऐसे हों कि जिनकी चहारदीवारी में सिफारिश न पहुंच सके तो हमें उसके लिए संकल्प करना होगा कि चाहे इन्टरव्यू किसी लेवल पर हों, चाहे इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के यहां हो हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन जब मौका आया तब तो सिफारिश कर दें। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी सिफारिश नहीं की है। शुरू मैंने भी की है पर अब संकल्प करता हूं कि इन्टरव्यू में कभी सिफारिश नहीं करूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्टरव्यू होता है तो उसमें हमें सिफारिश नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं यह कहने का हकदार हुआ हूं कि किसानों की छोटी जोतों का यह पैसा जो आये उसको ऐसी जगहों पर भेजो ताकि वहां पर—मैं नहीं कहता कि ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले करते होंगे। वह बहुत बड़ा पाप है, उसको क्या करते होंगे? नहीं करते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। पढ़े-लिखे आज भयभीत हैं कि इन्टरव्यू में जाकर क्या करेंगे क्योंकि कोई सिफारिश नहीं है। तो उनको निर्भय करें ताकि वे निर्भय होकर पब्लिक सर्विस कमीशन में पहुंच सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। जो इन्जीनियर निकले हैं उनके लिए आपने टेम्पोरेरी व्यवस्था की है उसके लिए बधाई। लेकिन यह व्यवस्था ऐसी है कि फटी हुई धोती पर थेकली लगाना। तो थेकली कब तक लगायेंगे? साथ में आपने यह घोषणा भी की है, दूसरी तरफ आपने कहा है, अमुक अमुक कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज बनाये हैं। अरे क्या कर रहे हो, पहले जो कालेजेज हैं उनमें ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है, उनको ठीक नहीं कर रहे हो और नई नई फेक्ट्रीज खोल रहे हैं। ये ऐसी फेक्ट्रीज हैं जिनका माल कन्ज्यूम नहीं होता और कन्ज्यूम नहीं होने के कारण सड़ता रहता है और जब सड़ता रहता है तो पत्थर फेंकता है, रेलों की पटरियां तोड़ता है। विद्यार्थी जब आपके सामने सही मांग रखते हैं तो उसको आप नहीं मानते। आप मानते कब हैं जब वे तोड़ फोड़ करते हैं। जब तोड़-फोड़ से मानते हैं तो लड़के देखते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तोड़-फोड़ करने से ही मानेंगे। जब हमारा राज्य नहीं आया था, मेवाड़ का किस्सा मुझे याद है, उस समय हम लोगों ने कालेज और स्कूलों में हड़ताल करवाई थी। जिस वकील ने मुवक्किल को भें-भें बोलना सिखाया उसको यह नहीं मालूम था कि वह फीस मांगेगा तो उसके सामने भी भें-भें करेगा।

आपने शराब तीन जिलों में बंद की और उदयपुर जिले की तीन तहसीलों में बन्द की उसके लिए मैं बधाई देता हूं। दो राज्यों के बीच की सीमा पर आपने इसको बंद किया। आपने बाकी जिलों में बंद करने के लिये भी दृढ़ प्रतिज्ञा की है, लेकिन इसमें कहीं नहीं है कि दृढ़ प्रतिज्ञा तो है लेकिन कब तक करेंगे? तीन तीन जिलों में करते रहें तो 8 साल लगेंगे और आठ सालों में क्या हालत होगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी शताब्दी को मत भूलिये 2 अक्टूबर, 1969, उस दिन आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करिये। विरोधी पक्ष के नेता ने कल कहा था कि जहां शराब बंदी हुई वहां लोग मर गये अवैध शराब पीकर मद्रास में लोग मर गये। नमक खाकर लोग मर जावें या डायबिटीज में शक्कर खाने से

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मर जावें तो उसका क्या उपाय है। मर गये तो कुछ नहीं शराब पीकर कुछ लोग मर गये तो उनके परिवार वाले तो खुश होंगे क्योंकि परिवार वालों के लिए वे भारस्वरूप थे। आप मत भूलिये कि यदि आपने ढिलाई की तो कार्यकर्त्ताओं को दुःख होगा। आपको राज्य कर्मचारियों के लिए भी कहना चाहिये था कि राज्य कर्मचारी शराब पीयेंगे तो वे सर्विस के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। आपने 25 मील की पट्टी ली तो आपको 5 जिलों को लेना चाहिये था भीलवाड़ा को भी ले लेते तो हम जानते कि कुछ किया है जहां के लिए पहले से ही मांग थी। आपने जो 1 लाख रुपया निकाला है, इसमें शक नहीं कि उससे प्रगति श्रम हो सकती है। आपने 1 लाख रुपये शराब बंदी के लिए दे दिये, प्रोहिबिशन के नाम से जीप आ जायगी और उसमें लोग चक्कर काटेंगे। यदि आप शराब बंदी के लिए जागरूक हैं तो 8 करोड़ रुपयों की सारी आमदनी शराब बंदी के लिए दे दीजिये। बजट में इसको मत रखिये।

लेकिन आपने क्या ही अच्छा किया, इधर दारू बन्द किया उधर लोटरी शुरू करदी। शराब माता है, जुआ उसका पुत्र है और उसकी पुत्री है वैश्या। आपने शराब बंदी की और लॉटरी रूपी जुआ शुरू कर दिया पर वैश्यालय खोलने की तो अभी घोषणा नहीं की। लेकिन मैं सदस्यों को आगाह करना चाहता हूं कि यह भी सुन्दरी कम्पीटिशन के नाम से प्रारम्भ होने वाला है। भय है यह कम्पीटिशन फिर पंचायत समिति और पंचायतों तक नहीं पहुंच जाय और फिर पूरा जिला और देश के लेवल तक शुरू करके एक रुपये का टिकट नहीं लगादें। अभी तक तो हमने शराब का ही विरोध किया है लेकिन अब जो यह नई चीज जुआ के रूप में आई है मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम इसका डट कर विरोध करेंगे और इसको नहीं चलने देंगे। आज युवकों को हम क्या सिखा रहे हैं ? श्रम एक तरफ रह गया, बुद्धि दूसरी तरफ रह गई। गांधीजी चाहते थे कि श्रम के साथ बुद्धि हो अब आपने नया तरीका निकाला है, (1) एक रुपया जमा कराओगे तो 10 हजार रुपये पाओगे। श्रम करने का महत्व कहां चला गया ?

समाज-कल्याण पर आप 1 करोड़, 25 लाख रुपये खर्च करते हैं। बजट के खंड 1, पृष्ठ 425 पर देखिये इसमें आपने 500) रु० शराब बंदी के लिए रखे हैं। कमाल है। जिस समाज में सबसे अधिक शराब पी जाती है उसके लिए 500) रु० शराबबंदी के मद में रखे हैं। आप अन्दाज लगाइये कि हम सेवा किसकी करना चाहते हैं, मजदूर की सेवा करना चाहते हैं, हम किसान की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने वाले कितने लोग हैं ? जितने बीच के लोग हैं सब उन पर छाये हुए हैं। जितने किसान और मजदूर हैं उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपने उनमें क्या सुधार किया है ? उनके इलाज का साधन नहीं है। बीमारी हो जाने की हालत में बिना इलाज के मर रहे हैं। डिलीवरी के केसेज होते हैं तो डिलीवरी करवाने के लिए दूर अस्पताल पर ले जाना पड़ता है तो सड़कों पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं इन खड्डों पर से ले जाते हैं तो धक्कों के कारण बीच रास्ते में ही बच्चे हो जाते हैं या मर जाते हैं। बीजोलिया जैसी जगह, जहां पर आजादी का अलख जगाया था वहां पर औषधालय का कोई इन्तजाम नहीं है। कई जगह बिजली की लाइन पहुंच गई है

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

लेकिन लट्टू नहीं पहुंचा । अगर कहीं पर बिजली चली गई है तो आप कुओं में बिजली दीजिये आनन्द हो जायगा ।

अब मैं पंचायत-राज के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । कई बार कहा कि इन स्कूलों को इन पंचायतों के नीचे से हटाइये । आपने भेड़ियों के सामने बच्चों को डाल दिया है । मास्टर स्कूल में ठहरते नहीं है । उनको दो दो आदमियों को प्रसन्न करना चाहिये, प्रधान को और सरपंच को । इन दोनों को खुश कर लिया तो मास्टर को कोई पूछने वाला नहीं । कंजरों और सांसियों की तरह से हाजरी होती हैं । इस तरह से रजिस्टर चलते हैं । आगे जाकर लड़के पढ़ाई में कमजोर रहते हैं । कहते हुए बहुत ही दुःख होता है कि पंचायत राज में स्कूलों और मास्टरों का बहुत बुरा हाल है । युवक शिक्षा मंत्री वैसे साहस के साथ बोलते हैं लेकिन साहस के साथ कदम उठायेंगे तभी जानेंगे । आपने देखा होगा 5-7 हजार शिक्षक इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहा था कि यदि उनको पंचायतों के नीचे से अलग नहीं किया तो जून माह में वे सत्याग्रह करेंगे । आप कृपा करके उसको निकालिए पंचायत राज से ।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं क्या निवेदन करूं । जहां पांच पांच कत्ल एक साथ हो जायं वहां पुलिस की तरफ से कोई सम्भाल नहीं । मेनाहन के अन्दर पांच लाशें एक साथ मिलीं जो हिन्दुस्तान का एक सुन्दर तीर्थ स्थान है वहां एक तीन साल का बच्चा मरा हुआ पाया गया, एक नौ साल का बच्चा, एक तेरह साल का बच्चा मरा हुआ पाया गया और पति-पत्नी बाइस-बाईस साल के मरे हुए पाये गये । इसी तरह से कांटू कोटा में एक रात में चार चार मर्डर हुए, चार चार लाशें एक साथ मिलीं लेकिन मुल्जिम का कोई पता नहीं चला ।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं आपको निवेदन करूं, जब सेल्स टैक्स अधिकारी जीप लेकर गांवों में जाते हैं तो गांव वाले चौकन्ने होकर अपनी दुकानें बन्द करके भाग जाते हैं, जैसे कोई डाका डालने आया हो । गांवों में व्यापारी लोग पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए जिस तरह के आप हिसाबात चाहते हैं वह रख नहीं सकते हैं । आप कृपा करके उनकी मदद करिये । जो भी टैक्स लगाना है वह एक साथ लगा दीजिये, तीन साल का औसत देख कर लगा दीजिये, जिससे उनका वकील का खर्चा मिट जायगा और झंझट भी मिट जायगा ।

ग्रामोद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा महारावल साहब ने फर्माया था कि खादी को बन्द कर दीजिये । और अंग्रेजों का जादू उस वक्त तक नहीं चला जब तक इस देश में खादी चलती रही क्योंकि मशीनों से जिस तरह से इंगलेन्ड में मिल का कपड़ा बनता था उसी तरह से उससे कहीं अच्छा ढाका का मलमल बनता था । उसको देखते थे तो उन्हें लगता था कि हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया है । आखिर में गांधीजी ने बताया कि चर्खा ही सोने की चिड़िया है । चर्खा सूर्य के समान है और जितने गृह उद्योग है वह अन्य ग्रहों के समान हैं । आप गृह उद्योगों को थोड़ी सी मदद जरूर दे रहे हैं लेकिन इससे लोगों को पूरा काम नहीं मिल रहा है । आप कृपा करके इस उद्योग को अधिक से अधिक संरक्षण दीजिये । हो सकता है कि कुछ संस्थाएं गलत काम

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करती हों, तो जो गलत काम करते हैं लोग उनको आप हथकड़ियां डालिये, हथकड़ी डाल कर उनको बाजारों में निकालिये। ऐसे लोग गांधीजी के शत्रु हैं, वह गांधीजी की छाती में छुरा भोंक रहे हैं, जो लोग बुरा काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब नालायक हैं, सब पापी हैं, सब बुरा काम करते हैं। मैं मानता हूं, जैसा गुरूजी माननीय गोकुलप्रसादजी ने कहा था कि कई लोग एम्पोरियम बनाकर बैठे हैं, कई लोग जीपों में घूम रहे हैं। यह गलत चीज है। यह है नहीं गांधीजी की खादी गांधीजी की खादी में से, मेरा निवेदन है कि अट्ठारह सूत्रीय कार्यक्रम निकलता है। अगर वह नहीं निकलता है तो यह गांधीजी की खादी नहीं हैं। मैने ग्रामोद्योग के बारे में निवेदन किया कि ग्राम और ग्राम क्षेत्र, आस पास चाहें पंचायत क्षेत्र हों, सब मिलकर बहुत सारे मामलों में इससे स्वावलम्बी वन सकते हैं। सब जगह चर्खा चले, पींदना चले, घट्टी चले, घाणी चले और वढ़ई, खाती, जुलाहे किसी को काम से फुर्सत नहीं हो तब जाकर देश में कल्याणकारी राज्य आयेगा। नहीं तो आज जो लड़के कालेजों से निकलते हैं, एम॰ए॰ पास लड़के जब घर जाते हैं छुट्टियों टेरेलिन का कोट पेन्ट पहन कर, तो पिता तो सिर पर चरस लेकर जाता है लेकिन लड़के को ख्याल नहीं होता कि पिता की सेवा करें। यह उस लड़के को पढ़ाया गया है। आप इस तरह की पढ़ाई के लिए क्या कालेज बढ़ा रहे हैं? कृपा करके ऐसे कालेज मत बढ़ाइये और दृढ़ता के साथ में इस समस्या का सामना करिये और आज जितने कालेज, स्कूल हैं उनको ही आप ठीक तरह से चलाइये। अगर आपको स्कूल खोलने हैं तो आप प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल खोलिये. लड़कियों के स्कूल खोलिये। आज देश में स्त्री शिक्षा की जरूरत है। शिक्षित माता इस देश में पैदा होंगी तो वह स्त्री शिक्षा से ही होंगी।

संक्षेप में मैंने आपको कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में अर्ज किया। अब मैं आपका अधिक वक्त नही लेते हुए एक निवेदन करता हूं कि कृपा करके यह सारा जो आपका बजट है, इस पर फिर से विचार करिये, आप शिक्षा के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन करिये। पंचायत राज खराब नहीं है मैं तो खादी और पंचायत राज का हामी हूं लेकिन हम लोग ही पंचायत राज के दुश्मन हैं, हम लोग पंचायत राज को और कोऑपरेटिव को पार्टीबाजी का अड्डा बना रहे हैं। आज पंचायत राज है उसको तीन रोगों ने डस लिया है, वात, पित्त और कफ–इन तीन प्रकोपों ने उसे घेर लिया है, राहु, केतु और शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी हुई हैं, जातिवाद, व्यक्तिवाद और पार्टीबाजी–इन तीनों ने मिलकर इसको डस लिया है। इन तीनों में से कोई गलत काम मैं करता हूं तो मुझे सम्भलना चाहिये। मैं औरों की आलोचना करने के बजाय खुद की आलोचना करता हूं। मेरे लिए यह असेम्बली अपने आपको बनाने का पवित्र स्थान है। मै हर वक्त यह सोचने की चेष्टा करता हूं कि मेरे द्वारा कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को कसना पड़ेगा। चाहे मेरा शरीर जाने वाला हो, हम सब लोग जो बजट बनाने वाले हैं, हमें ऐसा काम करना होगा जिससे कल्याण हो। अभी जो हमारे ऊपर कर्जा है, उसके लिये निवेदन है कि जिसके सिर पर कर्जा हो वह कभी सुख की

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

नींद नहीं सोता है, वह घर में बैठे तो कभी चैन की सांस नही ले सकता है। लेकिन आज आप लोग मजे और चैन उड़ा रहे हैं। मैंने गलियों में आपकी गाड़ियां दौड़ती देखीं हैं, लाल प्लेट लगी हुई गाड़ियां घूमती देखी हैं। इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं कर बद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया सुविधाओं का दुरुपयोग मत करिये। हम लोग कानून बनाने वाले हैं, हमने कानून में रखली हैं सुविधायें तो हम कानून का दुरुपयोग न करें। इसलिए जो गाड़ियां हैं वह मिनिस्टर के लिए ही रखिये, मिनिस्टर ही उसमें जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर आपके गैरेज नहीं है तो आप गैरेज बनवा लीजिये और उसमें गाड़ियों को ताला कुंजी लगा कर रखिये और जब आप कहीं जायं तो ही उसका उपयोग करिये।

मैं अधिकारियों की आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन आज अधिकारी शराब पीते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। इसमें उनका दोष नहीं है। अढ़ाई हजार, तीन हजार की तनख्वाह हो जाने पर वह धन का दुरुपयोग करते है। इसमें उनका दोष नहीं हैं। कांग्रेस के राज्य में जितनी शराब ने इज्जत पाई है, उतनी इज्जत शराब की कभी नहीं थी। बाजार में शराब को लाकर आपने बिठा दिया है, यह हमारे और आपके लिए कलंक की बात है। मेरा निवेदन है कि 2 अक्टूबर, 1969 को कम्पलीट प्रोहिबिशन नहीं करते है तो आपको और हमको सत्याग्रह करना पड़ेगा। यह लोग हमारे साथी हैं, जब आप और हम सत्याग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से यह लोग आपकी और हमारी बात को मानेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतनी बात कहकर बैठना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस बजट पर, 1968-69 के बजट पर विचार करते हैं तो मुझ जैसा आदमी भी भ्रम में पड़ जाता है। इस बजट को सदन के सभी वर्गों ने भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखा है और जो समाचार पत्रों में और दूसरी तरह से इस सम्बन्ध में प्रतिक्रियायें आ रही हैं उनसे भी ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्य के बजट मन्त्री, वित्त मन्त्री ने कुछ न कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब इस बजट को गहराई से देखते हैं, बजट का जो उद्देश्य होता है, किसी भी सरकार का क्या उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार ही उसका बजट होना चाहिए— इस प्रणाली से जब विचार करते हैं तो इस बजट में निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वित्त मन्त्रीजी ने सभी बातों में आशा व्यक्त की है, विश्वास व्यक्त किया है और अपनी पुरानी भविष्यवाणियां हैं उनको सही साबित करने की चेष्टा की है। मैं अभी से बजट के उस हिस्से पर नहीं जाना चाहता, वह तो अगले साल समझ में आ जायगा जब कि इसके परिणाम निकलेंगे। वित्त मन्त्रीजी का विश्वास है, उन्होंने जो बजट रखा है, वह बगैर टैक्स का बजट है, इसलिए यह प्रगतिशील है। टैक्स लगाना न तो प्रतिक्रियावादी कदम है और नही प्रगतिशील कदम, टैक्स इस दृष्टि से लगाते हैं कि समाज को विकास की कौनसी दिशा देना चाहते हैं, किस प्रकार

(श्री राम किशन)

का समाजवाद बनाना चाहते हैं । और जब समाजवाद किस प्रकार बनाना चाहते है-यह मान्यताएं स्थिर हो जाय तो टैक्स लगाने चाहिये या नहीं— इस पर बहस होनी चाहिए आज आपने, राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार ने यह घोषणा की है कि इस मुल्क को समाजवादी मुल्क बनाना चाहते हैं। समाजवादी मुल्क बनाने का अर्थ एक होता है, कि हम समता का राज्य कायम करें, हम उत्पादन को बढ़ायें, हम पैदावार को बढ़ायें और बढ़ी हुई पैदावार पर बराबर का हिस्सा हो। इस दृष्टि से जब बजट को देखते हैं तो वित्त मन्त्रीजी ने स्वतः ही स्वीकार किया है कि पिछली साल राजस्थान सरकार योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सकी और अबके साल भी कोई प्रावधान करने की स्थिति में नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रक्रिया शुरू की है, चाहे वह आर्थिक प्रक्रिया हो, चाहे सिचाई की प्रक्रिया हो, चाहे बिजली देने की प्रक्रिया हो उसकी गति को हम तेज नहीं कर सकते, और हमें सीमित स्थिति को ही स्वीकार करना पड़ेगा। आपके द्वारा यह तीन पंच-वर्षीय योजनाएं चलाने के बाद आप यह कहें, तो आज दुनिया का कोई मुल्क तीन योजना चलाने के बाद और उसके बाद दो वर्ष निकल जाने के बाद शायद ही यह कहे कि हमारी आर्थिक हालत गिर गई है। यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि हमें योजनाओं के ऊपर दुबारा विचार करना पड़े, या योजनाओं से छुट्टी ले लेने की या एक वर्षीय योजना बनाने की बात सोचनी पड़े। मैं इसे सरकार की सफलता नहीं कह सकता । मैं एक वर्ग की बात या एक माननीय सदस्य की बात नहीं कहना चाहता जो कि योजनाओं से छुट्टी लेने की बात कहते हैं और यह जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे विनाश का कारण ही योजना है। हमारा विचार है कि आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ हिन्दुस्तान जैसा देश, और एशिया के दूसरे मुल्क, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, जिनकी घनी आबादी है, जिनकी पूंजी निर्माण की स्थिति कमजोर है, बचत की और इनवेस्ट-की स्थिति में नहीं हैं— वह बगैर योजना के नहीं चल सकते। हमें दुख है कि इतनी दूर आ जाने के बाद, इतनी योजना बनाने के बाद, राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हम योजना से छुट्टी लेने जा रहे हैं। वैसे, राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी ने विश्वास दिलाया है कि अगले वर्ष वह योजना का प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, उस पर तो उस समय विचार किया जायगा। लेकिन आज विचार करने की बात यह है कि तीन तीन योजना बनाने के बाद हमें योजना से छुट्टी लेने की जरूरत क्यों पड़ी ? वह कौनसा कारण है जिसकी वजह से पीछे हटने का इशारा किया है ? कहां तो योजना बन्द करने के लिए, योजना पर पुनर्विचार करने के लिए जब प्रस्ताव आता था तो उसका उत्तर हमें यह दिया जाता था कि हम योजनाबद्ध विकास के हामी हैं और जो इसका विरोध करते हैं, वह प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी विचारों के हैं। लेकिन आज सरकार इस बात पर खुशी और प्रसन्नता व्यक्त कर रही है कि योजना के अन्दर एक एक साल की छुट्टी लेते जा रहे हैं, यानि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद में आपने देश में वातावरण बनाया था योजना पर आधारित विकास कार्य का, दूसरी पंच वर्षीय योजना के समय हमने निश्चय किया था, इससे निर्माण की आधारभूत स्थिति

(श्री राम किशन)

उत्पन्न होगी, योजना की एक बड़ी दीवार खड़ी होगी और इससे हिन्दुस्तान के कल कारखानों की और व्यापार की स्थिति सुधरेगी और उसके बाद में हिन्दुस्तान की जो गरीबी है उसको दूर करेंगे। सत्रह साल के बाद हिन्दुस्तान की तस्वीर इस सन्दर्भ में देखें तो निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वित्त मन्त्री जी ने केवल आंकड़ेबाजी की है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि 1951 से 1967 के बीच में हम कहां के कहां पहुंच गये हैं। यह हम जानते हैं, यह हमें पता है, कुछ मन्दिर बने हैं, कुछ मस्जिद बनी हैं, कुछ गुरद्वारे बने हैं, कुछ स्कूल बने हैं, भाखरा और पोंग डेम की चर्चा हमारे यहां हो रही है। सवाल यह है कि जो पैसा आपने लिया है, दुनियां के देशों से कर्जा लिया है, हिन्दुस्तान की सरकार से कर्जा लिया है, राजस्थान की जनता से टैक्स लिया है और उससे जो इन योजनाओं को आपने बनाया तो इनके परिणामों के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कहा था कि तीन पंचवर्षीय योजना के बाद राजस्थान की जो इकानोमी होगी, राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था होगी वह सैल्फ जेनरेटिंग इकानोमी में परिवर्तित होगी। हमारे आर्थिक साधन उभरेंगे और उससे नये जीवन को नई दिशा मिलेगी, आमदनी के हमें नये स्रोत मिलेंगे। बजाय इसके कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में आप आमदनी के नये स्रोत पैदा करें, जैसा कि दूसरी जगहों में कर पाये हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आकर जिस आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना के बारे में आपने कहा था, उसके बाद हम दुनियां के दूसरे मुल्कों से मुकाबला शुरु कर सकेंगे-यह कहा था उसके बजाय आप योजनाओं से छुट्टी लेते जा रहे हैं। आपने यह स्वीकार कर लिया है कि आपके पास साधन नहीं हैं। तो आखिर यह स्थिति आयी क्यों? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं वित्त मंत्री और राजस्थान सरकार को केवल इतना कह कर छुट्टी नहीं दे सकता हूं कि यह कुदरत का दोष था, जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा था। सूखा पड़ गया, कर्मचारियों का भत्ता बढ़ गया, इसलिए साधन नहीं रहे। माननीय वित्त मंत्री, मैं निवेदन करूंगा कि सूखे के हिसाब से, पानी के हिसाब से ही योजना चलती हैं तो फिर योजना मंडल की क्या जरूरत है। विकास मण्डल की जरूरत क्या है? जब बरसात होगी तो पैदावार हो जायगी। जब बरसात नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी। इस बात को हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता तीन हजार वर्ष से जानती है। असल सवाल यह है कि कुदरत से लड़ने के लिए जो आपने कार्यक्रम बनाया वह सफल क्यों नहीं हुआ? वित्त मंत्री जी ने इस पर सोचने के बाद कहा, पिछले बजट भाषण में मैंने जो कुछ कहा था वह सभी सच निकला। यह उनका पहला पेराग्राफ था कि आर्थिक हालत खराब है लेकिन अगली साल बारिश ठीक हुई तो अगली साल हालत सुधर जायगी। ऐसा कह कर उन्होंने सन्तोष किया है। अब तक मैं उनको (मथुरादास माथुर को) कांग्रेस का वर्कर ही मानता था। इस पेराग्राफ से ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस जमात से निकाल भी दिया तो वह बड़े ज्योतिषी हैं और जोधपुर में तीन चार आने कमा कर खा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वह ऐसी भविष्यवाणी करके अपने आप में सन्तोष अनुभव करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके ज्योतिषी सही भविष्य-वाणी नहीं कर सकते। हो सकता है कोई अच्छे

(श्री रामकिशन)

ज्योतिषी हो गये हों। हिन्दुस्तान के संस्कार और पुरातन दृष्टि से देखें तो मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप चाहे ज्योतिष में विश्वास करें, दूसरे शास्त्रों में विश्वास करें लेकिन मैं वह आधार जानना चाहता हूं कि आप के पास कौनसा आधार है कि जिस आधार पर आप कह सकते हैं कि अपनी हालत सुधरने के नजदीक आ गई है। वित्त मंत्रीजी ने जो इस सम्बन्ध में अपनी उपलब्धियां बतलाई, तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो कुछ बताई हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने स्कूल कालेजों का जिक्र किया है, उन्होंने बांधों का जिक्र किया है, उन्होंने बिजली का जिक्र किया है। लेकिन आप एक बात भुला देते हैं कि अगर आपने सन् 51 के बाद तरक्की की है तो 51 से 67 तक अन्य बजट के अलावा अब तक 4 अरब 44 करोड़ रुपया राजस्थान के विकास पर खर्च किया है। 4 अरब 44 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज स्थिति क्या है ? वह आप पहले ही पैराग्राफ में कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय गिर गई है। कभी बढ़ गई, कभी घट गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा और सदन के माननीय सदस्य जो अर्थ शास्त्र में दिलचस्पी रखते है, उनके लिए महत्व-पूर्ण प्रश्न है कि 4 अरब 44 करोड़ रुपये के नियोजन के बाद सरकारी क्षेत्र में 4 अरब 44 करोड़ और गैरसरकारी क्षेत्र में 6 अरब 22 करोड़ के नियोजन के बाद प्रति व्यक्ति आमदनी वहीं की वहीं क्यों रह गई ? जो 51 में थी वहीं 65 में रह जाती है। उन्होंने आगे कहा है हमारी प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों के आधार पर 251 हो गई है, स्थिर कीमतों के आधार पर 61 में 251 रुपये हो गई। 67 में 258 हो गई, जबकि 52 में 258 के आस पास चली थी। हमारा पूंजी-नियोजन होता चला जा रहा है सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र में और प्रति व्यक्ति आमदनी एक झटके में ऊपर चली जाती है और एक झटके में नीचे चली जाती है, इसका क्या कारण है ? वित्त मंत्री जी इसका जबाब मैं जानता हूं यह देंगे कि जिस साल बरसात होती है, फसल अच्छी होती है तो उस साल प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। और जिस साल बरसात अच्छी नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है तो प्रति व्यक्ति आय गिर जाती है। तो माननीय वित्त मंत्री जवाब दें कि आपने 51 के बाद क्या किया है? योजना के प्रारम्भ में स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आमदनी 233 रु० थी। आज जब योजना का अन्त हो रहा है, योजना से आप छुट्टी लेने जा रहे हैं। 10 अरब की योजनाओं के बाद स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आमदनी 1260 बढ़ पाती है तो वह भी स्थायी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरा दावा नहीं है और मेरा यह कहना भी नहीं है कि सरकार की विकास करने की इच्छा नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि राजस्थान की जनता से आपको प्यार नहीं है। लेकिन जिस दिशा में नीति निर्धारण के संस्कार लेकर आये हैं और जिस प्रकार के संगठन में काम कर रहे हैं, उसमें इससे ज्यादा आशा नहीं की जा सकती। योजना का अर्थ क्या था ? आप योजना से क्या करना चाहते थे। योजना का अर्थ था उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन बढ़ रहा था, जिससे कि वह स्थायी हो सके। और लागत लाभ के मूल में परिवर्तित हो जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, हम योजनाओं के नतीजे को देखेंगे तो हम पायेंगे कि राजस्थान

(श्री रामकिशन)

का गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसकी दशा में मामूली सुधार के अलावा जिस आशा से हमने पंचवर्षीय योजना बनाई थी और जितना हमने अनुमान लगाया था उसमें से 50 फी सदी भी देश में सुधार नहीं कर पाये हैं। आधा प्रतिशत भी हम नहीं कर पाये हैं। जो अनुमान हमने लगाया था उसका आधा भी नहीं कर पाये हैं। यह हालत क्यों हुई ? इसका क्या कारण है ? इसका कारण माननीय राज्य मंत्रीजी आप समझने की चेष्टा करें। इसका सीधा कारण है। आपने योजनाएं बनाईं तो आपके दिमाग में योजनाओं का स्पष्ट चित्र नहीं था। रूस में योजनाओं का नाम आपने सुना। और अमेरिका से सामुदायिक विकास का नाम सुना। दिल्ली की सरकार है। वह कर्जे के लिए भीख के लिए, ताशकन्द समझौते के लिए रूस और अमेरिका के चक्कर लगाती रहती है और बिना अक्ल लगाये उसने योजनाओं का नारा शुरू कर दिया। राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर अगर सुखाड़ियाजी और इन्दिराजी के बजाय नाथूलालजी गिरधारीलालजी भी गद्दी पर बैठते तो इस नारे को वह लगाना प्रारम्भ कर देते। हमारा यह प्रश्न था कि जितनी क्षमता थी राजस्थान में उसको योजना की तरफ प्रवृत्त कर देते। यह उद्योग का मामला है, या कारखाने का मामला है, या कम्पनी का मामला है या मान इण्डस्ट्रियल का मामला है, यह सब योजना के नाम पर प्राथमिकता के आधार पर तय होने चाहिये थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसने इन्वेस्टमेंट किया। अब आप योजनाओं को देखिये मैं राजस्थान नहर को विकास की एक कड़ी मानता हूं और हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिऐ इसे आवश्यक मानता हूं। लेकिन राजस्थान की जो हालत थी जिस तरह के उसके फण्ड्स थे उनको देखते हुए पिछड़े हुए राजस्थान को प्रगतिशील बनाने का काम करना चाहते थे तो उसके लिए छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर देना चाहिये था। दुर्भाग्य यह है कि हमने छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर नहीं दिया। 4/5 दिन पहले सिंचाई मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि राजस्थान सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना पर 1 अरब 26 करोड़ रु० खर्च किया है। लेकिन उसमें से छोटी सिंचाई योजनाएं हैं, उन पर 18 करोड़ रुपये खर्च किया है। 1 अरब 26 करोड़ में से 18 करोड़ खर्च किया है। अगर ज्यादा खर्च कर देते तो हमारा जो सिंचित क्षेत्र है 21 लाख हैक्टर एकड़ वह छोटी सिंचाई योजनाओं से बढ़ कर 40 लाख हैक्टर एकड़ में पहुंच जाता। उससे प्रति व्यक्ति आमदनी भी दुगनी हो जाती और अमेरिका और रूस से जो हम भिखमंगी करते हैं और केन्द्र में भिखमंगी करते हैं और केन्द्र में भिख मगी के लिए हमेशा एक मंत्री रखना पड़ता है जिसे हर साल दूसरे मुल्कों में भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। उसको भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता और काश्मीर के मामले में हमें रूस और अमेरिका से नहीं दबना पड़ता। ताशकन्द समझौते का मामला होता या काश्मीर का मामला होता। हम शान के साथ कह सकते थे कि हम अपने मुल्क के लिए खुद अन्न पैदा करते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में कर दिया और अब जब इन्वेस्टमेंट करने को स्थिति में नहीं रहे और जो कुछ

(श्री रामकिशन)

भी धनराशि थी उसका इन्वेस्टमेंट हो गया है. तो अब वित्त मंत्रीजी मैं आपको एक बार कहता हूं कि क्या जो सबसे बड़ा और वृद्धि का प्रश्न है, योजना क्या उससे हम धीरे धीरे दूर हटते चले जाएं। मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि आखिर आपने छोटी और बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ सन्तुलन दिमाग में बिठाया है। क्या आपने इसका अध्ययन किया है कि सिंचित क्षेत्र में किस तरह से प्रगति कर सकते हैं। छोटी सिंचाई योजना में 18 करोड़ की लागत से कितने क्षेत्र में पानी दे पाये हैं, उससे मालूम होता है, 1 अरब और 26 करोड़ की योजना से आप राजस्थान की आधी भूमि को भी पानी नहीं दे पाये हैं। जिस वक्त राजस्थान बना था उस वक्त के सिंचाई मंत्री ने आंकड़े दिये हैं कि राजस्थान में उस वक्त 11 लाख 72 हजार हैक्टर एकड़ में सिंचाई होती थी। लेकिन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पूरी होने के बाद और उसके बाद दो साल गुजरने के बाद सिंचित क्षेत्र 31 लाख हैक्टर एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। इसका मतलब हुआ कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 9 लाख हैक्टर एकड़ भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध कर पाये हैं जब कि दूसरे मुल्कों को देखें। बर्मा को देखें, इण्डोनेशिया को देखें, अगल-बगल के मुल्कों को देखें तो आपको मालूम होगा कि सिंचाई का रकबा हिन्दुस्तान को तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जब अंग्रेज गये थे तो पांच करोड़ एकड़ था लेकिन कांग्रेस के 20 साल के राज के बाद सवा छः करोड़ एकड़ हो पाया है। जब कि बर्मा इण्डोनेशिया और दूसरे मुल्कों ने सिंचाई का क्षेत्र तिगुना कर लिया है। उनके अन्दर कोई बड़ी खसूसियत नहीं है। कोई बड़े गुण नहीं हैं। उनके पास में जो श्रम शक्ति उपलब्ध थी, साधन उपलब्ध थे, उनको छोटी सिंचाई योजनाओं में लगा दिया। हर मुल्क अपनी इकानॉमी को सशक्त करता है। अपने अर्थ-तन्त्र को मजबूत करता है। उसका परिणाम यह होता है कि उससे बड़े बड़े उद्योग धन्धे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार गलती करके आज इस स्थिति में हो गई हैं कि उनके पास योजनाओं के लिए पैसा नहीं रहा है और वह राजस्थान नहर को पूरा नहीं कर सकती, पौंग बांध को पूरा नहीं कर सकती।

आज पौंग डेम को पूरा नहीं करा सकते, भाखरा के कनेक्शन को ठीक नहीं करा सकते, चम्बल के और दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट हाथ में लिये हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं ?

वित्त मंत्री ने कहा कि सिंचाई के हमने काफी साधन जुटा लिए पर 56 करोड़ की प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई थी उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने केवल 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो इससे पता चलता है कि हमारी दृष्टि कितनी गलत है। इस गलत दृष्टि का यह सारा परिणाम है कि आज राजस्थान भुखमरी के किनारे खड़ा हुआ है, अकाल के किनारे खड़ा हुआ है। आज वित्त मंत्री जी लम्बी-लम्बी घोषणाएं करके सदन को धोखे में नहीं रख सकते। आपने अपने भाषण में कहा कि हमने टैक्स नहीं लगाये। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आखिर टैक्स लगायें तो कहां लगायें, क्या आज जनता में टैक्स देने

(श्री रामकिशन)

की क्षमता बाकी रही है ? नासिर ने एक किताब लिखी है, मैं अरब के जनरल नासिर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हिन्दुस्तान उससे मित्रता की बात करता रहता है। उन नासिर ने लिखा है कि एशियाई मुल्कों में जितने टैक्स हिन्दुस्तान ने लगाये हैं उतने अधिक टैक्स और किसी मुल्क ने नहीं लगाये हैं। टैक्स आप लगा नहीं सकते, टैक्स नहीं लगा सकते इसका मतलब यह है कि आप योजनाओं को छुट्टी देना चाहते हैं, और योजनाओं को छुट्टी देने का मतलब है देश को और अधिक गरीब बनाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। अब हम आपके राज को रोते रहें, विरोधी रोते रहें राजस्थान सरकार की गलतियों को और राजस्थान की सरकार ने जो गलतियां कीं, उनके लिए राजस्थान की जनता दण्ड भुगतती रहे, यह हम नहीं चाहते। राजस्थान को इस संकट से बचाने के लिए ऐसे लोगों से नये टैक्सों के साधन ढूंढ़ने चाहिए जो देने की हालत में हैं, जिससे कि योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री जी बड़े खुश हैं, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने जवाहरात वालों पर टैक्स छोड़ दिया, मोटर वालों पर टैक्स छोड़ दिया और कहते हैं कि हमने पान वालों पर भी टैक्स छोड़ दिया, पान पर टैक्स बन्द करने से जो सूखे चेहरे थे गरीबी और बेरोजगारी के कारण उन चेहरों पर पान खाकर कुछ मुस्कराहट तो आयेगी। पर मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आज हिन्दुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो पान खाते हैं, मैं समझता हूं कि 10 परसेंट साधन सम्पन्न व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई पान नहीं खाता। मैं पूछना चाहता हूं विद्यार्थियों में से ऐसे कितने हैं जो पान खाते हैं ? विद्यार्थियों पर बस का टैक्स कम करने की बात कही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी बसों में जाते हैं, वित्त मंत्री जी को यहां के साधन सम्पन्न वर्ग का ही अनुभव है, जिस वर्ग के विद्यार्थी बसों में स्कूल जाते हैं उनको पता नहीं है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी पैदल ही स्कूलों में जाते हैं, उनको आप द्वारा दी गई इस छूट से कोई सुविधा या लाभ नहीं होने वाला है। आपने जवाहरात वालों को किस कारण से छूट दी मैं नहीं कह सकता, आपने पान वालों को छूट दी, पान वालों से मित्रता हो उससे मुझे मतलब नहीं पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पूंजी हमने नियोजित की थी, वह पूंजी कहां गई। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी तो पूंजी भी अवश्य बढ़ी है. वह पूंजी कहां गई आखिर ? चाहे वह पूंजी जवाहरात में गई हो, चाहे मोटरें खरीदने में गई हो, चाहे रेफरीजिरेटर खरीदने में गई हो, चाहे टेलीफोन लगाने में गई हो, चाहे उस पूंजी से सोना खरीदा गया हो, या उस पूंजी से बड़े बड़े भवन बनाये गये हों। आखिर पूंजी तो कहीं न कहीं गई है। अब आखिर वह पूंजी कहां गई इसके लिए राजस्थान के वित्तमंत्री को, वित्त मंत्रालय को विचार करना चाहिए।

राजाओं से जिस समय राजस्थान आया, जब राजस्थान बना उस समय राजस्थान का बजट 14 करोड़ का था और आज राजस्थान का बजट 140 करोड़ का हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमने टैक्स लेने का तरीका दस गुना बढ़ा दिया।

(श्री रामकिशन)

जब 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया तो काम भी तो दस गुना होना चाहिए । 10 गुना ज्यादा आमदनी हुई तो क्या हमारे यहां सड़कें दस गुनी हो गई हैं, क्या हमारे यहां अस्पताल और स्कूलें पहले से दस गुना बढ़ गई हैं ? क्या पहले से दस गुना अधिक विकास हुआ है ? राजस्थान सरकार डींग मारती है कि हमने इतना विकास कर लिया इतने और और काम कर लिए पर आज स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है । राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान की सरकार का 378 करोड़ रुपये का कर्जा कर लिया, इस के अलावा और प्राइवेट कर्जा कर लिया और इस तरह से 492 करोड़ का कर्जा कर लिया । दस गुना अधिक विकास होना चाहिए था, दस गुना पैसा अधिक लिया तो काम भी तो दस गुना अधिक होना चाहिए, पर वह नहीं हुआ तो फिर वह सारा पैसा कहां गया ?

सिंचाई की स्थिति आपके सामने है, इसके आंकड़े अभी मैंने आपके सामने रखे । अब आप सड़कों को ले लें राजस्थान बना उस समय 18300 किलो मीटर सड़कें राजस्थान में थीं, आज तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, 30586 किलो मीटर सड़कें राजस्थान में बन पाई है । इस तरह से बजट तो बढ़ता गया पर पैसा सिंचाई के कार्यों पर नहीं लगा, सड़कों पर नहीं लगा और दूसरे विकास कार्यों पर नहरों पर वह रुपया नहीं लगा तो आखिर वह गया कहां ? आखिर यह गोरख धन्धा क्या है, यह कहना क्या है ? वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए । खुद अगर यह समझ में नहीं आये तो दूसरों से सलाह लेनी चाहिए । जोशी जी ऐसा मत समझो कि राज करने की सारी की सारी अकल आप तक ही सीमित हो गई है, औरों में भी है, अगर आपको समझ में नहीं आये तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी आप को जानकारी करा सकता है ।

तो प्रश्न सामने यह आता है कि आखिर यह पैसा गया कहां, रेडियो, टेलिवीजन, कारें, बड़े बड़े भवन, जवाहरात, मैं इन सबका हिसाब दूंगा । तो इसमें बड़ा समय लगेगा । इसके दो पहलू हैं, पूंजी का नियोजन कहां चला गया, जो पैसा लगाया वह कहां चला गया ? मैं कहूंगा कि एक परसेंट लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों में रहते हैं, कारों में बैठते हैं, जिनके परिवार की स्त्रियां हीरे और जवाहरात पहनती हैं, और सोने से पीली नजर आती हैं, यह सारा पैसा धीरे धीरे उन लोगों के पास चला गया । इसका प्रमाण यह देता हूं कि चाहे हमारे यहां सिंचाई के साधन नहीं बढ़े हैं, लड़के हमारे यहां उस अनुपात से नहीं बढ़े हैं, और दूसरे विकास के कार्य नहीं बढ़े हैं, लेकिन आप मोटरों, जीपों की संख्या देखेंगे तो यह पता चल जायगा कि यह सारा पैसा किस तरफ चला जा रहा है ? राजस्थान बनने से पहले जितनी मोटरें राजस्थान में थीं, उनसे दुगनी आज हो गई हैं, राजस्थान सरकार के पास भी दुगनी है । राजस्थान में जिन वर्गों के मकान थे वे आज उन वर्गों के 27 गुने हो गये हैं । टेलिफोन 135 गुने बढ़ गये हैं तो टेलिफोन, जीपें और कारें साधारण आदमी लेने वाले नहीं हैं मकान साधारण वर्ग के लोग लेने वाले नहीं है । सारा पैसा इन लोगों के पास चला गया इसका एकमात्र

(श्री रामकिशन)

कारण यही है कि योजनाओं का गलत नियोजन हुआ, आपकी योजनाओं की गलत दिशाएं थी, इस ही कारण से वह सारा का सारा पैसा धीरे धीरे, वहां चला गया।

छोटे पान वालों को माफ किया, वह समझ में आ सकता है, लड़कों को माफ किया वह समझ में आ सकता है, पर यह सारा का सारा नियोजन किया हुआ पैसा जिन लोगो के पास गया है, ऐसे लोगों पर टैक्स लगा कर उस पैसे को वापिस क्यों नहीं निकालते। इस पैसे को नहीं निकालने का मतलब होगा कि आप योजनाओं को छुट्टी दे रहे हैं। योजनाओं को छुट्टी देने का मतलब यह है कि हमारा देश और अधिक गरीब होगा, और गरीबी से बढ़कर कोई बड़ा दुख नहीं, गरीबी से बढ़कर कोई और बड़ा अभिशाप नहीं, गरीबी से बढ़कर कोई कलंक नहीं।

तो आपके गलत नियोजन और आपकी गलत दिशाओं का फल है कि आज वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि अब और टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं रही। आज राजस्थान में ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं पर आप उनसे लेना नहीं चाहते। हम दो उद्देश्यों से टैक्स लगाते हैं एक तो इस उद्देश्य से कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और दूसरा इस उद्देश्य से कि पैसा कुछ वर्ग के लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, उससे गैरसमानता पैदा हो जाती है हमारे समाज में, उस गैर समानता को समाप्त करके समानता लाने के लिए ऐसे लोगों से टैक्स के रूप में वह पैसा लिया जाय, सम्पन्न वर्गों से टैक्सों से धन लेकर गैरसमानता को दूर करना तो दर किनार हमारी यह सरकार सम्पन्न वर्गों को टैक्सों से छूट देकर असमानता को और भी बढ़ा रही है और जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उन किसानों से उनकी छोटी जोतों पर भी भू-राजस्व ले रही है।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान सरकार इस दिशा में कब तक चलती रहेगी ?

तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को हमने पढ़ा है। वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि छोटे लोगों का कल्याण करने की सरकार ने चेष्टा की है। उन्होंने कहा कि हरिजनों के मोहल्लों में जहां अन्धेरा है वहां बिजली का एक बल्ब लगा देंगे, बस यह कल्याण की पराकाष्ठा हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि वित्त मन्त्रीजी का दृष्टिकोण साफ है, हरिजनों के अन्धेरे मोहल्लों में जो उनकी अर्धनग्न नारियां हैं, बिजली के प्रकाश में शायद उनका आभास ज्यादा हो सके। आज राजस्थान सरकार यह कहती है कि गरीबों को उठाने के लिए, छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिये खर्च किया है। आप देखेंगे कि तीनों पंचवर्षीय योजना में 444 करोड़ खर्च करने के बाद हरिजनों, आदिवासियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सरकार ने तीनों योजनाओं में 5 करोड़ 12 लाख खर्च किया और 444 करोड़ में से 512 लाख इनके लिए खर्च करके गीत गाती रहती है कि हमने इन जातियों के लिए इतना खर्च किया है।

हमारा सारा नियोजन, सारी दिशाएं तो केवल एक ही वर्ग के लिए हैं, जिसके पास सारा नियोजन का पैसा चला गया है....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओन ए पोइन्ट ग्राफ एक्सप्लेनेशन सर, 512 लाख रुपया आपने कहा, इतना ही खर्च किया, यह स्टेटमेंट गलत है, सारे समाज पर जो खर्चा किया है वह तो उन पर भी खर्च किया है, इसके अतिरिक्त इन पर यह खर्चा किया है।

श्री रामकिशन : तो क्या जोशी जी आप यह समझते हैं कि मैं यह भी नहीं जानता ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जिस रूप में आपने कहा, उससे मिसग्रन्डरस्टेंडिंग होती है, इसलिए मैंने स्पष्ट किया है।

श्री रामकिशन : जो आप कह रहे हैं, वह मैं समझता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जो आपकी भाषा थी, उससे मिसग्रन्डरस्टेंडिंग होता है इसलिए क्लीयर करना मेरा फर्ज हो गया।

श्री रामकिशन : मेरी भाषा और संस्कारों को ठीक करने की ठेकेदारी तो है नहीं आपकी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मिसरिप्रेजेन्टेशन हो तो उसको स्पष्ट करने का मेरा अधिकार है।

श्री रामकिशन : ऐसा मैं नहीं करता। आप नहीं कहते तो भी मैं कहने ही वाला था।

तो मेरा कहने का मतलब यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आपने तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केवल 512 लाख खर्च किया है तो इसे कैसे हरिजनों का उद्धार हो, आपने तो गोकुलचन्दजी और नाथूरामजी को विधान सभा में बैठा दिया इससे पिछड़े वर्ग के लोगों का उद्धार नहीं होने वाला है, इस तरह से पिछड़े वर्गों को ऊपर नहीं उठाया जा सकता।

इस योजना में मकान बनाने के लिए जिक्र किया गया है

(4 म. प.)

कि हम लोगों के मकान बनवायेंगे लेकिन किन लोगों के बनवाना चाहते हैं ? पहली योजना में बनवाये हैं, दूसरी में और तीसरी योजना में मकानों के लिए ऋण दिये हैं। लेकिन किनको ऋण दिए ? आप जोशी जी समझने की कोशिश करना, आपने तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो ऋण दिए हैं, वह 95 लाख आय वालों के लिए, अल्पआय वालों के लए, जिनकी आमदनी राजस्थान में रोजाना 14--15 आना समझें, वे 1,80,00,000 के आसपास होंगे। उनके लिए केवल 95 लाख और मध्यम आय वालों के लिए 1,79,00,000, उच्च आय वालों को 17 करोड़ का कर्जा क्यों नहीं देंगे? जब बढ़िया कार है तो बढिया कोठी भी आनी चाहिए और जब बढ़िया कोठी है तो पत्नी के लिए जवाहरात में कुछ छूट भी देनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए बढ़िया अंगूठी भी चाहिए। आपने कहा है कि राजस्थान में मकानों का निर्माण करेंगे, अल्प आय वालों की हालत सुधारेंगे। आपने कर्जे किस प्रकार दिए ? अखिल भारतीय सर्विस के जो लोग हैं आई०ए०एस० व आई० पी०एस०, उनसे मेरा विरोध नहीं, मैं नहीं कहता कि उनके लिए मकान नहीं बने

(श्री रामकिशन)

लेकिन जो ढाई हजार वेतन पाते हैं उनको आप फिजूल खर्च मत बनाइए, उसमें से ही उनको करने दो आप इस वर्ग पर जितनी पूंजी खर्च करेंगे वह विलासता में खर्च होगी, निर्माण के लिए नहीं। 1954 से 1964 तक 18 लाख का कर्जा इन लोगों को आपने दिया है। आपकी जो नियोजन की दिशा है वह सब गलत जगह पर आपने इन्वेस्ट किया है। आज रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री ने योजनाओं से छुट्टी मनाने के लिए कहा है कि चिंता नहीं। आप कहां से योजना बनायेंगे? जिनके पास सम्पत्ति है, जिन के पास धन, है उनको सुविधायें देते चले जा रहे हो, लेकिन जो गरीब हैं, जो सताए हुए हैं, उनकी सुविधा वापस ले रहे हो, तो मैं समझ नहीं पाता कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार आप करना चाहते हैं? आपने यही नहीं किया, मकान के संबंध में इन्वेस्ट किया, जीपों के संबंध में या रेडियो या रिफ्रीजरेटर के बारे में जो आपने किया है उसका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन जो कर्जा सरकार को देना चाहिए वह उद्योग व खेती के विकास के लिए, लेकिन आप कौनसा कर्जा दे रहे हो? आपने 31-12-67 तक 41 करोड़ की सिक्योरिटी और कर्जे दे रखे हैं? किनको उन लोगों के लिए नहीं जो ट्रेक्टर का कारखाना बनाना चाहते हैं, जो पंचायत समितियों के लिए कुएं बना रहे हैं, लेकिन कर्जा दिया है 6 करोड़ का कमानी ब्रदर्स को, एक पार्टी के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपया जे० के० सिन्थेटिक्स, कर्ज का वसूली का इंतजाम नहीं, स्वदेशी मिल कोटा को दिया है। जितने बड़े कर्जे आपने बड़ी पार्टियों को दिए हैं वह जिस उद्देश्य के लिए दिये हैं, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती। कमानी ब्रदर्स को एक बार आपने साढ़े चार करोड़ का कर्जा दिया है और दूसरी बार डेढ़ करोड़ का कुल 6 करोड़ उन्होंने कहा है कि उदयपुर में कारखाना लगायेंगे, कर्जा जा चुका? उदयपुर में कारखाना कहां लगा? कौनसी जगह लगा है? क्यों दिया है कमानी ब्रदर्स को, जे० के० सिन्थेटिक्स को, सिंहानिया को? क्योंकि ये ही तो वे लोग हैं जो मंत्रियों को अमरीका व आस्ट्रेलिया घुमाने के लिए ले जाते हैं तो राजकोष से दोस्ती का नाता निभाना, यह कहां तक उचित है? यह पैसा यदि राजस्थान नहर पर लगाते तो अच्छा होता, इन 41 करोड़ से राजस्थान नहर को पूरा कर सकते थे। शांति प्रसाद जैन को भी आपने कर्जा दे रखा है। ये जो उद्योगपति हैं वे टैक्स की चोरी से ब्लैक का पैसा बनाते हैं और फिर सरकार के सामने खाली हाथ से आते हैं। इस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना बड़ा कर्जा और आपके टैक्सों की चोरी, बराबर यह क्रम चलता रहता है। फिर वित्त मंत्री कहते हैं कि टैक्सों के लिए गुंजाइश नहीं थी इसलिए योजनाओं से छुट्टी लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। अगर सारे पैसे को राजस्थान नहर में लगाते, चम्बल योजन पर लगाते या ऐसे उद्योगों में लगाते जो फौज के लिए सामान बनाते तो समझ में आता लेकिन आपने उन कारखाने वालों को कर्जा दिया है जो राजस्थान को 10 साल बाद जिन चीजों की जरूरत है उनके लिए कर्जा दे रहे हैं।

सरकार यह कहकर बचना चाहती है कि इंद्र और कुदरत का दोष है तो मैं मानने

(श्री रामकिशन)

के लिए तैयार नहीं हूं। इन्द्र काफी दिनों तक प्रभावशाली रहेगा लेकिन जब तक कांग्रेस प्रभावशाली रहेगी इन्दिरा इन्द्र से नहीं लड़ सकती। जिनमें कुदरत से संघर्ष करने की शक्ति होगी ...

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): तो कौन लड़ेगा ?

श्री रामकिशन शर्मा: जब हम आयेंगे तब देखेंगे। आखिर आप कुदरत के नाम पर बचकर नहीं निकल सकते। आप ने सदन में घोषणायें की हैं जिनमें से एक है कि इन्जीनियर नहीं रहेंगे। सदन ने सुनकर तालियां बजाई। इतने इन्जीनियर बेरोजगार क्यों हुए, कारण क्या है ? आपने 1972 तक योजनाओं में लक्ष्य बनाए थे कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 15 अरब का नियोजन करेंगे। 10 साल की योजनाओं के लिए 15 अरब खर्च करना था और उसके बाद इनकी जो बेरोजगारी आ रही है, सबको खपाना था। तो जब 15 अरब का नियोजन था तो 8 अरब के आसपास क्यों रह गए ? जहां जहां नियोजन करना था वह क्यों नहीं हो पाया ? आपने कहा कि (ए) व (बी) क्लास ठेकेदारों को इन्जीनियर रखना पड़ेगा और कुछ को सरकार सर्वे के काम में लगाएगी। सर्वे वाली बात जब मैंने पिछली बार सदन में कही थी कि जब राजस्थान नहर से इंजीनियरों और ओवरसीयर्स को हटाया जा रहा था तो उस समय माननीय श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने भी वे प्रस्ताव रखा था कि सर्वे कराओ, राजस्थान के जो पानी के स्रोत हैं उनकी सर्वे कराइए लेकिन श्रीमती लक्ष्मी कुमारी की बात आपने क्यों नहीं मानी ? क्योंकि वह औरत थी। कभी औरत की ......

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: गलत बात है।

श्री रामकिशन: मैं आपके बचाव के लिए ही तो कह रहा हूं। उस समय आपने माननीय लक्ष्मी कुमारी की बात को नहीं माना इसलिए नहीं माना क्योंकि वह औरत थी। रावण ने मन्दोदरी की बात नहीं मानी क्योंकि उनका कहना था औरत को ज्ञान नहीं और मेरी बात इसलिए नहीं मानी कि मैं बच्चा था, कम उम्र का था, अब कौनसा विवेक पैदा हो गया ? वे तो हट गए अब क्या दुबारा सर्विस देंगे ? ये कौन से वर्ग के लोग हैं ? ये बड़े क्लासिज के हैं जो 150-200 महीने में खर्च करते हैं लेकिन राजस्थान में जो 8 लाख बेरोजगार हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है ? कृषि स्नातकों के लिए 15 एकड़ जमीन देंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो करीब 11 हजार ट्रेन्ड टीचर्स और 2 लाख के करीब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनका क्या करेंगे ? राजस्थान में हरिजन और आदिवासी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 3,22,000) बैठे हैं अनुसूचित क्षेत्रों में, उनका क्या करोगे ? आप केवल समाज का जो हल्ला गुल्ला करने वाला वर्ग है, जो क्षमता वाला वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, उनके लिए कुछ करते हैं लेकिन जो दूसरे बेरोजगार हैं उनका क्या कर रहे हो ? आपने 8 लाख लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से केवल 5 लाख को रोजगार मिला, 3 लाख वह बैठे थे और फिर 5 लाख इक्ट्ठे हो गए तो इनका कहां नियोजन करेंगे ? इसके लिए मेरा सुझाव है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक फैसला आप कर लें कि शिक्षण संस्थाओं में जहां जहां पढ़ी लिखी औरतें मिलेंगी उनको मास्टर पहले बनायेंगे।

(श्री रामकिशन)

आप कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ेगी । हमारे देश में रोजगार का मतलब है केवल सरकारी नौकरी । इस प्रवृत्ति को बदलना होगा । कोई भी आदमी जो श्रम से नफरत करता है वह चल नहीं सकता । जो पढी लिखी महिलायें है उनको अध्यापक, नर्सेज, मजिस्ट्रेट्स आदि बनाएं । इससे ज्यों ज्यों पुरूषों की बेरोजगारी बढ़ेगी त्यों त्यों वे सड़क पर फावड़ा लेकर जायेंगे । आप इस दिशा को बदलो जो आज हरेक आदमी चाहता है क्लर्क या पटवारी बनना । इससे बेरोजगारी की समस्या बदलेगी आपने और भी घोषणायें की हरीजनों · ·

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है ।

श्री रामकिशन : अभी समय तो नहीं हुआ । अगर सरकार सारी स्थिति को अच्छी तरह से देखें तो नई दिशा मिल सकती है । मिसाल के तौर पर सरकार ने गलत नियोजन तो किया है । दिशा तो गलत निर्धारित की ही लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन का काम किया है । कहां खेती का विकास हो कहां पानी का पहले शुरू हो, कहां वाटर वर्क्स चालू किए जाय । चुनाव के दिनों में वोट्स लेने के लिए नलों को दुगुना किया । लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में नहीं बल्कि भरतपुर में जहां जरूरत नहीं है, हमारी समस्या तो है कि बाढ़ को रोको, नल का पैसा बाढ़ नियन्त्रण में लगाओ । तीसरी योजना में मैं और जिलों की बात नहीं कहता, भरतपुर में 5.11 करोड़ खर्च किए ।

भरतपुर की स्थिति क्या है, आबादी ज्यादा है, जमीन कम है, उद्योगों को खोलना, कारखाने खोलना, खेती को सुधारना, इस सारे में उपाध्यक्ष महोदय, 46 लाख 46 हजार रुपया खेती पर खर्च किया गया है । हमारी दिशायें सब जगह गलत हैं । आज जो परिणाम हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला पाते है । उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में खनिजों के विकास पर राजस्थान में एक करोड़ 15 लाख रुपया खर्च किया गया है । इस पर नान-टैक्स बढ़ाते तो आज स्थिति दूसरी होती । एक करोड़ 15 लाख रुपये खनिज पर खर्च किये हैं । बहुत सारे सरकारी भवन बने है, इन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है । तीन पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपया खर्च होगा । आज राजस्थान में कई राजा-महाराजा हैं, उनकी बहुत-सी बिल्डिंगें हैं, उनको समझा बुझा कर खाली करवा लेते कोई टूटी हुई होती तो भी उसकी मरम्मत करा लेते । इन योजनाओं में जितना पैसा खर्च किया, उतने में कैनाल को पूरी करवाते, खेती को सुधारते तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाता ये सब गलत योजनाएं बनाई गई हैं, गलत लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, इसका ये कांग्रेस की सरकारें समाधान नहीं कर सकती, कोई रास्ता नहीं निकाल सकती हैं । अब उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा होती है, आज आप राजस्थान के बजट को देखें, नोन-टैक्स रेवेन्यू नहीं है चाहे वह सोडियम सल्फेट का कारखाना हो, चाहे पचपदरा में नमक का कारखाना हो, चाहे सरकारी उद्योग हो चाहे रोडवेज हो, और चाहे इलेक्ट्रिसिटि हो नान-टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ी है । राजस्थान की शूगर फैक्टरी को छोड़ दो, क्योंकि शूगर में नुकसान होता है, शराब वाले में फायदा हो जाता है । हम इसकी दिशा सुधारने

(श्री रामकिशन)

की कोशिश नहीं करते। आज हमारी नान-टैक्स रेवेन्यू क्या है ? 27 करोड़ की नान-टैक्स रेवेन्यू रखी है। देखने में तो यह लगता है कि राजस्थान सरकार बड़ी प्रगतिशील है, जो नहीं समझते हैं वे तो बेचारे यही कहते होंगे, बहुत से लोग तो इसको समझते ही नहीं हैं कि यह नान-टैक्स रेवेन्यू क्या होती है ? सेन्ट्रल से जो मदद आती है, उसको भी आप नान-टैक्स में शुमार कर लेते हैं। इनसे तमाम मिलकर बिजली से, सिंचाई से, नदी योजनाओं को देखें तो सारे राजस्थान में 5.5½ करोड़ की बनती है। इन सब को राजस्थान सरकारी कौनसी दिशा में चलाने को सोच रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ बात है उसके सम्बन्ध में मैंने जिक्र किया है। अब राजस्थान सरकार के वनों का बड़ा जिक्र हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न सदन में भी उठाया गया था। वनों के ठेके से राज्य सरकार को आमदनी होती है और यह हमारी आमदनी का बढ़िया श्रोत बन सकता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो आमदनी होती थी वह आज तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उसके रेशों में कोई फरक नहीं पड़ा है। वह स्टेन्ड स्टिल है। उसकी पोजीशन में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। इससे राजस्थान का कोई सुधार नहीं होगा। राजस्थान के मुखिया पक्षपात पर उतरे हुए हैं। वेयूरेन्ज में एक ठेका श्री कमरुद्दीन को दिया गया था। ये कमरुद्दीन वही है, जिनको कत्थे का ठेका दिया गया है–25 पाट का, फी पाट 1100 रु० के हिसाब से। अब न तो उसने ठेके की शर्तों को पूरा किया है और न कोई·········

श्री बी०एन० जोशी : उस दिन आप नाम दूसरा बता रहे थे।

श्री रामकिशन : आपको खयाल नहीं है, मैंने नाम तो बताया ही नहीं था। इसके बावजूद भी गलत ढंग से उनको पाट दिये गये। उनका पंच नामा बना, ये सब जब्त कर लिये गये। ये कमरुद्दीन साहब श्री गुलाम अब्बास के भतीजे हैं, भाई हैं। अब मैं नहीं समझता हूं कि श्री गुलाम अब्बास के और माननीय सुखाड़िया साहब के कोई विशद चर्चा होती है, यह भी नहीं मानता कि सुखाड़िया साहब ने कोई टेलीफोन किया हो किन्तु यह है कि चोरी करते पकड़े गये तो उनको छुड़वा दिया गया। इन श्री गुलाम अब्बास की यह स्थिति है कि 2700 रु० का ठेका दिया गया। 250 हाण्डियां पकड़ी गई, पंच नामा बना, जब्त कर लिया गया फिर उनको छोड़ दिया गया 25 दिसम्बर तक सारी रकम जमा हो जाती है, फिर किश्तों की रकम का कोई पता ही नहीं ! मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान का राजस्व किस प्रकार बढ़ेगा और फिर मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि आप चिन्ता न करें, यह सब झूठ है, गलत है। मैं नहीं कहता कि इसमें मुख्य मंत्री जी का हाथ है लेकिन राजस्थान की राजनीति में चाहे यह द्वेष के कारण हो, उनके अपने कर्मचारियों के कारण हो, यह हुआ है। उनके ऊपर बार बार कई चीजें आती रहती हैं वे एक विवाद ग्रस्त व्यक्ति हैं।

श्री बी०एन० जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, मैं आसन से यह चाहूंगा कि रूल 273 के अन्दर अगर कोई एलीगेशन लगाते हैं—एक परसन के खिलाफ तो कम से कम यह उचित होता कि उसका नोटिस दे दिया जाता ताकि उसका जवाब दे दिया जाता।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आप पढ़ कर आये हैं क्या रूल्स को पहले ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा उपाध्यक्ष महोदय, कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान में है वह ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो रूल्स की जानकारी दी है, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन मैंने अभी कहा क्या है ? उसको समझने की कोशिश करिये । मैंने कहा है कि विवाद ग्रस्त व्यक्ति हैं । सादड़ा का सोना काण्ड इस सदन में कई बार उठाया गया है और वित्त मंत्रीजी ने जो ...

श्री बी०एन० जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्रीजी पर या किसी भी व्यक्ति पर एलीगेशन लगाये जायं तो मैं आसन से नियम 273 की अपेक्षा करता हूं । आसन को भी और सम्बन्धित मंत्री को प्रायर नोटिस दें ताकि......

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी बहस का जवाब तो बाद में होगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हाऊस को आप क्या बता रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । ऐसा हैं, मन्त्रियों के सम्बन्ध में और राज्य सरकार के सम्बन्ध में यह वाद विवाद चलता है । इसलिए इस नियम को कड़ाई से मन्त्रियों के विषय में लागू किया जाय तो कोई वाजिब नहीं होगा ।

यह लागू होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो सदन में उपस्थित नहीं हों और सदन के सदस्य नहीं हों, जिनको वापिस उत्तर देने का समय नहीं मिले, ये तो यहीं उपस्थित रहते हैं । जहां तक इन्होंने (श्री रामकिशन जी) जो तथ्य कहे हैं उसमें कोई अपमान या मानहानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है जिससे कोई व्यक्ति जुर्म का भागी हो सके । इसलिए यह नियम लागू नहीं होता है । मंत्रियों को आखिर इतना सेन्सेटिव भी नहीं होना चाहिये ।

श्री भैरों सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार और पूछ लें कि उनके समझ में आ गया या नहीं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सम्बन्ध में जिक्र कर रहा था कि मंत्री महोदय उस दिन.........

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने समय काफी ले लिया है ।

श्री रामकिशन : अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं । सरकार ने उस समय यह कहा था कि यह सूचनायें गलत हैं । अब मैं तीन दिन पहले दे रहा हूं । किसी प्रकार से अगर ठेकेदार छूट गया है, वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि......

(राव श्रीनारायण सिंह मसूदा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामकिशन : राव साहब आप तो बहुत सीधे आदमी हैं आप बीच में न पड़ें मैं आप से तीन साल का एग्रीमेंट करता हूं आपको कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : आपने कमरूद्दीन का जिक्र किया है इसलिए कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा उस वक्त आप इनको ले सकते हैं। इन मसलों पर कह सकते हैं।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : श्री कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट ने इसकी इन्क्वायरी की है उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी हम इन बातों को लाते हैं मुख्य मंत्री कह देते हैं यह मामले गलत हैं। यह सोने का क्या मामला था यहां सादड़ी सोना काण्ड के सम्बन्ध में चर्चा चली थी ......

श्री उपाध्यक्ष : जिस पर चर्चा हो चुकी है उसको दुबारा नहीं लाया जावे यह नियम का उल्लंघन है।

श्री रामकिशन : यह इसलिए लाना पड़ता है कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं बार बार जब उसका जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी है। सोने के सम्बन्ध में जब कभी सदन में चर्चा होती है यह मामला उलझा हुआ है। जो सोना पकड़ा गया पुलिस के द्वारा और जो कलेक्टर के यहां जमा है वह एक ही सोना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका बजट से संबन्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय सदस्य ने एक घन्टे से ज्यादा समय ले लिया है। एक छोटी सी पार्टी को इतना समय और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को कम समय देना उचित नहीं है।

श्री रामकिशन : इसका सम्बन्ध बराबर बजट से है। टैक्सेज की चोरी किस प्रकार से हो सकती है, उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जैसा मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया लेकिन वह जवाब सही नहीं है सादड़ी में जो सोना पकड़ा गया और जो कलेक्टर के यहां जमा है दोनो सोना एक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अनुशासित आदमी हूं। इस बारे में दूसरे संदर्भ में प्रकाश डालूंगा। एस० डी० एम० और कलेक्टर के हाथ की रसीदें हैं। यह वही चिट्ठी हैं जो मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री को लिखा है ....

श्री परसराम मदेरणा : ये तो फालतू बातें हैं।

श्री राम किशन : मैं जो बयान कर रहा हूं वह वही चिट्ठी है जो प्रधान मंत्री को लिखी गई ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको टेबल पर रख दीजिये।

श्री रामकिशन : मेरे पास तो राज्य सरकार की खुद की चिट्ठी है उसकी सर्टिफाइड कापी है।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करूंगा कि राजस्थान के वित्त मंत्री का जिस प्रकार का स्वरूप है वही स्वरूप बजट का भी है न केवल उनके कपड़े पहनने का तरीका बल्कि उनकी मुस्कराहट भी विलक्षण है। इसी तरह से बजट में सभी वर्गों को जैसे पान वालों को, हीरे जवाहरात वालों को सब को कुछ न कुछ दिया है अन्त में उन्होंने सर्वोदयी कार्य कर्त्ताओं पर भी हाथ फेर दिया उनको भी एक लाख रुपया दे दिया जायगा ......

एक माननीय सदस्य : आप भी ध्यान रखना.........

श्री रामकिशन : उन पर हाथ इस दृष्टि से फेंका कि एक लाख रुपया उनके कार्यकर्त्ताओं के लिये रख दिया इससे उनका ध्यान इधर बंट जायगा । इस तरह से ऐसे कार्यकर्त्ताओं को जिनका समाज में आदर है, जिनके कुछ सिद्धांत हैं उनको भी माथुर साहब ने बिगाड़ने में कोशिश कम नहीं रखी ।

अन्त में राज्य सरकार ने यह बतलाने की कोशिश की है कि हमें घाटा नहीं रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि प्रशासनिक व्यय दस गुना बढ़ गया है 2.12 करोड़ का प्रोवीजन है जो सरकारी सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं वह करीब 28 करोड़ रुपये के हैं । फिर बचत के लिये कहां से आयेगा ?

विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि टेलीफोन पर ज्यादा खर्च होता है इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं कहना है जैसाकि उन्होंने कहा कि आशिक माशूक को टेलीफोन किये होंगे जिससे इतना ज्यादा खर्चा आ गया । मेरा ऐसा कहना है कि जो प्रेमिका रखेगा वह तो टेलीफोन करेगा ही । चाहे उसको सरकारी टेलीफोन मिलें या न मिले वह तो करेगा ही । मैं इस बात को गलत मानता हूं कि प्रेमिका रखे और उससे पत्र व्यवहार या टेलीफोन न करे फिर प्रेमिका का मतलब ही क्या रह जाता है ? दूसरी चीजों पर पाबन्दी लगानी चाहिये । आप चुनाव के दिनों का टेलीफोन बिल देखिये राजकोष में इन चुनावों के दिनों में टेलीफोन से कितना खर्च किया गया ? मैं इसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता । मेरा समय ज्यादा हो गया इसलिये मैं इस प्रसंग को छोड़ देता हूं । अगर राज्य सरकार विकास की ओर ध्यान रखना चाहती है तो योजना पर पुनः विचार करना पड़ेगा । टैक्स नहीं लगाना कोई बड़ी बात नहीं है । धनी वर्ग पर टैक्स लगाना चाहिये ताकि हम अपनी योजनाओं को पूरा कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, 1968-69 का आय-व्यय का जो ब्यौरा वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है वह एक चतुराई से भरा ब्यौरा है इसमें कोई सन्देह नहीं । इस बजट के द्वारा उन्होंने समाज के हर वर्ग को प्रसन्न करने की कोशिश की है । इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार कि राजस्थान की हालत गत दो सालों की बतायी गई है जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति को बताया गया है उसके अनुसार जो उन्होंने बजट रखा है उसको कलापूर्ण बजट कह सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा इस बजट के जरिये समाजवादी समाज का उद्देश्य लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और देश को आगे बढ़ा सकेंगे । इस प्रकार का जो उनका कथन है उसको मैं स्वीकार नहीं करता । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यह समाजवादी बजट है, प्रगतिशील बजट है । मैं यह नहीं कह सकता कि यह बजट हमारे उद्देश्यों की पूर्ति और समाजवाद को अग्रसर करने वाला बजट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां खूबियां हैं वहां कमियां भी हैं । इन बातों को रखते हुए अन्त में उन्होंने चाहा है कि माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर गंभीरता से विचार किया जायगा ।

(श्री शंकर लाल)

जहां तक समाजवाद की बात कही गई है उसका मूल्यांकन नीतियों से होता है, उसके बजट से होता है । जहां समाजवाद में पूंजीपतियों से पैसा लेकर समाज पर खर्च करने की बात होती है, व समानता लाने की बात होती है उस तरफ इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज हम देखते हैं सरकार की नीतियों का झुकाब भूपतियों की तरफ ज्यादा जा रहा है। अफसोस की बात है कि जो सब से पहले समाजवाद किसान वर्ग को जमीन के मामले में भूमिहीन किसान को प्राथमिकता देनी चाहिये जब इसके लिये सिलिंग का सवाल आया उसके बारे में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में यह घोषणा की गई 15 मई से इसको ठोस तरीके से लागू करेंगे लेकिन इस बजट में उसका कोई ब्यौरा नहीं है। सिलिंग कानून के फलस्वरूप कितनी जमीन लेकर के कितने किसानों को बांटेंगे उस पर कितना मुआवजा देंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

(4.28 म.प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

जिन लोगों को जमीन देंगे राज्य को कितनी आमदनी होगी सिलिंग के मामले के अंदर इस बजट के अन्दर कोई संकेत नहीं कि वास्तव में आप सिलिंग कानून गम्भीरता से लागू भी करना चाहते हैं ?

जागीर रिजम्पशन और पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार आपको कितने भूपतियों को मुआवजा देना है ? कितनी आमदनी होगी सिलिंग के अंदर आप क्या आंकड़े दे सकते हैं ? कितना मुआवजा लेकर आप किसानों को वितरण करेंगे। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की है उसका पूरा पालन होगा। राजस्व मंत्री ने आज एक प्रश्न के उत्तर में कहा था 1-4-66 से कानून लागू हो चुका है। उस कानून के अंतर्गत 1-4-66 के बाद छः महीने के अंदर जिन लोगों ने अपने स्वामित्व के बारे में जानकारी एस० डी० ओ० को नहीं दी क्या उनकी जमीन ट्रेसपासर मानकर अवाप्त की जा सकती है तो क्यों नहीं की गई। इसके अलावा आप 15 मई की बात कह करके आप इसके अनुसार क्या प्रोसीजर ले रहे हैं उसका कोई संकेत बजट में नहीं है क्योंकि यह समाजवाद का सक्रिय कदम था।

मैं तो इस बात की आशा करता था कि केवल जमीन पर सीलिंग ही नहीं, उसके साथ साथ समाजवाद लाने के लिये शहरी सम्पत्ति पर भी कोई सीलिंग लाने की बात कही जायेगी, लेकिन शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लाना तो दूर रहा, उसको छोड़ करके जिस सीलिंग कानून को हमने इतने साल से पास कर रखा है उसको भी क्रियान्वित नहीं किया है। तो समाजवाद ऐसे आयेगा ? समाजवाद तब आयेगा जब हम इस ओर आगे बढ़ेंगे, और वित्त मंत्री के कथन को हम तभी सही मानेंगे जब वे सीलिंग के कानून को लागू करने के साथ साथ शहरी सम्पत्ति पर भी सीलिंग का कानून ले आयेंगे। जब इस प्रकार का बजट बनेगा तब ही हम समझेंगे कि समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

(श्री शंकर लाल)

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन राजाओं और महाराजाओं के बारे में गत बजट में बात आई थी कि उन पर जो फालतू खर्चा हो रहा है उसको बन्द कर दिया जायेगा । इस बात का ध्यान भी इस बजट में नहीं रखा गया है । जागीर रिजम्पशन के बाद कई लोगों ने तालाब आदि को अपनी पर्सनल प्रापर्टी बना रखी है । मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कई बांध, तालाब और गोचर बीड़ को इन राजाओं और महाराजाओं ने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखी है । यह बड़े दुख का विषय हैं । उदाहरण के तौर पर मेरे क्षेत्र के अन्दर रास गांव है, उसके अन्दर तालाब जो है, उसके पास जो पहाड़ है वह पर्सनल प्रापर्टी है वहां के जागीरदार की । इससे वहां पर कोई विकास का काम नहीं हो सकता । जागीरदार कहता है कि पहाड़ मेरा है और मेरे पूछे बगैर कोई काम नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय, इस प्रकार से कई छोटे छोटे बांध हैं । आज नीमच का बांध है जहां से किसानों की जमीनों की पिलाई होती थी, वह व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखी है वहां के जागीरदार ने । पाली के अन्दर रांका का बांध है जो भादराजून ठाकुर की व्यक्तिगत सम्पत्ति है । सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यक्तिगत सम्पत्तियों को खत्म करके समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाये । आपने कभी गम्भीरता से सोचा है इस पर कि जहां गायें चरती थीं वह आज व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखी है । मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहना चाहता लेकिन सरकार को इस बात को देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से इस तरह की गलत व्यक्तिगत सम्पत्तियां बना रखी हैं उसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी । इस तरह से गांव के किसानों का शोषण होता है । उस तालाब से सिंचाई करने वाले किसान को लटाई देनी पड़ती है और वह शोषण में पीसा जा रहा है । यह मामूली चीज नहीं है, इसलिये आपको इसे दूर करने के लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

कृषि के लिये आपने एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन बनाने के लिये बात कही, उसका मैं स्वागत करता हूं । एग्रीकल्चरल फाइनेन्स करने वाली ऐजेंसी एग्रीकल्चरल विभाग के अन्दर होनी चाहिये । लेकिन उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमें किसानों को शोषण से मुक्त करना होगा जिसके लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ कहा गया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये तीन सालों के अन्दर 11 विकास खंड खोले जायेंगे जिसमें सघन खेती का कार्यक्रम रखा गया है । मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार इस नाम से कोई पूंजी नहीं लगाये । हमने पहले भी इस बात को देखा है कि सघन कृषि के नाम से पाली जिले के अन्दर गवर्नमेंट की मशीनरी पर खर्चा हो गया, एस्टेब्लिशमेंट पर जरूर खर्चा हो गया लेकिन कृषि पर खर्चा नहीं हुआ । सघन कृषि के नाम से अगर आप कोई अलग मशीनरी, कोई अलग विभाग या अलग जीपें देंगे तो उनका दुरुपयोग होगा । आज जरूरत इस बात की है कि छोटी छोटी योजनाओं के लिये, सिंचाई की योजनाओं के लिये, बीज के लिये पैसा दिया जाये तो वह

(श्री शंकर लाल)

ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि सघन कृषि के कार्यक्रम के लिये आप कोई नई एस्टेब्लिशमेंट, कोई नया स्टाफ नहीं रखें। जो स्टाफ पहले ही है उसके अन्दर आप एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन आफिसर्स बढ़ा सकते हैं, टेक्नीकल आदमी रख सकते हैं लेकिन फालतू खर्चा नहीं करें क्योंकि हमको इसका खराब अनुभव है।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि किस किस कार्यक्रम के अन्दर आप किसानों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सिंचाई योजनाओं के बारे में एक माननीय सदस्य ने अपना सुझाव रखा और कहा कि लघु सिंचाई योजनाएं हमारे राज्य के लिये बहुत आवश्यक है। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप इस बजट को देखेंगे कि जो प्रोवीजन 25 करोड़ का भारत सरकार ने रखा है सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत, उसमें से 7 करोड़ रुपये अपने को मिले हैं और वे 7 करोड़ राजस्थान नहर और पोंग डैम के लिये मिला है। अब ये 7 करोड़ जो मिलने वाले हैं और राजस्थान नहर और पोंग डैम पर ही खर्च होने वाले हैं, तो इस बजट के अन्दर दूसरे कौन से रुपये हैं जो आपने छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये रखा हो? मैं इसके लिये माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि हमें भारत सरकार पर जोर डालना चाहिये कि राजस्थान नहर की जो योजना है वह वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है और भारत सरकार को ही उसके ऊपर सारा खर्चा करना चाहिये। हमें उनको बताना चाहिये कि यह अगर सारा रुपया भी राजस्थान नहर पर लगता है तो भी न राजस्थान नहर की ही पूर्ति होती है और न हमारी छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की पूर्ति होती है। ये सात करोड़ रुपये अगर छोटी छोटी योजनाओं पर लगाये जायें तो वास्तव में लाभ मिल सकता है। इसलिये हमारे लिये इसका हल और कोई नहीं सिवाय इसके कि राजस्थान नहर को राष्ट्रीय योजना घोषित कर दिया जाये। इस बात के लिये सदन के सभी माननीय सदस्यों को दिल्ली जा करके भारत सरकार से कहना चाहिये कि राजस्थान नहर की जो यह योजना है उसको राष्ट्रीय योजना बनाना चाहिये।

श्री विजय सिंह (मकराना): हम दिल्ली होकर के आये हैं। वहां कोई न्याय नहीं होता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: वह तो कानोता के गढ़ से गये थे।

श्री शंकरलाल: सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां उत्पादन की बात कही जाती है और योजनाओं के अन्तर्गत हम विचार करते हैं तो हमें इस बात का खेद होता है। यह बहुत ठीक है, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति के कारण पंचवर्षीय योजना को बाद में देखेंगे, अभी तो केवल एक सालाना योजना ही बनानी है, लेकिन उस पर भी मैं देखता हूं कि जो खर्चा होने वाला है वह 37 करोड़ 33 लाख रुपया तो भारत सरकार का सहायता अनुदान है। दो करोड़ रुपये लाइफ इन्शोरेन्स कार्पोरेशन से मिलने वाला है और 75 लाख वह है जो भारत सरकार द्वारा लगाये हुए टेक्सेज में से राजस्थान का हिस्सा है।

(श्री शंकर लाल)

इस तरह से कुल 40 करोड़ 8 लाख की योजना पर राजस्थान सरकार अपनी जेब में से एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है (शेम)। यह बड़े दुख की बात है।

आज आप यह कह सकते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन राजस्थान के विकास के लिये अगर आपको टैक्स भी लगाने पड़ें तो वह ज्यादा अच्छा होगा और जनता उसका स्वागत करेगी। हमारी योजनाएं चलनी चाहियें और विकास कार्य होना चाहिये। टैक्स आप लगाइये, उन पर लगाइये जो दे सकते हैं, जो पूंजीपति हैं उन पर आप टैक्स लगायें। उन पर तो आप कोई कड़ा कदम उठा नहीं सकते और फिर कहते हैं कि सालाना योजना पर पैसा खर्च करने को नहीं है।

दूसरा मैं कहना चाहता था कि कृषि उत्पादन की तरफ ध्यान देने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो काश्तकारों का शोषण हो रहा है उसको बन्द किया जाना चाहिये। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना है।

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान साहूकारी अधिनियम जो हमारे सदन में पास किया गया उसको कितना अरसा हो गया पर आज तक उसकी क्रियान्विति रुकी हुई है। इसके अन्तर्गत ब्याज करने के लिये लाइसेन्स लेना पड़ता है आज वहां पांच लाख इकट्ठे किये पड़े हैं। इसके बाद क्या होना चाहिये। कार्यवाही रुकी हुई है। अगर जरूरी कानूनों को आप इसी तरह से लागू करते हैं तो यह आपकी कमजोरी है। इस के लागू करने से राजस्थान में सरकार के खजाने में पैसा आवेगा। बहुत से लाइसेन्स दिये जा सकेंगे और दूसरी तरफ किसानों का शोषण रुकेगा।

कहा जाता है सहकारी समितियां सरकार ने बहुत खोल दीं। पर आज भी किसान की आर्थिक स्थिति खराब है। मैं पूंजीपति और अमीर किसानों की बात नहीं करता। ये बहुत थोड़ी तादाद में हैं। मैं उन गरीब किसानों की बात करता हूं जो करोड़ों की तादाद में हैं। अगर उनका भला आप करना चाहते हैं तो इस साहूकारी अधिनियम को पूरी तरह से और तुरन्त अमल में लाया जाना चाहिये।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी कानून आपने बनाया। ठीक है, कुछ लोग रिट पिटिशन लेकर कोर्ट में गये और वे खारिज भी हो गईं। अब क्या घबराहट है? आज इसके अभाव में किसान का शोषण हो रहा है। किस प्रकार होता है, यह माननीय सभी सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कितने प्रकार की चीजें देनी पड़ती हैं व्यापारी को। एक दो तीन करके उस किसान का माल नीलाम करा दिया जाता है। उस को उसकी मेहनत का पूरा रिटर्न नहीं मिल पाता। तो उसको उसकी मेहनत का उसकी फसल का पूरा रिटर्न मिल सके इसके लिये कृषि उपज मण्डी कानून बनाया गया था। उसको शीघ्र लागू किया जाना चाहिये। भारत में अन्य कई राज्यों में फौरन यह लागू किया जा चुका है तो क्या कारण है राजस्थान सरकार घबरा रही है?

साथ साथ छोटी जोत के लगान का सवाल आता है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो गये वर्ष इस पर से लगान

(श्री शंकर लाल)

माफ करने की बात कही थी और इसके बाद उसे वापिस लिया गया तो सभापति महोदय, मैं ईमानदारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने किसानों की भावना को देखा है वे इस माफी से खुश नहीं हैं। और आपको यह माफ ही करना है तो आपको इसके सिद्धान्त को पहले समझना पड़ेगा। सिद्धान्त को समझने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। किसान ने इस माफी का कभी स्वागत नहीं किया।

(4.42 मं० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे कहते हैं कि क्या यह माफी करके सरकार जमीन से हमारा स्वामित्व खतम करना चाहती है। लगान देते हैं तो समझते हैं कि हम स्वामी हैं।

श्री दौलतराम सारण: लगान नहीं देंगे तो स्वामित्व चला जावेगा यह कैसे ?

श्री शंकरलाल : फिर यह भी हुआ। बहुतों ने जब यह देखा कि बीस बीघा पर लगान माफ है तो जिनके पास बड़े टुकड़े थे उन्होंने उनको बीस बीस बीघा के टुकड़ों में बांटना शुरू किया लगान से बचने के लिये तो इस तरह से जमीन का फ्रैगमेन्टेशन भी होने लगा। तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर 75 लाख की धनराशि की बात थी जो मामूली बात थी

प्रश्न तो यह है कि सिद्धान्ततः लैंड रेवेन्यू एज ए होल माफ होनी चाहिए। पर जो इसकी माफी की बात करते हैं वे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात भी साथ ही साथ करते हैं। किसान अनपढ़ है। वह अपनी उपज का हिसाब किताब नहीं रख पावेगा और इनकम टेक्स वाले उसको तबाह कर देंगे, उसकी हैरानी का कहीं अन्त नहीं होगा। लगान तो एक निश्चित है जो वह याद रख कर अदा कर सकता है। पर इनकम टैक्स का झमेला उससे नहीं सम्भाला जा सकेगा और इसका परिणाम यह होगा कि इसमें भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किसान उसमें बुरी तरह से फंस जावेगा और उस उलझन से नहीं निकल पावेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर ठंडे दिमाग से सोचा जाय।

अब जहां तक लैंड रेवेन्यू के माफ करने की बात है, वह गलत है यह नहीं होने वाला है। इसके बदले तो आप विकास की तरफ ध्यान दीजिये। किसान विकास चाहता है। लैंड रेवेन्यू देने से नहीं घबराता। आपने 75 लाख वापिस देने की बात कही है, आप वापिस मत दीजिये उस रकम को किसान के खेतों के साधनों के विकास में लगाइये। दीजिये आप उनको बिजली इस से। किसान को अगर इसके बदले में बिजली मिले तो वह इसका स्वागत करेगा। सो इस तरह से जो घोषणा सरकार ने की है वह ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो सरकार ने लाटरी सिस्टम चलाया है और कहा गया कि इसके लिये अलग से विभाग खोला जावेगा। मैं इसका विरोध करता हूं। किसी राज सरकार के लिये लाटरी से पैसा इकट्ठा करना किसी

(श्री शंकर लाल)

भी हालत में किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सरकारें लाटरी से नहीं चला करतीं। कहा गया कि जुवा खेलने वालों की आदत छुड़ाने के लिये यह किया गया है। तो क्या आप यह समझते हैं कि राजस्थान में सभी जुवा खेलते हैं। जुआरी राजस्थान में ज्यादा हैं? बल्कि इससे और यह रोग बढेगा। इससे और जुआरी पैदा होंगे। वे सोचेंगे चलो हम भी लाटरी लगावें तकदीर को आजमावें। तो यह कोई योजना हुई? यह तो कोई भी मामूली आदमी कर सकता है। सरकार की तरफ से पैसा लाने के लिये लाटरी की योजना आती है तो यह इकानोमिक्स फाइनेन्स पर बेस्ड योजना नहीं है। आज लाटरी से मान लीजिये एक लाख आदमियों ने पैसा दिया और काफी गरीबों ने भी वह रुपया दिया, अर यह भी हो सकता है कि वह लाटरी किसी पूंजीपति के नाम पर भी खुल सकती है तो इस तरह गरीबों से लिया हुआ रुपया पूंजीपति के पास चला जावेगा। तो मैं समझता हूं समाजवादी सरकार के लिये यह किसी तरह से किसी भी दलील के आधार पर शोभाजनक बात नहीं है कि वह लाटरी पर आर्थिक व्यवस्था को कायम रक्खे। अगर आपको पैसे की तो जरूरत है तो लगाइये न आप टैक्स। कौन विरोध करता है। उन पूंजीपतियों पर लगाइये। पर यह लाटरी की योजना हमारी सरकार को गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। यह इकानामी फाइ-नेन्स पर बेस्ट पालिसी नहीं है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि लाटरी की यह कु—प्रथा सरकार चालू न करे। इससे कई भ्रम फैलेंगे। कम्पलीकेशन्स पैदा होंगे।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं मद्यनिषेध की नीति के बारे में कहना चाहता था। मद्यनिषेध की नीति के बारे में मैं यह कहूंगा कि जो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जहां बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं वहां पर आपने यह मद्यनिषेध लागू किया है इसका मैं स्वागत करता हूं। एक माननीय सदस्य अभी उधर से बोले और उन्होंने कहा कि यह गांवों के क्षेत्र में क्यों लागू किया और इसे शहरों पर क्यों नहीं लागू किया मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते है कि यह शहरों के लोगों पर लागू करना था और पहले उस क्षेत्र में नहीं लागू करना चाहते थे। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने ठीक ही किया कि पहले गांव वालों के ऊपर यह लागू किया क्योंकि शहर के लोग तो साधन सम्पन्न हैं और पी सकते हैं लेकिन गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यदि वे शराब पीयेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी गिर जायेगी, अगर वह शराब में डूबे रहे तो। इस बात का तो मैं स्वागत करता हूं और जो माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह सरकार ने गलत किया मैं इस बहस को और इस आर्ग्यूमेन्ट को नहीं मानता कि वहां पर पहले लागू नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाली एक जिला है और बाली तहसील का एक गिरासिया क्षेत्र है वहां पर भी इसको लागू करना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड एरिया में और गांव के क्षेत्र में जब इसको लागू करते हैं तो कम से कम पूरे राजस्थान में तो इसको लगायें। बाली तहसील के गिरासिया लोगों पर इसको लागू करें, रायपुर के अन्दर जो पहाडी क्षेत्र है वहां इसको लागू करें। मैं जाता हूं तो

(श्री शंकर लाल)

वह कहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई इसलिए है कि क्योंकि वह शराब में डूबे हुए हैं। मेरी यह मान्यता है कि कम से कम पूरे क्षेत्र में जहां जहां भी शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है वहां इसको लागू करें।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एक लाख रुपये की बात कही है कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को इस लिए दिया जायेगा कि वह प्रचार वगैरह करें। उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त रूप से और नीति के रूप में यह बात ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। जो समाज में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अगर वे निर-वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं तो सेवा संस्थायें कोई सरकार के पैसे से नहीं चलतीं। हो सकता है एक लाख रुपया आपको मिलने वाला हो और उसके बाद में सरकार की नीति का जो इतना विरोध कर रहे हैं उसमें शिथिलता आ जाये, आपकी नैतिकता में फर्क आ जायेगा ......

श्री मनोहर सिंह मेहता : उसके लिए तो अपने आपको कहो। यह कहते किस को हो।

श्री शंकर लाल : और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सेवा संस्थायें जो कि जनता के पैसे से चलती हैं, जनता के चन्दे से चलती है, जनता उनको चलाती है उसको सरकारी संरक्षण देकर सरकार का भी हस्तक्षेप उसमें हो सकता है। उसमें रूल्स और नियम बन सकते हैं। इसलिए यह जो एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है यह सिद्धान्ततः गलत है और मैं उसका विरोध करता हूं। ......

श्री रामकिशन : सब को बांटने में दिक्कत होगी। इसको तो हम और ये (श्री मनोहर सिंह मेहता) दोनों बराबर कर देंगे।

श्री शंकर लाल : बजट में 63 लाख का जो घाटा बताया गया है यह भी बड़ी चतुरता से बताया गया है। वास्तव में देखा जाये तो 63 लाख का नहीं बल्कि करोडों रुपयों का घाटा है। हम इस बजट को देखते हैं तो वित्त मंत्री जी ने कई बातें कयासी दलील के ऊपर निर्धा-रित की हैं और वह यह है कि कई जगह तो सहायता को सरकार की प्राप्ति में मान लिया है और कई जगह कहा है कि यह सहायता मिलने वाली है इसलिए ऐसा हो जायेगा। तो यह जो 63 लाख का घाटा बताया है यह 63 लाख का घाटा नहीं है बल्कि करोड़ों का घाटा है। उन्होंने यह कहा हैं कि जो भारत सरकार से 1 करोड़ 42 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना है वह केन्द्रीय सरकार में इसका समावेश होना चाहिए— यह केन्द्र कहता है लेकिन राज्य सरकार कहती है कि हमारी सहायता में इसका समावेश नहीं होना चाहिए इसलिए वह कहते हैं कि हम आशा करके चलते हैं कि हमारे इस नजरिये को भारत सरकार मंजूर कर लेगी और 4 करोड 46 लाख रुपये की राशि को अगले वर्ष की प्राप्ति में मान लिया गया। यह तो ठीक है कि मान लिया गया लेकिन अगर नहीं माना गया तो फिर आपकी मान्यता गलत हो जायेगी। इसलिए कयासी दलीलों के ऊपर बजट बनाया गया है, यह गलत है। इसी तरह से

(श्री शंकरलाल)

उन्होंने कहा है केन्द्रीय सरकार में एक ऐसी स्कीम पर विचार चल रहा है जिसके अनुसार सब प्रकार के ऋणों को एक मुश्त करके उनके चुकारे की अवधि और व्याज की दर में एकरूपता लाई जा सके ताकि राज्यों पर ऋण को चुकाने का जो भार है, उसे कुछ हल्का किया जासके। केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि बहुद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के लिए दिये गए ऋण का चुकारा 25 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिए और अन्य प्रकार के सभी ऋणों के चुकारे की अवधि 13 वर्ष रखी जानी चाहिए, इनमें एडहाक ऋण, वेज एण्ड मीन्स अग्रिम व अल्पकालीन ऋण आदि सम्मिलित नहीं हैं। हमने वित्त मन्त्रालय से कहा है कि एडहाक ऋण के सम्बन्ध में भी चुकारे की अवधि दुबारा तय की जानी चाहिए, ताकि राज्य सरकार पर इनके चुकारे का कुछ भार कम हो, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। बजट के तखमीने बनाते समय हम यह मानकर चले हैं कि एडहाक ऋण का चुकारा भी हमें अन्य ऋणों की तरह 13 सालाना किश्तों में ही अदा करना होगा और इसलिए एडहाक ऋण के पेटे जो 1968-69 में लगभग 58 करोड़ है, अगले वर्ष चुकारे की किश्त के लिए केवल चार करोड़ 45 लाख का ही प्रावधान किया गया है। चुकाने के लिए 4 करोड़ 45 लाख का प्रावधान रखा गया है और कहा है कि भारत सरकार हमारी बात मान लेगी कि 25 वर्ष की किश्त 13 वर्ष की बना दी जायेगी। तो यह मानकर चलना चाहिए। हमारा बजट बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए और डाइरेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई 'इफ्स एण्ड बट्स' नहीं होने चाहिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि 63 लाख का घाटा नहीं यह करोड़ों का घाटा है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह शिक्षा के बारे में है। एक बात शिक्षा के बारे में केवल इतनी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के द्वारा छात्रों का ऐसा निर्माण हो जिससे वह राष्ट्र को बढ़ाने वाले बनें। इन पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं, प्राथमिक पाठशाला चलती हैं इन पाठशालाओं की जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसको कोई नहीं सहन कर सकता और उसको अगर बारीकी से जांच करें तो मैं कह दूं कि कोई भी शिक्षा मंत्री या सरकार इसकी तुरन्त आज्ञा जारी करेगी कि प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक पाठशालाओं को पंचायत समितियों के पास से ले लेना चाहिए। गांव गांव के अन्दर अध्यापक आज यह कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया वह इसलिए हो गया कि फलां वार्ड के पंच के छोरे को मैंने भर्ती नहीं किया या फलां को प्रमोशन नहीं दिया....

श्री चुन्नीलाल : यह धन्धा तो मंत्रियों का है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षकों की दुर्व्यवस्था हो रही है क्यों कि ये सरपंच पंचायत समिति के मेम्बर होते हैं और पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी होती है वह लोकल लेवल पर अध्यापकों की इतनी खींचातानी होती है कि उनका मन नहीं लगता और वह राजनीति से दूर नहीं रह सकते। और दूर

(श्री शंकर लाल)

रहते हैं तो उनको पीसा जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा की जड़ जो कि प्राथमिकशालायें हैं उनको पवित्र रखना है तो आपको इन शिक्षण संस्थाओं को पंचायत समितियों से निकालना होगा। अगर आपको इन संस्थाओं को किसी को सौंपना ही है तो इन्हें जिला परिषदों को सौंपें। कम से कम लोकल आदमी जिला परिषदों के मेम्बर नहीं होते हैं। जिला परिषदों के मेम्बर एम० एल० ए० और प्रधान होते हैं इसलिए वहां ज्यादा दखलन्दाजी नहीं होगी। इसलिए अच्छा होगा कि इन पंचायत समितियों को निकालकर जिला परिषदों को दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता था। इन्जीनियर्स के लिए जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको प्राईवेट ठेकों के अन्दर उनको जगह देनी होगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कुछ युक्ति निकाली लेकिन हमारे राज्य की जो शक्ति है इसका उपयोग करना है तो इन्जीनियर्स के अन्दर हमारे राज्य में बेरोजगारी फैली हुई है उसके लिए ठोस और परमानेन्ट स्कीम बनानी होगी। आज जिस प्रकार से आपके उद्योग चलते हैं आपको बैठकर इसका फैसला लेना होगा कि हम कौनसे राजकीय उद्योग चलायें जिससे कि हजारों इन्जीनियर्स की उसमें खपत हो सके। जहां दूसरे देश हैं वहां स्टेट के बड़े बड़े उद्योग चलते हैं और उनके अन्दर इन्जीनियर्स को खपाया जाता है तो हमारे यहां भी राजकीय उद्योग चलाकर उनमें इन्जीनियर्स को खपाया जा सकता है। तो आप ऐसी स्कीम परमानेन्ट बनाये बजाय इसके कि आप उनकी भर्ती को बन्द करदें। जो इन्जीनियर्स की संख्या बढ़ गयी है और बढ़ रही है क्योंकि अभी और पढ़ पढ़कर निकलने वाले हैं उनके लिये आपको कम से कम 6 महिने में या एक साल के अन्दर ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें उनकी आप खपत कर सकें। यह तभी हो सकता है जब कि आप राजकीय उद्योग चलायें। इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री महोदय ने 1968-69 का बजट रखा है और मैंने जो सुझाव सदन के समक्ष रखे हैं उन सुझावों को माननीय वित्त मंत्रीजी और सरकार के अन्य मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे और उन पर गौर करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आप इतना अन्याय देखते हुए इधर क्यों नहीं·····

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात 5-00 बजे मंगलवार दिनांक 12 मार्च, 1968 को प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 541 की सूची)

राजस्थान वन कर्मचारी संघ की मांगे

1. फॉरेस्ट गार्ड (वन रक्षक) को कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी में न रक्खा जावे।

2. वन रक्षकों को मकान, वर्दी आदि की समस्त सुविधाएं उन्हें पुलिस कान्स्टेबल का स्तर दिया जाकर उन्हीं के अनुरूप अथवा अन्य समकक्ष कर्मचारियों के अनुरूप दी जावे।

3. सहायक वन पाल (असि० फोरेस्टर) को रेवेन्यू विभाग के पटवारी का दर्जा दिया जाकर वेतन स्तर में वृद्धि की जावे व सुविधायें पटवारी व अन्य समकक्ष कर्मचारियों के अनुरूप दी जावे।

4. वनपाल (फारेस्टर) का स्तर रेवेन्यू विभाग के कानूनगो (लैण्ड रिकार्ड्स इन्सपेक्टर) के समकक्ष किया जाकर वेतन वृद्धि व अन्य सुविधायें प्रदान की जावे।

5. डिप्टी रेंजर्स (उप क्षेत्रीय) का स्तर रेवेन्यू विभाग के नायब तहसीलदारों के समकक्ष किया जाकर वेतन श्रृंखला व अन्य सुविधायें उसी अनुरूप दिलाई जावें।

6. रेंजर्स को रेवेन्यू विभाग के तहसीलदार या अन्य समकक्ष कर्मचारियों का स्तर दिया जाकर वेतन वृद्धि व अन्य सुविधायें प्रदान की जावे।

7. वन रक्षकों से लेकर रेंजर्स पद तक के कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा या नियमानुसार (हाउस रैन्ट) आवास भत्ता दिलाया जावे।

8. समस्त वन कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र में राजकीय यात्रा पर साधारण यात्रा अधिनियम के अन्तर्गत यात्रा व्यय मिलना चाहिये।

9. वन रक्षक से वनपाल स्तर तक के कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अलाउन्स दिया जावे।

10. वन विभाग में जू सुपरवाईजर्स, गेम रेंजर्स व गेम वार्डन्स के पद पर केवल वन विज्ञान प्रशिक्षित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिये।

11. सरकार द्वारा कम से कम 5 वर्ष तक ए० आई० एफ० सी० व डी० डी० आर० कोर्स के लिये नये व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु न भेजा जावे यदि आवश्यक हो तो वर्तमान कर्मचारियों में से ही उक्त कोर्सेज के लिये निर्वाचन हो।

12. राज्य सरकार द्वारा जितने भी पद एडहोक (ad-hoc) आधार पर भरे गये हैं उनके प्रेषित समस्त प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जावे व भविष्य में एडहोक आधार पर कोई नियुक्ति न की जावे।

13. जो पद 5 साल से या इससे अधिक अवधि से चले आ रहे हैं उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार कन्फर्म किया जावे।

14. फार्म सरविस रूल्स 1963 में फागार्ड से असि० फारेस्टर के पद के लिये व असि० फारेस्ट से फारेस्टर के पद के लिये शत प्रतिशत पदोन्नति के लिये संशोधन किया जावे।

15. राजस्थान में मुख्य वन संरक्षक का पद गत २ वर्षों से रिक्त होने से वन विकास कार्यों पर तकनीकी दृष्टिकोण व अन्य कर्मचारियों की कठिनाई संबंधित समस्याओं पर कोई निर्णय समय पर नहीं हो पा रहे हैं एवं बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति से आने वाले मुख्य वन संरक्षकों की वनों सम्बन्धी समस्याओं से परिचत होने तक उनकी अवधि समाप्त होनेसे राजस्थान में वनों का विकास व कर्मचारियों से परिचित होने तक उनकी अवधि समाप्त होने से राजस्थान में वनों का विकास व कर्मचारियों की कठिनाइयों का समाधान ठोस रूप से नहीं हो पा रहा है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 545 सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 193– श्री रामकिशन

सूची व्यापारियान को जिनकी भरतपुर में राजस्थान के अन्य जिलों से खाद्यान्न लाने के लिए जुलाई, 1967 से, दिसम्बर, 1967 तक परमिट दिये गये।

क्रम सं.	नाम व्यापारी	तहसील	तादाद	जमा
1.	रामस्वरूप बृजदयाल, भरतपुर	भरतपुर	160	क्विन्टल
2.	धन्ना लाल भगवानदास, भरतपुर	,,	100	,,
3.	उम्मेदी लाल जैन एण्ड कम्पनी, भरतपुर	,,	350	बोरी
4.	श्रीपतिराम चिरंजीलाल, धौलपुर	धौलपुर	1	वैगन
5.	चम्पालाल श्यामलाल बयाना	बयाना	230	बोरी
6.	भीमसेन राम निवास, भरतपुर	भरतपुर	300	क्विन्टल
7.	सन्तोष कुमार एण्ड ब्रादर्स, धौलपुर	धौलपुर	145	,,
8.	बद्री प्रसाद रमेशचन्द्र, राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	160	,,
9.	पन्ना लाल भगवानदास, भरतपुर	भरतपुर	200	,,
10.	,, ,, ,,	,,	320	,,
11.	उम्मेदी लाल एण्ड कम्पनी, बयाना	बयाना	160	,,
12.	चिरंजी लाल बादीराम बयाना	,,	160	बोरी
13.	रतन लाल ओंकारमल, बयाना	,,	240	बोरी
14.	,, ,, ,,	,,	160	,,
15.	रमेश चन्द्र, सुरेशचन्द्र बयाना	,,	100	,,
16.	बंसल ट्रेडिंग कम्पनी, धौलपुर	,,	320	,,
17.	अनिल कुमार देवेन्द्र कुमार, राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	250	,,
18.	धौलपुर क्रय विक्रय सहकारी, समिति, धौलपुर	धौलपुर	1000	,,
19.	भीमसेन रामनिवास, भरतपुर	भरतपुर	640	,,
20.	रामस्वरूप बृजदयाल भरतपुर	,,	140	,,

21.	सन्तोष कुमार एन्ड ब्रा०, धौलपुर	धौलपुर	160	बोरी
22.	धौलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति, धौलपुर	,,	1500	,,
23.	रामचरण लाल हरीचन्द रूपवास	रूपवास	50	क्विन्टल
24.	विशम्भर दयाल चन्द्रभान, बाड़ी	बाड़ी	160	,,
25.	पन्नालाल भगवानदास, भरतपुर	भरतपुर	400	,,
26.	,, ,, ,,	,,	400	,,
27.	,, ,, ,,	,,	125	,,
28.	रामगंज व्यापार समिति, कामा	कामा	300	,,
29.	मुरारी लाल दामोदरलाल, कामा	कामा	200	,,
30.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, धौलपुर	धौलपुर	7	वैगन
31.	,, ,, ,, ,,	,,	4	,,
			6	,,
32.	होलसेल उपभोक्ता भण्डार, भरतपुर	भरतपुर	500	क्विन्टल
33.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, रूपवास	रूपवास	160	,,
34.	बयाना व्यापार संघ, बयाना	बयाना	1000	,,
35.	ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन, बयाना	,,	1000	,,
36.	भीकमचन्द मिट्ठूलाल, भरतपुर	भरतपुर	4	वैगन
37.	रामस्वरूप बृजदयाल, भरतपुर	,,	4	,,
38.	हरमान ब्रादर्स, भरतपुर	,,	4	,,
39.	पन्नालाल भगवानदास, भरतपुर	,,	3	,,
40.	फूलचन्द सोहनलाल, भरतपुर	,,	2	,,
41.	भीमसेन रामनिवास, भरतपुर	,,	4	,,
42.	श्यामसुन्दर मदनमोहन, भरतपुर	,,	2	,,
43.	उम्मेदी लाल जैन एण्ड कम्पनी, भरतपुर	,,	4	,,
44.	अनिलकुमार देवेन्द्रकुमार, राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	1000	बोरी
45.	भोगीराम भगवानसिंह, राजाखेड़ा	,,	1000	बोरी
46.	ग्रेन डीलर्स एसोसियेसन, बयाना	बयाना	200	क्विन्टल
47.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, धौलपुर	धौलपुर	3000	,,
48.	विधी चन्द्र पूरनचन्द, राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	500	,,
49.	मैनेजर क्रय विक्रय सहकारी समिति, धौलपुर,	धौलपुर	1000	,,
50.	उपभोक्ता भण्डार, भरतपुर	भरतपुर	1000	क्विन्टल

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 550 की सूची)

पंचायत समिति दूदू ग्राम पंचायत गाडोता को निर्माण कार्यों के लिए दी गई धनराशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य	दी गई राशि	राशि देने का दिनांक	नाम व्यक्ति जिसे राशि दी गई	राशि जिसका हिसाब प्रस्तुत किया गया है या मूल्यांकन किया गया है
1.	सार्वजनिक कूप निर्माण रेगरान कापडियाबास	250) 250)	27-11-63 8- 1-64	श्री गोविन्दनारायण ,,	682)12 पैसे का हिसाब दिया गया है।
2.	पंचायत भवन गाडोता	1000) 800)	31- 3-61 27- 6-62	,,	3663)87 पैसे का हिसाब दिया गया है।
3.	सार्वजनिक कूप निर्माण नासनोता	250)	17-10-60	श्री मांगीलाल	456) के कार्य का मूल्यांकन किया गया है।
4.	अनसूचित जन जाति कूप निर्माण कापडियावास कलां	1000) 800)	31- 3-61 30- 3-62	श्री गोविन्दनारायण ,,	2157) रु० का हिसाब प्रस्तुत किया गया है।
5.	तालाब विकास गाडोता	350) 500) 500)	31- 3-61 29- 5-66 22- 7-66	श्री गोविन्दनारायण श्री भंवरलाल ,,	हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 533 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 170 वि० सं०

सूची काश्तकारों की जिनको मुआवजा नहीं मिला है।

क.सं.	नाम ग्राम		योग काश्तकार	कुल मुआवजा जो बाकी है
	थलचाना	....	2	240.83
	चांनियाकलां	....	2	156.00
	नन्देरा	....	2	481.25
	भोरी	...	1	206.25
	गुन्डगांव	...	1	49.50
	मोजाऊंधन	...	1	22.00
	रोस्याका	...	1	206.25
	भन्डारा	....	2	935.00
	राधानगरी	....	1	110.00
	सोमका	...	2	574.75
	खेरावा	...	2	569.81
	बडोंदा	....	5	1567.50
	बलावरा	....	6	952.52
	मुसेपुर	....	7	761.75
	कस्बा कामां	...	8	4609.33
	सहसन	...	14	3674.12
	खनूका	....	5	536.25
			61	योग 15253.11

अधिशासी अभियन्ता
मत्स्य सिंचाई खण्ड
अलवर।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची)

पंचायत समिति निवाई की जीप पर मरम्मत आदि के हुए खर्चे का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	खर्चा
1.	1960-61	—
2.	1961-62	1206)53
3.	1962-63	2591)66
4.	1963-64	2070)63
5.	1964-65	3394)25
6.	1965-66	3484)75
7.	1966-67	5409)26
8.	1967-68	2774)39

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

प्रश्न संख्या 127

नरसरी महल बाग तिजारा			नरसरी जयसमन्द सीलीसेड़ मेन हाऊस, मंगलसर	
खर्चा बीज	खर्चा पानी	खर्चा मरम्मत सुधार	खर्चा बिजली	खर्चा मरम्मत व सुधार
26.50	735-50	3,312.09	150.76	13,065.01

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 217 की सूची

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित मंडियों की सूची।

"ए" श्रेणी

1. सूरतगढ़

"बी" श्रेणी

1. अनूपगढ़
2. छतरगढ़
3. पूगल
4. जैतसर की वर्तमान मंडी का विकास
5. विजयनगर वर्तमान मंडी का विकास
6. रावतसर

"सी" श्रेणी

1. घड़साना
2. बीरमाणा
3. गोविन्दसर
4. खाबां
5. रमजानवाला
6. दन्तौर
7. बड़ोपल
8. अनूपगढ़-रायसिंह नगर सड़क व जैतसर-बेरियावाली-सलीमपुरा सड़क के केन्द्रीय स्थान पर मंडी।
9. रामसिंहपुर की वर्तमान मंडी का विकास।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूची ।

राज्य में कार्य कर रहे विकास अधिकारियों का विवरण

1.	कृषि प्रसार अधिकारी	107
2.	पशु पालन प्रसार अधिकारी	35
3.	नोन केडर	55
4.	आर. ए. एस.	6
5.	तहसीलदार सेवा	19
6.	रिक्त स्थान	10
	योग:-	232

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची)

सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूची 'अ'

क्रमांक	छात्रावास का स्थान	छात्र संख्या
1.	**राजकीय छात्रावास**	
1.	छात्रावास (लड़कों का) बांसवाड़ा	48
2.	छात्रावास (लड़कियों का) बांसवाड़ा	33
3.	छात्रावास (लड़कों का) घाटोल	69
4.	छात्रावास (लड़कों का) सज्जनगढ	34
5.	छात्रावास (कुशलगढ)	36
6.	छात्रावास गढी	30
7.	छात्रावास (अनाथ आश्रम) बांसवाड़ा	21
2.	**अनुदानित छात्रावास**	
8.	आदिवासी छात्रावास परतापुर	50
9.	आदिवासी छात्रावास भूखिया	25
10.	आदिवासी छात्रावास अरथूना	25
11.	आदिवासी छात्रावास जोलाना	25
12.	आदिवासी छात्रावास बागीडोरा	24
13.	आदिवासी छात्रावास सरेडी	24
14.	आदिवासी छात्रावास लोडन	19
15.	आदिवासी छात्रावास गनोडा	25
16.	आदिवासी छात्रावास खमेरा	25
17.	आदिवासी छात्रावास चांदरवाड़ा	25
18.	आदिवासी छात्रावास कुशलगढ	25
	कुल योग	563

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची

पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत डग द्वारा अलोट किये गये प्लाटों का विवरण

क्रमांक	नाम व्यक्ति	संख्या प्लाट
1.	श्री अब्दुल हमीद पुत्र सिकन्दर खां	1
2.	,, नन्ने खां पुत्र ,,	1
3.	,, अहमद खां पुत्र यासीन खां	1
4.	,, नन्नू पुत्र ,,	1
5.	,, श्रीमती अख्तरी बेगम जोजे अब्दुल कादिर	1
6.	,, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र	1
7.	,, पारसमल पुत्र पूनमचन्द	1
8.	,, मोहनलाल पुत्र मथुरालाल	1
9.	,, रामनाथ पुत्र नाथू	1
10.	,, मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल	1
11.	,, छगन पुत्र कूका	1
12.	,, अलीमोहम्मद पुत्र अजीज	1
13.	,, यासीन पुत्र नूर मोहम्मद	1
14.	,, अब्दुल हनीफ पुत्र अब्दुल हमीद	1
15.	,, सफी ऊल्ला पुत्र महबूब	1
16.	,, अब्दुल गफूर पुत्र हमीदुल्ला	1
17.	,, अब्दुल रसीद पुत्र हसन खां	1
18.	,, भूरेखां पुत्र मिट्ठूखां	1
19.	,, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल	2
20.	,, पूरालाल पुत्र घनश्याम	1
21.	,, रहीमुद्दीन पुत्र नसुरूद्दीन	4
22.	,, कुदुरतउल्ला पुत्र अमानुल्ला	4

प्लाट अलोटमेंट के लिए सौ सौ रुपये जमा कराने वाले व्यक्तियों के नाम

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री गब्बू पुत्र सुल्तान खां
2.	,, रमजानी पुत्र थूलासईयद
3.	,, याकूब पुत्र हाजी गुलाम रसूल
4.	,, मगबूल पुत्र बेहराम खां
5.	,, इन्दरसिंह पुत्र कालूसिंह
6.	,, प्रेमचन्द पारसमल
7.	,, चम्पालाल पुत्र गेन्दालाल
8.	,, पूनमचन्द पुत्र भगतलाल
9.	,, नन्नू पुत्र रसूल पटेल
10.	,, मोतीनाथ पुत्र शंकरनाथ
11.	,, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची

प्रति व्यक्ति जिलेवार योजना व्यय

(रुपयों में)

जिला	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
1. अजमेर	66.24	51.33
2. अलवर	24.20	33.07
3. बांसवाड़ा	36.56	49.77
4. बाड़मेर	17.65	28.79
5. भरतपुर	29.50	44.47
6. भीलवाड़ा	37.69	40.75
7. बीकानेर	88.34	77.27
8. बून्दी	164.94	147.88
9. चित्तौड़गढ़	32.69	51-63
10. चूरू	39.09	31.41
11. डूंगरपुर	42.98	43.15
12. गंगानगर	113.01	80.16
13. जयपुर	48.80	65.20
14. जैसलमेर	43.72	55.78
15. जालोर	20.57	28.73
16. झालावाड़	31.48	43.85
17. झुंझुनू	29.67	32.52
18. जोधपुर	51.91	63.27
19. कोटा	133.87	117.06
20. नागौर	23.01	32.56
21. पाली	25.94	50.08
22. सवाई माधोपुर	29.97	27.35
23. सीकर	23.46	29.28
24. सिरोही	42.29	61.23
25. टौंक	41.50	36.54
26. उदयपुर	43.47	62.81

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची

पंचायत समिति लाडनू में जीप के लिए पेट्रोल पर हुए खर्चे का विवरण

क्र०सं०	माह	खर्च
	वर्ष 1965–66	
1.	मार्च 65	130)02
2.	अप्रेल,65	207)22
3.	मई,65	314)32
4.	जून,65	428)94
5.	जुलाई,65 अगस्त,65)	887)80
6.	सितम्बर,65	520)
7.	अक्टूबर,65	446)45
8.	नवम्बर,65 व) दिसम्बर,65)	1289)73
9.	जनवरी,66 व) फरवरी,66)	361)
	वर्ष 1966–67	
1.	मार्च, 66	586)28
2.	अप्रेल, 66	560)27
3.	मई, 66	51)
4.	जून, 66	418)90
5.	जुलाई, 66	474)05
6.	अगस्त, 66	383)20
7.	सितम्बर, 66	151)10
8.	अक्टूबर, 66	353)10
9.	नवम्बर, 66	332)90
10.	दिसम्बर, 66	270)60
11.	जनवरी, 67	—
12.	फरवरी, 67	—
13.	माच, 67	718)67

शुद्धि पत्र

(सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1968)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	8	ऐर्स	ऐसी
7	अंतिम से 8	क	को
,,	,, 7	इसिलिये	इसीलिये
9	,, 8	हुआ	हुई
10	,, 3	की	कीं
12	6	मित्र मंडल	मंत्रि मंडल
13	6	गंची	गंसी
15	अंतिम से 13	बगले	बंगले
,,	अंतिम	है	हैं
18	4	कलेक्टर	कलेक्टर
23	14	अर	और
27	अंतिम से 8	मागे	मांगे
29	,, 9	क्वेटेशन	क्वोटेशन
30	8,9	,,	,,
30	14	की	कि
31	अंतिम से 7	जायेग	जायेगा
36	,, 2	की	का
37	10	जीवकोपार्जन	जीविकोपार्जन
43	,, 14	आडर्स	आर्डर्स
53	10,33	अतरांकित	अतारांकित
54	12	सदय	सदस्य
60	14	पहुचने	पहुंचने
,,	अंतिम से 2	वगैर	वगैरह
62	5	निकवा	निकलवा
62	अंतिम से 8	आपके	इसके
68	1	प्रश्नोत्त	प्रश्नोत्तर
71	1	डेनेज	ड्रेनेज
,,	,,	कनाल	कैनाल
74	15	का गई	की गई

1	2	3	4
81	6	विस्तृत	विस्तृत
89	शीर्ष	(पंचायत मंत्री)	(श्री पंचायत मंत्री)
95	शीर्ष	(श्रीहरजाराम बुरडन्ड)	(श्री हरजीराम बुरडग्ड)
96	15	क्षत्र	क्षेत्र
96	20	प्रति की	प्रति
99	शीर्ष	(चुनाव मंत्री)	(श्री चुनाव मंत्री)
101	,,	(वन मंत्री)	(श्री वन मंत्री)
107	अंतिम से 15	आग ट-	आगष्ट
112	10	और	और
114	अंतिम	सचुरी	सेंचुरी
121	2	सबको	सबको है
123	8	वाइल्ड	वाइल्ड
134से258	शीर्षक	बजट पर वाद विवाद	आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद
137	शीर्ष	(श्री राचतराम)	(श्री रावतराम)
148	5	र्ण	पूर्ण
151	4	यय	यह
153	14	उनक	उनके
,,	22	जाता	जोत
161	7	अ ा ा	अलावा
163	16	तालाव	तालाब
176	7	ि त्त	वित्त
189	4	रिजोल्यूशनरी	रिवोल्यूशनरी
190	अंतिम से 12	चाव्हाण	चव्हाण
192	,, 10	वर्कस	वर्कर्स
193	,, 13	क र सकते हैं	सकते हैं
219	9	टक्स	टैक्स